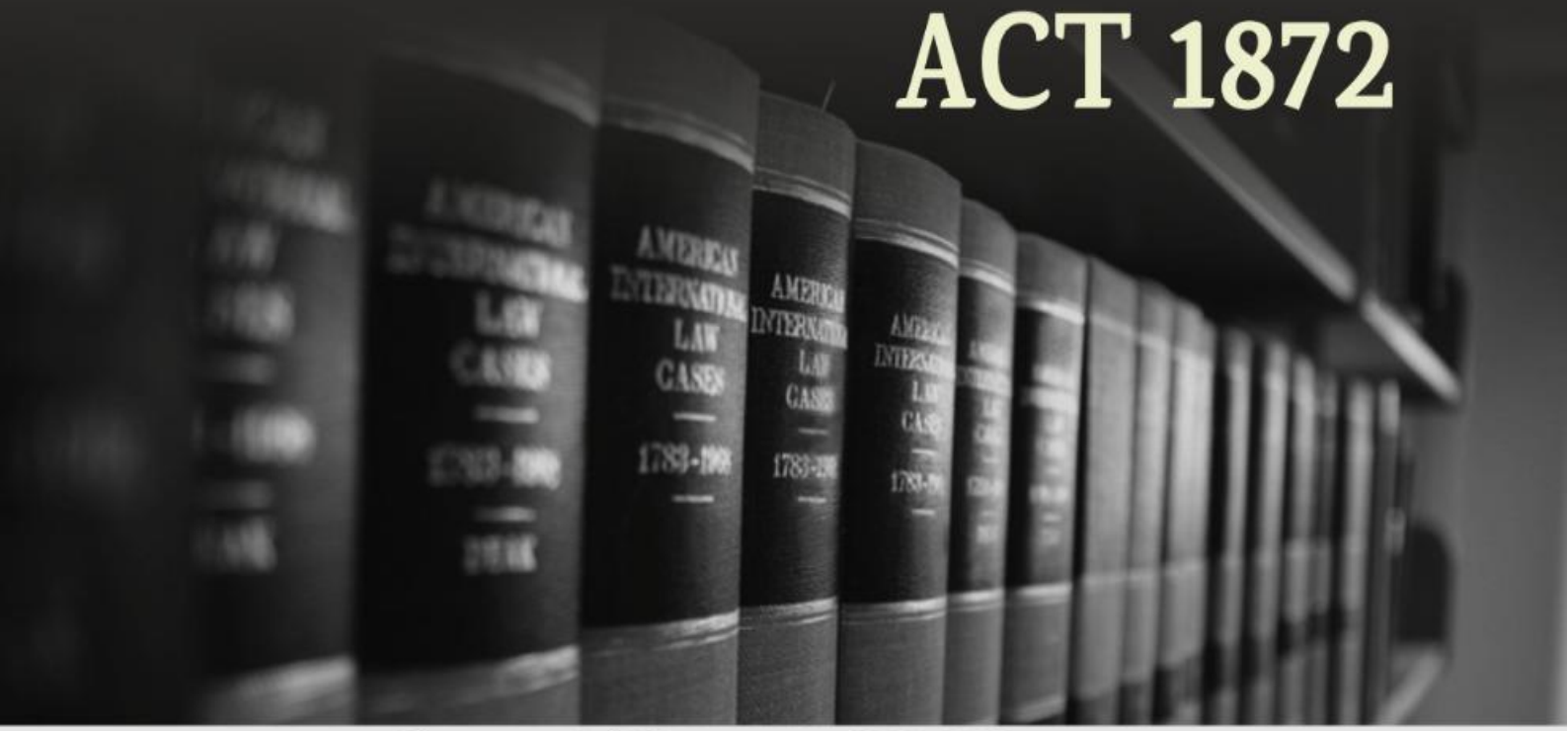
डॉ. निर्मल गहलोत द्वारा संचालित
उत्कर्ष
Since 2002

THE INDIAN CONTRACT ACT 1872



भारतीय संविदा अधिनियम 1872

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

विवरणिका

अध्याय सं.	अध्याय का विवरण	धारा
	प्रारम्भिक	1-2
1	प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में	3-9
2	संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में	10-30
3	समाश्रित संविदाओं के विषय	31-36
4	संविदाओं के पालन के विषय में संविदाएं जिनका पालन करना होगा	37-67
5	संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सृदश कतिपय संबंधों के विषय	68-72
6	संविदा भंग के परिणाम के विषय में	73-75
7	(माल का विक्रय) माल विक्रय अधिनियम 1930 (1930 का 3) की धारा 65 द्वारा निरसित	76-123
8	क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के विषय में	124-147
9	उपनिधान के विषय में	148-181
10	अभिकरण, अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार	182-238

❑❑❑

Index

Chapter No.	Chapter Description	Section
	Preliminary	1-2
1	Of the Communication, Acceptance and Revocation of Proposals	3-9
2	Of Contracts, Voidable Contracts and Void Agreements	10-30
3	Of Contingent Contracts	31-36
4	Of the Performance of Contracts, Contracts which must be performed	37-67
5	Of Certain Relations resembling those created by Contract	68-72
6	Of the Consequences of breach of contract	73-75
7	Sales of goods - Repealed by the Sale of Goods Act 1930 (3 of 1930) S. 65	76-123
8	Of indemnity and guarantee	124-147
9	Of bailment	148-181
10	Agency Appointment and Authority of Agents	182-238

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

परिचय

- **संविदा विधि के जनक-** ANSON (1872 का अधिनियम संख्यांक 9)
- **कुल अध्याय-**10
- **सहमति-** 25 अप्रैल 1872
- **कुल धारा-**238
- **लागू-** 1 सितम्बर 1872
- **उद्देशिका-** संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागो को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है।
- इसका प्रभाव भूतलक्षी है।

❑❑❑

Introduction

- **Father of Contract Law -** ANSON (Act No. 9 of 1872)
- **Total Chapter -** 10
- **Consent –** 25 April 1872
- **Total Section-**238
- **Enforced -** 1 September 1872
- **Preamble -** It is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts.
- Its effect is retrospective.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

प्रारम्भिक

❍ **धारा-1- यह अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 कहा जा सकेगा।**

- **विस्तार-** सम्पूर्ण भारत में (31 अक्टुम्बर 2019 से जम्मू-कश्मीर मे भी)
- इस अधिनियम का विस्तार कहाँ नही है-
  1. अभिव्यक्त रूप से निरसित न किए किसी स्टेटयूट अधिनियम या विनियम के उपबंधो पर
  2. व्यापार की किसी प्रथा या रूढि पर
  3. संविदा की प्रसंगति पर
  4. जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो।
- **संविदा-** वे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते है संविदा कहलाते है। धारा-2 (ज)
- **संविदा के आवश्यक तत्व-**

1. करार
2. विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना,

- **संविदा की आवश्यक शर्ते-**

1. सक्षम पक्षकार
2. स्वतंत्र सहमति
3. विधिपूर्ण प्रतिफल
4. विधिपूर्ण उद्देश्य
5. और वे करार जिन्हें अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित न किया गया हो।

- **संविदा का आशय-**बहुत से करार ऐसे होते है जो शाब्दिक रूप से तो संविदा की अपेक्षायें पूरी करते है, परन्तु उसके भाव को नही पकड पाते है, ऐसे मामलों में इन करारों को विधित: प्रवर्तनीय नहीं माना जाता है तथा किसी संविदात्मक संबंध स्थापित करने के आशय की अनुपस्थिति के मामले।

❍ **वाद - डारलिम्पल बनाम डारलिम्पल, 1811**
तथ्य- लार्ड स्टोवेल ने निर्णीत किया कि- संविदा फालतु समय की मजाकबाजी नही है जिसमे कि पक्षकार विधिक प्रभावों का कोई विचार नही रखतें।

❍ **वाद - बैलफर बनाम बैलफर, 1919**
तथ्य- लार्ड स्टकिन द्वारा निर्णित वाद में उन्होने निर्णीत किया कि बहुत से विषय जैसे इक्टठे घूमने-फिरने या भोजन करने का करार या पति- पत्नी के नितान्त व्यक्तिगत करार के अन्तर्गत विधिक प्रभाव उत्पन्न नही होतें।

- इसका प्रभाव भूतलक्षी है।

Preliminary

❍ **Section 1-This Act may be called the Indian Contract Act, 1872.**

- **Extent -** All over India (from 31 October 2019 to Jammu and Kashmir also)
- Where this Act does not extend-
  1. the provisions of any Statute, Act or Regulation not expressly repealed
  2. on any usage or custom of trade
  3. incident of any contract
  4. which are not inconsistent with the provisions of this Act.
- **Contracts-** Those agreements which are enforceable by law are called contracts. Section-2(h)
- **Essential elements of the contract-**

1. Agreement
2. Enforceable by law,

- **Essential; conditions of the contract-**

1. Competent Party
2. Free Consent
3. Lawful consideration
4. Lawful Object
5. and agreements not expressly declared to be void.

- **Intent of the contract**-There are many agreements which fulfill the contractual requirements in the literal sense, but do not capture its me+6+5aning, in such cases these agreements are not considered to be legally enforceable and thus establishing a contractual relationship ases of absence of intent.

❍ **Case - Darlymple v. Darlymple, 1811**
Fact- Lord Stowell observed that-The contract is not a joke of waste of time in which the parties do not take any consideration of the legal implications.

❍ **Case - Balfer v. Balfer, 1919**
Fact-In the case decided by Lord Stuckin, he observed that the legal effect does not arise under the subject like and the agreement of mass extortion or sending or the purely personal agreement of the husband and wife.

- Its effect is retrospective.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **मानक संविदा-** आज कल बडी-बडी संस्थाएँ पृष्ठ भाग पर ही शर्ते छाप देती हैं यदि कोई व्यक्ति करार करना चाहता है तो उसे सारी शर्तो को मानना होगा।
- **इस नियम के निम्न अपवाद है-**

1. शर्त युक्तियुक्त होनी चाहिए।
2. संविदा के साथ ही शर्त निर्धारित होनी चाहिए।
3. यदि शर्त नही एवं संविदा भंग की जाती है वहाँ मौलिक भंग का सिद्धान्त होगा।

- **पूर्व मे इसके चार भाग थे-**
  - ☐ साधारण सिद्धान्त-(1-75)
  - ☐ माल विक्रय अधिनियम-(76-123)-वर्तमान में अलग से अधिनियम
  - ☐ विशिष्ट संविदाएँ- (124-238)
  - ☐ साझेदारी- (239-266)
- **केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संविदा-** संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार जब कोई संविदा केन्द्र व राज्य सरकार के साथ की जाती है तो निम्न औपचारिकतायें आवश्यक है-
  1. यह अभिव्यक्त होनी चाहिए कि संविदा राष्ट्रपति व राज्यपाल की और से की गई हो।
  2. इसका निष्पादन होना आवश्यक है।
  3. निष्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल प्राधिकृत करें या निर्देश दें।
- उपर्युक्त उपबन्ध आज्ञापक है और इनका पालन आवश्यक हैं।

❍ **वाद - भारतीय संघ बनाम चौथमल-**
तथ्य- यदि किसी व्यक्ति तथा सरकार के बीच कोई संविदा हुई है, और अनुच्छेद 299 की औपचारिकतायें पूरी नहीं की गयी हैं तो ऐसी संविदा शून्य होगी। तथा संविदा उस व्यक्ति या सरकार द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगी।

अवयस्क द्वारा की गई संविदाएं शून्य होती है, से सम्बन्धित मामले-

❍ **वाद - मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, (1903) Kolkota 114 (PC)**
तथ्य- निम्नलिखित वादों में यह घोषित किया गया है। कि अवयस्क द्वारा की गई संविदाये प्रारम्भत: शून्य होती हैं।

❍ **वाद -सूरजनारायण बनाम सुक्कू अहीर, AIR 1928**

- **Standard Contract** - Nowadays, big organizations print conditions on the back side itself, if a person wants to make an agreement, then he has to accept all the conditions.
- **There are following exceptions to this rule-**

1. The condition must be reasonable.
2. The condition should be stipulated along with the contract.
3. If the condition is not there and the contract is breached, there will be the principle of fundamental breach.

- **Earlier it had four parts-**
  - ☐ General Principles-(1-75)
  - ☐ Sale of Goods Act-(76-123)-At present a separate Act
  - ☐ Specific Contracts- (124-238)
  - ☐ Partnership- (239-266)
- **Contract by the Central and State Government**-According to Article 299 of the Constitution, when a contract is made with the Central and State Government, the following formalities are necessary-
  1. It should be expressed that the contract is made on behalf of the President or the Governor.
  2. It must be executed.
  3. The execution shall be by such person as the President or the Governor may authorize and shall be such as the President or the Governor, as the case may be, directs.
- The above provisions are mandatory and their performance is necessary.

❍ **Case - Union of India v. Chauthmal-**
Fact- If a contract has been entered into between any person and the Government, and the formalities of Article 299 have not been fulfilled, then such contract shall be void and the contract shall not be enforceable by that person or the Government.

Cases relating to the contracts entered into by a minor are void-

❍ **Case - Mohri Bibi v. Dharmodas Ghosh, (1903) Kolkota 39 (PC)**
Fact- In the following cases, it has been declared, that the contracts entered into by a minor are void ab initio.

❍ **Case Surajnarayan v. Sukku Ahir, AIR 1928**

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

तथ्य- अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य होता है तथा विधि की नजरो मे इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है व्यस्क होने पर उसको कोई हक नही दिया जाएगा।

- **वाद -नबाव शादिक अली खान बनाम जयकिशोर, AIR 1928 PC 159**
  तथ्य-
  - ☐ अवयस्क के विरूद्ध विबन्धन का सिद्धान्त लागू नही होता हैं।
  - ☐ यदि अवयस्क् द्वारा कपटपूर्वक आयु अधिक बताकर कोई संविदा कर ली गई है तो यही समझा जाएगा कि वह अवयस्क हैं।
- **वाद - लेजीली बनाम शील, 1914**
  तथ्य-
  - ☐ यदि अवयस्क ने अपनी आयु का मिथ्या वर्णन करके किसी व्यक्ति से करार के अन्तर्गत कोई फायदा प्राप्त कर लिया है तो ऐसे लाभ को लौटाने के लिए उसे बाध्य किया जा सकेगा।
  - ☐ अगर सम्पति धन है तो वह पहचान योग्य नही है उसे वापस नही कराया जा सकता है।
- **वाद - खानगुल बनाम लाखन सिंह, AIR 1928 All 701**
  तथ्य- अवयस्क अपने ही कपट से फायदा प्राप्त नही कर सकता हैं। यदि उसने अपनी आयु के सम्बन्ध में मिथ्यापूर्वक वर्णन किया हैं।
- **वाद -अयोध्या प्रसाद बनाम चन्द्रलाल,AIR 1937**
  तथ्य- इसमे लेजीली बनाम शील के ही वाद का वर्णन हैं।

❖ **अपवाद-**
अवयस्क् द्वारा अपने लाभ व विधिक आवश्यकता के लिए कोई संविदा की गई है तो उसे Quasi contract लागू हो जाएगा।

- **प्रस्थापना (धारा-2(क))**
  ''जब कि एक व्यक्ति, किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करें तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है''।
- **प्रस्थापना के आवश्यक तत्व-**

1. कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए।
2. प्रस्थापक द्वारा किसी कार्य को करने या उससे प्रविरत रहने की रजामंदी दूसरे को स्पष्ट करना।
3. प्रस्थापना दूसरे व्यक्ति (अन्य व्यक्ति) की अनुमति प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए।

Fact - The agreement made by the minor is void and it does not exist in the rules of law, he will not be given any rights when he is an becomes major.

- **Case - Nabaw Shadiq Ali Khan v. Jaikishore, AIR 1928 PC 159**
  Fact-
  - ☐ The principle of estoppel against the minor does not apply.
  - ☐ If a contract has been entered into by a minor by fraudulently stating more age, then it will be deemed that he is a minor.
- **Case - Legielie v. Modesty, 1914**
  Fact-
  - ☐ If the minor has obtained any benefit under the agreement from any person by misrepresenting his age, he may be compelled to return such benefit.
  - ☐ If the property is money then it is not identifiable and cannot be returned.
- **Case - Khangul v. Lakhan Singh, AIR 1928 All 701**
  Fact- A minor cannot receive profit from his own fraud, if he has misrepresented about his age.
- **Case-Ayodhya Prasad v. Chandralal, AIR 1937**
  Fact- In this case, the case of Legilie v. Sheel is explained.

❖ **Exception**- If a contract has been made by the minor for his own benefit and legal requirement, then the Quasi contract will be applicable to him.

- **Proposal (Section-2(a))**
  "When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal ''.
- **Essential elements of the proposal-**

1. There should be at least two persons for the legal proposal.
2. To clear to another the willingsness to do or abstains from any act by the proposer.
3. The proposal must be made to obtain the assent of the other person.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

4. प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए।

- उपरोक्त तत्व परिभाषा से ही निकलते हैं।

❍ **वाद - लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त**

तथ्य - एक प्रस्ताव तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि इसको स्वीकार करने वाले व्यक्ति की जानकारी में ना लाया जाए।

- **लोक प्रस्थापना**
  - □ प्रस्थापना किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या निर्दिष्ट समूह के प्रति की जा सकती है या जन सामान्य के प्रति भी। जहां वह व्यक्ति जिसमें प्रस्थापना की गयी है,निश्चित न हो वहां प्रस्थापना ''लोक प्रस्थापना'' होती हैं।
  - □ **ANSON** ने अपनी पुस्तक ''Law of contract'' मे लिखा है कि '' यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्थापना किसी निश्चित व्यक्ति से की जाए पर कोई संविदा तब तक सृजित नही होती हैं जब तक कोई निश्चित व्यक्ति उसका प्रतिग्रहण न कर ले''।

❍ **वाद - हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल, AIR 1925**

तथ्य- न्यायमूर्ति इयार्न ने स्मोक बॉल कम्पनी के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए कहा कि भले ही वादी लडके को घर नहीं लाया था किन्तु बच्चे के बारे में सूचना देकर प्रस्थापक की शर्त को पूरा कर दिया था अत: इनाम का अधिकारी था।

❍ **वाद - कारबोलिक स्मोक बॉल कम्पनी में था-**

तथ्य- इस वाद में विद्वान न्यायाधीश बोबन एल.जे. ने कहा कि, प्रस्थापना निजता के प्रति की जा सकती हैं। और इसके रद्द होने के पूर्व जो भी व्यक्ति इसकी शर्ते पूरी करेगा उसके प्रति दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति मे प्रतिग्रहण की संसूचना आवश्यक नही है। यह प्रस्थापक के भले के लिए होता हैं।

- **प्रतिग्रहण-2 (ख)-**

धारा-2(b) के अनुसार, जब कि वह व्यक्ति जिसमे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती हैं।

- **एक वैध प्रतिग्रहण की निम्न अपेक्षाएं है-**

1. प्रतिग्रहण की संसूचना
2. प्रतिग्रहण आत्यांतिक और अविशेषित होना चाहिए।

4. The proposal must be definite.

- The above elements emerge from the definition itself.

❍ **Case-Lalman Shukla v.Gauri Dutt**

Fact- A proposal cannot be accepted unless it comes to the knowledge of the person accepting it

- **General Proposal**
  - □ The proposal can be made to a specified person or a specified group or even to the general public. Where the person to whom the proposal is made is not certain, the proposal is "general proposal".
  - □ **ANSON** has written in his book "Law of contract" that "it is not necessary that an proposal should be made to a specific person, but no contract is created until it is accepted by a specific person".

❍ **Case-Harbhajan Lal v. Harcharan Lal, AIR 1925**

Fact-Justice Earn, following the principle of Smoke Ball Company, said that even though the plaintiff had not brought the boy to home, but had fulfilled the condition of the proposer by giving information about the child, he was entitled to reward.

❍ **Case-Carbolic Smoke Ball**

Fact - In this case Learned Justice Boban L.J. said that the Proposal can be made for privacy, and before its cancellation, any person who fulfills its conditions, obligation will arise against him. In such a situation, communication of acceptance is not necessary. This is for the interset of the proposer.

- **Acceptance-2 (b)-**

According to section 2(b), When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes promise.

- **A valid acceptance has the following requirements-**

1. Communication of Acceptance
2. Acceptance should be absolute and unqualified.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

3. प्रतिग्रहण उस ढंग से किया जाना चाहिए जैसा कि प्रस्ताव विहित करता हैं।

❍ **वाद - भगवानदास बनाम गिरधारी लाल, 1966 SC**
तथ्य- केवल मस्तिष्क की दशा से कोई करार उत्पन्न नही होता, प्रस्थापना को स्वीकार करने के इरादे या आशय से ही केवल संविदा नही की जाती हैं। उस आशय का कोई न कोई बाह्य साक्ष्य मिलना चाहिए, चाहे लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य कार्य द्वारा।

- **आचरण द्वारा स्वीकृति के अन्य उदाहरण निम्न वादो में मिलते है-**
  1. लाइफ इंन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया बनाम प्रसन्न देवराज, AIR 1995 KER 88
  2. नेशनल इंन्श्योरेंस कम्पनी लि. बनाम सीमा मल्हौत्रा, 2001 एससी 1197
  3. हिन्दुस्तान कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाम श्याम सुन्दर AIR 1952 cal
- **डाक द्वारा संविदा-** जब पक्षकार एक-दूसरे से दूर हो और डाकखाने या पत्र-व्यवहार द्वारा संविदा का व्यवहार कर रहे हो तब प्रश्न उठता है कि स्वीकृति कब पूर्ण मानी जाएगी अथवा संविदा निर्माण कब होगा। यह प्रश्न आंग्ल विधि मे सर्वप्रथम एडम्स बनाम लिण्डसेल 1818, 106
- **टेलीफोन द्वारा संविदा -** उस स्थिति में जब संविदा के पक्षकार एक-दूसरे के सम्मुख उपस्थित हो अथवा एक-दूसरे से दूर होते हुए भी टेलीफोन आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष सम्पर्क हैं।

❍ **वाद - एण्टोर्स लि. बनाम माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन, 1955**
तथ्य- इस वाद मे अपील न्यायालय ने यह अवधारित किया कि टेलीफोन या टेलेक्स द्वारा जब संविदा की जाती है तो संविदा उस समय पूर्ण होती है जब प्रस्ताव करने वाले को स्वीकृति का ज्ञान हो जाता है। और संविदा उस स्थान पर पूर्ण होगी जहां प्रतिग्रहण प्राप्त होता हैं।

❍ **वाद - भगवानदास गोवर्धनदास केडिया बनाम गिरधारी लाल AIR 1966 SC**
तथ्य- इस वाद में बहुमत द्वारा निर्णित हुआ कि आंग्ल सिद्धान्त सही है और टेलीफोन द्वारा वार्तालाप तथा डाक खाने वाले नियम को बढाने का कोई कारण नही हैं।

- **प्रति प्रस्थापना -** प्रतिग्रहण को आत्यन्तिक और अविशेषित होना आवश्यक है अत: प्रस्थापना की शर्तों से अलग होकर उनका प्रतिग्रहण करना या उन्हे किसी भी तरीके से घटाने या बढाने से प्रतिग्रहण शुरू से ही दोष पूर्ण

3. The acceptance should be made in the manner as the proposal prescribes.

❍ **Case - Bhagwandas v. Girdhari Lal, 1966 SC**
Fact - A mere state of mind does not create an agreement, the intention or intention to accept the proposal alone does not lead to a contract. There must be some external evidence to that effect, whether written or spoken, by words or by any other act.

- **Other examples of acceptance by conduct are found in the following cases-**
  1. Life Insurance Corporation of India V Prassann Devraj, AIR 1995 KER 88
  2. National Insurance Company Ltd. V Seema Malhotra, 2001 SC 1197
  3. Hindustan Cooperative Society V Shyam Sundar AIR 1952 cal
- **Contract by post -** When the parties are away from each other and are dealing with the contract by post office or correspondence, then the question arises that when the acceptance be considered complete or when the contract will be created. This question was first asked in the Anglo law in the case Adams v. Lindsell 1818, 106.
- **Contract by Telephone** - In that case when the parties to the contract are present before each other or are in direct contact through telephone etc.

❍ **Case - Entors Ltd. v. Miles Far East Corporation, 1955**
Fact-In this case, the Appeallate Court of held that when a contract is made by telephone or telex, the contract is completed when the proposer has knowledge of the acceptance, and the contract shall be completed at the place where the acceptance is received.

❍ **Case - Bhagwandas Govardhandas Kedia v. Girdhari Lal AIR 1966 SC**
Fact- In this case, it was decided by majority that the Anglo principle is correct and there is no reason to increase the rule of telephonic conversation and mailing.

- **Counter Proposal** - Acceptance must be absolute and unqualified, therefore, accepting it apart from the terms of the Proposal, or by reducing or increasing them in any manner, makes the acceptance full of

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

हो जाता है और प्रस्थापक को बाध्य नही करता जब तक कि वह ऐसे परिवर्तन को स्वीकार न कर लें।

- दूसरे शब्दो मे परिवर्तन करने वाला प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण न होकर जवाबी या प्रति प्रस्थापना होती है, जिसकी मंजूरी प्रस्थापक द्वारा आवश्यक होती है और इसके बगैर किसी संविदा का निर्माण नही होतां।

❍ **वाद - हाजी मुहम्मद हाजी जिवा बनाम इ. स्पिनर एण्ड ब्रदर्स- 1900-**

तथ्य- इस वाद मे मुख्य न्यायाधीश जेन्किनस ने कहा कि जब तक प्रस्थापना का आत्यन्तिक एवं अविशेषित प्रतिग्रहण न हो जाए, मामला वार्तालाप से आगे नही बढता और कोई भी विधिक दायित्व उत्पन्न् नही होता।

- **प्रतिफल (धारा-2 (घ))**
  - □ जबकि वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रविरत रहा है या करता है या करने से प्रविरत रहता है या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रविरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता हैं।
  - □ **ब्लैकस्टोन-** प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते है जो संविदा का एक पक्षकार दूसरे को देता हैं।

❍ **वाद - थामस बनाम थामन-**

तथ्य- इस वाद मे प्रतिफल को परिभाषित किया है कि- '' प्रतिफल वह वस्तु है जिसका विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य है यह वादी का कुछ लाभ हो सकता है अथवा प्रतिवादी का कुछ अहित।

- **प्रतिफल के आवश्यक तत्व-**

1. वचनदाता की वांछा (इच्छा) पर
2. वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति
3. (अ) कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है, या
   (ब) करता है या करने से प्रविरत रहता है, या
   (स) करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता हैं।
4. तब ऐसा कार्य या प्रविरति या वचन, उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है।

❍ **संविदा एवं करार में अन्तर-**

	संविदा (धारा-2 (ज))	करार (धारा-2 (ड))
1	वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, संविदा है। करार + विधि द्वारा प्रवर्तनीय = संविदा	हर वचन और वचनो का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वह करार है। प्रस्ताव+स्वीकृति+प्रतिफल= करार

errors from the very beginning and does not bound the proposer unless he did not accept change.

- In other words, a changing acceptance is not an acceptance but a counter-proposal, whose assent is required by the proposer and without this no contract can be made.

❍ **Case - Haji Muhammad Haji Ziva v. E. Spinner and Brothers - 1900-**

Fact- In this case, Chief Justice Jenkins said that unless there is an absolute and unqualified acceptance of the proposal, the matter does not proceed beyond negotiation and no legal liability arises.

- **Considerations (Section-2 (d))**
  - □ "When, at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or to abstain from doing, something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise.
  - □ **Blackstone**-Consideration is the compensation that one party to the contract pays to the other.

❍ **Case - Thomas v. Thaman-**

Fact-In this case, consideration has been defined as- "a consideration is a thing which has some value from the point of view of law, it may be of some benefit to the plaintiff or some harm to the defendant."

- **Essential elements of consideration-**

1. at the desire of the promisor
2. Promisee or any other person
3. (a) has done or abstained from doing, or
   (b) does or abstains from doing, or
   (c) Promises to do or abstain from doing.
4. Then such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise.

❍ **Difference between Contract and Agreement-**

	Contract (Section-2(h))	Agreement (Section-2 (e))
1	An agrement which is enforceable by law is contract Agreement + enforceable by law = contract	Every Promise and set of promise forming consideration for each other is an agrement

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

2	संविदा में करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक हैं।	जबकि करार वैधानिक व अवैधानिक भी हो सकता हैं।
3	संविदा में पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व होना आवश्यक हैं।	जबकि करार में वैधानिक दायित्व होना आवश्यक नही हैं।
4	संविदा मे पक्षकरो की सक्षमता, स्वतंत्र सहमति पर्याप्त, प्रतिफल का होना आवश्यक हैं।	जबकि करार में इनका होना आवश्यक भी हो सकता है नही भी।
5	संविदा का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि हर करार संविदा का रूप नही ले सकता।	जबकि करार का क्षेत्र अति विस्तृत होता हैं।

❍ **शून्यकरणीय संविदा एवं शून्य संविदा में अन्तर-**

शून्यकरणीय संविदा (धारा-2 (झ))		शून्य संविदा (धारा-2 (ञ))
1	संविदा किसी एक पक्षकार के विकल्प पर ही शून्यकरणीय होगी।	शून्य संविदा किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तनीय नही कराई जा सकती है
2	शून्यकरणीय संविदा तब तक मान्य रहती है जब तक कि किसी पक्षकार द्वारा विखंडित न कर दी जाती हैं।	शून्य संविदा प्रभाव मे रहती है तो इसका कोई महत्व नही होता हैं।
3	शून्यकरणीय संविदा रद्द होने से पहले तीसरे व्यक्ति द्वारा हक प्राप्त कर लिया जाता हैं।	जबकि शून्य संविदा मे तीसरे व्यक्ति द्वारा हक प्राप्त नही करने दिया जाता हैं।

❍ **वाद - कारलिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कं., 1892**

तथ्य- इस मामले में प्रतिवादी कार्बोलिक स्मोक बॉल कम्पनी ने 'कार्बोलिक स्मॉक बॉल' नाम की एक दवा बनाई। कम्पनी ने समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया जो भी कम्पनी द्वारा निर्मित इस दवा का प्रयोग लिखित निर्देशों के

		Proposal + acceptance + consideration = agreement
2	In a contract, the agreement must be enforceable by law.	Whereas an agreement can be legal or illegal.
3	There must be a legal obligation between the parties to the contract.	Whereas there is no need to have legal obligation in the contract.
4	Competence of the parties, free consent and adequate consideration is nessary in contract	While it may or may not be necessary to have them in the agreement
5	The scope of contract is narrower because not every agreement can take the form of a contract.	Whereas the scope of the agreement is very wide.

❍ **Difference between voidable contract and void contract-**

Voidable Contract (Section-2 (i))		Void Contract (Section-2(j))
1	The contract shall be voidable at the option of either party.	Void contract cannot be made enforceable by any person.
2	A voidable contract is valid as long as it is valid unless rescinded by either party.	If the void contract is in effect then it has no significance.
3	The title is acquired by a third person before the voidable contract is cancelled.	Whereas in a void contract, the third person is not allowed to get the title.

❍ **Case - Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co., 1892**

Fact- In this case, the defendant Carbolic Smoke Ball Company manufactured a drug named 'Carbolic Smoke Ball'. The company advertised in the newspaper, whoever uses this medicine manufactured by the company according to the written instructions, he never contracts a disease called "influenza"

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अनुसार करेगा उसे उसके बाद कभी भी "इन्फ्लूएन्जा" नामक रोग नहीं होगा। यदि फिर भी उसे इन्फ्लुएन्जा होगा तो कम्पनी उसे 100 पौंड इनाम के रूप में देगी। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कम्पनी ने 1000 पौंड एलायन्स बैंक में जमा कर दिया है, इस कथन की घोषणा करके भी सामान्य प्रस्ताव को गम्भीरता प्रदान कर दी। वादी, श्रीमती कार्लिल ने इस विज्ञापन के आधार पर कार्बोलिक स्मोक बॉल्स खरीदी और निर्देशानुसार निर्धारित अवधि तक बॉल्स का प्रयोग किया, परन्तु उसे इन्फ्लूएन्जा हो गया। इस पर उसने प्रतिवादी कम्पनी से 100 पौंड का इनाम पाने के लिए वाद प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायाधीश हाकिन्स (Hawkins) ने निर्णय दिया कि श्रीमती कार्लिल 100 पौंड पाने की अधिकारिणी है। कम्पनी ने अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये –

(i) पक्षकारों के मध्य कोई संविदा उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि
   (क) प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के सम्मुख नहीं रखा गया और
   (ख) इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। यदि यह मान भी लिया जाये कि प्रस्ताव के निर्देशों का पालन करना ही स्वीकृति दे तो भी स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक को नहीं दी गई।

(ii) यदि कोई करार हुआ मान भी लिया जाए तो यह बिना प्रतिफल के है। अत: शून्य है।

(iii) करार 'बाजी लगाने के करार के समान है। अत: व्यर्थ (Void) है।

(iv) प्रस्ताव केवल विक्रय बढ़ाने के लिए किया गया है। अत: संविदा का आधार नहीं हो सकता।

विद्वान न्यायमूर्ति ने निर्णय में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये-

(i) विज्ञापन द्वारा किये गये प्रस्तावों में यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया है, प्रस्ताव उसके सम्मुख किया गया है।

(ii) ऐसे मामलों में विज्ञापन में दिये गये निर्देशों या शर्तों का पालन करना मात्र ही स्वीकृति माना जाता है।

(iii) वादी द्वारा प्राप्त कोई लाभ या सुविधा प्रतिफल है।

(iv) यह बाजी का करार नहीं है, क्योंकि 100 पौंड केवल उस दशा में ही उस व्यक्ति को दिये जाने की घोषणा है जबकि इस दवा के प्रयोग करने पर भी उसे इन्फ्लूएन्जा हो।

(v) यह विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए 1000 पौंड बैंक में जमा करा दिये गए हैं। अत: इस

after that. If he still contracts influenza, then the company will give him 100 pounds as a reward. In order to make people believe, the company has deposited 1000 pounds in the Alliance Bank, by announcing this statement also gave seriousness to the general proposal. The plaintiff, Mrs. Carlill, purchased Carbolic Smoke Balls based on this advertisement and used the balls for the prescribed duration as directed, but she got influenza. On this she filed suit to claim reward of 100 pounds from the respondent company. Learned Judge Hawkins held that Mrs. Carlill is entitled to £100. The company contended the following arguments in its favor

(i) No contract has arisen between the parties, because (a) the offer was not placed before a certain person and (b) the offer was not accepted. Even if it is assumed that only performing the conditions of the proposal amounts to acceptance, even then the communication of acceptance was not made to the proposer.

(ii) Even if an agreement is deemed to have been made, it is without consideration. Hence is void.

(iii) Such agreement is tantamount to an agreement by way of wager. Hence Void.

(iv) The offer is made only to increase sales. Therefore, there cannot be a basis for a contract.

The learned Justice propounded the following principles in the judgment-

(i) An offer made by advertisement is deemed to have been made to the person who has accepted it.

(ii) In such cases, mere compliance with the instructions or conditions given in the advertisement is considered as acceptance.

(iii) any benefit or convenience received by the plaintiff is a consideration.

(iv) This is not a wagering agreement, because £100 is an amount to be given to a person who has influenza despite using this drug.

(v) This is not an advertisement to increase sales, as it is clarified in the advertisement that 1000 pounds has been deposited in the bank for this

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

प्रस्ताव में गम्भीरता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 100 पौंड इनाम देने का वचन केवल प्रलोभन मात्र है।

(vi) विज्ञापन से किये गये प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव माने जाते हैं लेकिन संविदा उसी के साथ माना जाता है, जो शर्ते पूरी करता है।

❍ **शून्य करार एवं अवैध करार में अन्तर-**

	शून्य करार	अवैध करार
1	सभी करार प्रारम्भ से ही शून्य नही होते बल्कि परिस्थितिवश शून्य हो जाते हैं।	जबकि अवैध करार प्रारम्भ से ही शून्य होते हैं
2	शून्य करार में पक्षकर दण्ड के भागी नही होते हैं।	जबकि अवैध करार मे पक्षकारो को दण्डित किया जाता हैं।
3	यदि शून्य करार के साम्पाश्विक कोई करार है तो उसे सामान्यत प्रवर्तित कराया जाता है।	जबकि अवैध करार के साम्पाश्विक कोई करार है तो उसे प्रवर्तित नही कराया जाता हैं।

❍ **प्रस्ताव एवं प्रस्ताव का आमंत्रण में अन्तर-**

	प्रस्ताव (धारा-2 (क))	प्रस्ताव का आमंत्रण
1	प्रस्ताव में किसी कार्य विशेष को करने व न करने की अन्तिम इच्छा वर्णित होती हैं।	जबकि प्रस्ताव के आमंत्रण मे कार्य विशेष व वस्तु विशेष के बारे मे संसूचनाऐ अभिप्राप्त की जाती हैं।
2	प्रस्ताव स्वीकार किए जाने योग्य होता हैं।	प्रस्ताव का आमंत्रण स्वीकार किए जाने योग्य नही होता हैं।
3	प्रस्ताव करार करने की क्षमता रखता हैं।	आमंत्रण करार करने की क्षमता नही रखता हैं।
4	प्रस्ताव का उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त करना होता हैं।	प्रस्ताव के आमंत्रण का उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करना होता हैं।

❑❑❑

purpose. So there is seriousness in this proposal. Therefore it cannot be said that the promise of a £100 reward is a mere inducement.

(vi) Offers made through advertisement are considered as general offers but contract is concluded with only those who fulfill the conditions.

❍ **Difference between void agreement and Illegal agreement -**

	Void agreement	Illegal Agreement
1	All agreements are not void from the very beginning but become void by circumstance.	Whereas illegal agreements are void from the very beginning.
2	In void agreement, the parties are not liable to punishment.	Whereas in illegal agreement the parties are punished.
3	If there is an agreement collateral to a void agreement, the same shall be enforceable	Where there is an agreement collateral to an illegal agreement, it shall not be enforced.

❍ **Difference between Proposal and Invitation to Proposal -**

	Proposal (Section-2 (a))	Invitation to Proposal
1	In the proposal, the final desire to do or not to do a particular act is described.	Whereas in the invitation of the proposal, the communication about the particular act and the particular thing is obtained.
2	Proposals are acceptable.	Invitation of Proposal is not acceptable.
3	Proposals have the ability to an agreement.	Does not have the ability to an agrement.
4	The purpose of the proposal is to obtain acceptance.	The purpose of an invitation to Proposal is to receive a Proposal.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 1
प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण के विषय में (धारा 3-9)

❍ **धारा-3- प्रस्थापनाओं की संसूचना प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण-**

- किसी कार्य या लोप द्वारा दिया जा सकता है जिसका आशय संसूचना देना हैं।

❍ **धारा-4- संसूचना कब संपूर्ण हो जाती हैं-**

- प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है।
- **प्रतिग्रहण की संसूचना-**
  - □ प्रस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति के बाहर हो जाए;
  - □ प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आती है।
- **प्रतिसंहरण की संसूचना-**
  - □ उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है, जब वह उस व्यक्ति के प्रति, जिससे प्रतिसंहरण किया गया हो, इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए, जो उसे करता है।
  - □ उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिससे प्रतिसंहरण किया गया है, तब संपूर्ण हो जाती है, जब वह उसके ज्ञान में आती है।

❍ **वाद – लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त**

तथ्य - इस मामले में प्रतिवादी का भतीजा घर से भाग गया। उसने अपने मुनीम (लालमन) को उसकी तलाश करने के लिए भेजा। जब मुनीम लड़के की तलाश करने चला गया तो उसके बाद प्रतिवादी ने इनाम देने की घोषणा की कि "जो कोई भतीजे को ढूँढ़कर लायेगा उसे 501 रूपये का इनाम दिया जायेगा।" मुनीम बच्चे को खोजकर लाया तत्पश्चात जब उसे इनाम की घोषणा का ज्ञान हुआ तब उसने इनाम प्राप्त करने का वाद दायर किया।

न्यायालय ने वाद को खारिज करते निर्णय दिया कि वह इनाम पाने का हकदार नहीं था, क्योंकि संविदा के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति होना आवश्यक है, कि वह इनाम पाने का हकदार नहीं था, क्योंकि संविदा के लिए प्रस्ताव की

Chapter – 1
Of the Communication, Acceptance and Revocation of Proposals (Section 3-9)

❍ **Section-3-Communication, acceptance and revocation of proposals-**

Can be given by an act or omission intended to give a communication.

❍ **Section 4- Communication when complete -**

- The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made.
- **The communication of an acceptance is complete —**
  - □ as against the proposer, when it is put in a course of transmission to him, so as to be out of the power of the acceptor;
  - □ as against the acceptor, when it comes to the knowledge of the proposer.
- **The communication of a revocation is complete—**
  - □ as against the person who makes it, when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it;
  - □ as against the person to whom it is made, when it comes to his knowledge.

❍ **Case - Lalman Shukla Vs. Gauri Dutt**

Fact – In this case, the nephew of the respondent ran away from the house. He sent his servant (Lalman) to look for him. When the servant went to search for the boy, after that the defendant announced a reward that "whoever finds the nephew will be given a reward of Rs 501." Lalman filed a suit to claim the reward.

The court, dismissed the suit, and held that he is not entitled to the reward, because the acceptance of an offer is necessary for the valid contract, and he is not entitled to the reward, because knowledge of offer is must only then the acceptance of the offer for the contract is valid. Contract is deemed to have

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

स्वीकृति वैध रूप से हुई तब ही मानी जाती है जब स्वीकृति प्रस्ताव की जानकारी होने के वाद की गई है। अत: जिस समय मुनीम ने भतीजे को खोजा तब उसकी जानकारी में इनाम की घोषणा नहीं थी।

- **धारा-5- प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण-**

1. संसूचना प्रस्थापक के विरूद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकेगी किन्तु उसके पश्चात नहीं।
2. संसूचना प्रतिग्रहीता के विरूद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले किसी भी समय प्रतिसंहृत की जा सकेगी किन्तु उसके पश्चात नहीं।

- **वाद - भगवानदास गोवर्धनदास केडिया बनाम गिरधारी लाल, 1966 एस.सी.**

तथ्य-इस वाद में बहुमत द्वारा निर्णित हुआ कि आंग्ल सिद्धान्त सही है और टेलीफोन द्वारा वार्तालाप तथा डाकखाने वाले नियम को बढाने का कोई कारण नही हैं।

न्यायाधीश शाह ने कहा कि संविदा अधिनियम बनाने वाले यह नही अनुमान लगा पाए होंगे कि किसी समय में टेलीफोन का भी प्रयोग होने लगेगा। इसलिए उनके शब्दो का तात्पर्य धारा-4 के शब्दो का डाक तक ही सीमित रखना चाहिए।

- **धारा-6- प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है-**

1. प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने पर।
2. प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्तियुक्त समय बीत जाने पर।
3. पुरोभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिगृहीता की असफलता पर
4. प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता के तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए।

- **वाद - अलफ्रेड शोनलैक बनाम मुथुन्याना, 1892**

तथ्य- जब प्रस्थापक, प्रस्थापना को निश्चित समय के लिए खुला रखने का करार करता है, तब भी प्रस्तावना का प्रतिसंहरण कर सकता है जब तक उसने प्रस्थापना को खुला रखने के लिए कोई प्रतिफल न ले लिया हो।

- **धारा-7- प्रतिग्रहण आत्यन्तिक होना ही चाहिए-**

प्रस्थापना को वचन में परिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण-

1. आत्यन्तिक और अविशेषित होना चाहिए।
2. प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना चाहिए।

- **वाद - हाजी मुहम्मद हाजी जिवा बनाम स्पिनर एण्ड ब्रदर्स 1900, 24 Bom**

तथ्य- इस वाद में इस सिद्धान्त की पुष्टि की गयी मुख्य न्यायाधीश जेन्किन्स ने कहा कि जब तक प्रस्थापना का

been made when acceptance has been made with the knowledge of the offer. Therefore, at the time when the servant searched for the nephew, the reward was not announced to his knowledge.

- **Section-5- Revocation of proposals and acceptances-**

1. the communication may be revoked against the proposer at any time before it is completed but not afterwards.
2. The communication against the acceptor may be revoked at any time before it is completed but not afterwards.

- **Case - Bhagwandas Govardhandas Kedia v. Girdhari Lal, 1966 SC.**

Fact-In this case it was decided by majority that the Anglo principle is correct and there is no reason to increase the rule of telephonic conversation and post office.

Judge Shah said that the makers of the Contract Act would not have been able to predict that at some point of time the telephone would also be used. Therefore, the meaning of his words should be confined to the post of the words of Section 4.

- **Section 6- Revocation how made-**

1. On communication of notice of revocation.
2. On the lapse of a reasonable time without communication of acceptance.
3. On the failure of the acceptor to fulfil the condition precedent
4. By the death or insanity of the proposer when the facts of death or insanity come to the knowledge of the acceptor before aceptance.

- **Case - Alfred Schonlac v. Muthunyana, 1892**

Fact- When the proposer agrees to keep the Proposal open for a certain period of time, he may revoke the Proposal unless he has taken any consideration for keeping the Proposal open.

- **Section 7- acceptance must be absolute-**

To convert a proposal into promise, acceptance must be -

1. absolute and unqualified
2. Be expressed in usual and reasonable manner

- **Case - Haji Muhammad Haji Ziva v. Spinners and Brothers 1900, 24 Bom**

Fact- This principle was confirmed in this case, Chief Justice Jenkins said that unless

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

आत्यन्तिक एवं अविशेषित प्रतिग्रहण न हो जाए, मामला वार्तालाप से आगे नहीं बढता और कोई भी विधिक दायित्व उत्पन्न नही होता।

- **धारा-8- शर्तो के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण-**

1. शर्तो का पालन
2. व्यतिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हैं। उसका प्रतिग्रहण प्रस्थापना का प्रतिग्रहण है।

- **धारा-9- वचन अभिव्यक्त और विवक्षित-**

1. जहाँ प्रस्थापना या प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है।
2. शब्दों से अन्यथा किया जाता है वहाँ विवक्षित होता हैं।

- **वाद - हार्वे बनाम फेसी, 1893**

तथ्य - विवक्षित संविदा के लिए मस्तिष्क का मिलन अर्थात विचारों का मिलन आवश्यक है।

❑❑❑

there is an absolute and unqualified acceptance of the proposal, the matter does not proceed beyond negotiation and no legal liability arises.

- **Section 8 - Acceptance by performing conditions, or receiving consideration-**

1. perfomace of conditions
2. The acceptance of consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of proposal.

- **Section 9 - Promise expressed and implied-**

1. Where the proposal or acceptance is made in words, the promise is said to be expressed.
2. Made otherwise than in words are implied.

- **Case - Harvey v. Facey, 1893**

Fact- For an implied contract, a meeting of minds is necessary.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 2
संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में (धारा 10-30)

❍ **धारा-10- कौन से करार संविदाएं हैं-**
सभी करार संविदाएं हैं, यदि उनमें निम्न तत्व है-

1. सक्षम पक्षकार
2. स्वतंत्र सम्मति
3. विधिपूर्ण उद्देश्य
4. विधिपूर्ण प्रतिफल
5. अभिव्यक्त: शून्य घोषित नही किए गए हो।

• **इसकी कोई भी बात निम्न पर प्रभाव नहीं डालेगी।**
(i) भारत में प्रवृत और निरसित न की गई कसी विधि पर जिसमें संविदा का लिखित रूप में या साक्षियों की उपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो,
(ii)ऐसी विधि पर जो दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो।

• यद्यपि विक्रय के सारे करार द्विपक्षीय होते है। लेकिन विक्रय-विलेख पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर पर्याप्त है ऐसा विक्रय का करार विधिमान्य एवं प्रवर्तनीय हैं। **(वाद - आलोक बोस बनाम परमात्मा देवी AIR 2009 SC)**

❍ **वाद - महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक पनन महासंघ लि. बनाम मंगा भगा चौधरी AIR 2009-**
तथ्य- यदि प्रतिवादी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार नही किया गया है तो संविदा पूर्ण नही मानी जाएगी।

❍ **वाद - मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष**
तथ्य –

☐ इस मामले में नामक ऐतिहासिक वाद में विरोधी मानसिकता को दूर करने का निर्णय दिया है कि अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं हैं। अत: अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारम्भ से ही (Ab–intio) शून्य (Void) है।

☐ इस वाद में धर्मोदास घोष नामक अवयस्क ने 20 जुलाई, 1895 को अपने कुछ मकानों को बंधक रखकर कलकत्ता के एक साहूकार ब्रह्मदत्त से (मोहरी बीबी का पति) 20,000 हजार रूपये 12 प्रतिशत ब्याज पर एक बंध-पत्र लिखकर ऋण लिया। ऋणदाता ब्रह्मदत्त इस ऋण के एवज में 10,500 रूपये की रकम तुरन्त दे दी। ब्रह्मदत्त ने धर्मोदास घोष से यह घोषणा भी लिखवा ली कि वह 17 जून को

Chapter – 1
Of Contracts, Voidable Contracts and Void Agreements (Section 10-30)

❍ **Section-10-What agreements are contracts-**
All agreement are contracts if they have following elements—

1. Competent Party
2. Free Consent
3. Lawful Object
4. Lawful consideration
5. Not expressly declared to be void.

• **Nothing herein contained shall affect the following-**
(i) Any law in force in india and not hereby repealed by which any contract is required to be made in writing or in presence of witnesses,
(ii) Any law relating to the registration of documents.

• Although all agreements of sale are bilateral. But the signature of both the parties on the deed of sale is sufficient such agreement of sale is valid and enforceable. (**Case-Alok Bose vs Paramatma Devi AIR 2009 SC)**

❍ **Case-Maharashtra State Co-operative Cotton Producers Panan Federation Ltd. v. Manga Bhaga Choudhary AIR 2009-**
Fact-If the Proposal is not accepted by the respondent, then the contract will not be considered as complete.

❍ **Case - Mohari Bibi Vs. Dharomadas Ghose**
Fact –

☐ In this landmark case, it has been decided to remove the conflicting mentality that minors are not capable of contracting. Hence, the agreement made by the minor is void from the very beginning (Ab–initio).

☐ In this case, Dharmodas Ghosh, on July 20, 1895, mortgaged some of his property and took a loan from Brahmadutt, a moneylender of Calcutta, (husband of Mohri Bibi) of 20,000 thousand rupees by writing a mortgage deed at 12 percent interest. Lender Brahmdutt immediately gave Rs.10,500 advance in lieu of this loan. Brahmadutt also made Dharmodas Ghosh to write a declaration that he had become

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

वयस्क हो गया है। 10 सितम्बर, 1895 को अवयस्क धर्मोदास घोष ने अपनी मां की संरक्षकता में उसे वाद–मित्र बनाकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया कि उसने बंध-पत्र लिखवा लिया था, तब वह अवयस्क था, अत: इस संविदा को शून्य घोषित कर दिया जाए।

- ☐ प्रतिवादी ब्रह्मदत्त ने बचाव में कहा कि बंध-पत्र लिखते समय धर्मोदास वयस्क था और तब उसे यह मालूम नहीं था कि वह अवयस्क था। अगर वह अवयस्क था भी, तो उसके द्वारा लिखा गया घोषणा-पत्र यह बताता है कि वह वयस्क था। उसने यह लिखित घोषणा प्रतिवादी को धोखा देने के लिए की थी। अतः वादी (धर्मोदास घोष) किसी प्रकार का अनुतोष (Relief) पाने का अधिकारी नहीं है। उसकी कोई सहायता न की जाये और यदि की भी जाये तो उसे (ब्रह्मदत्त) को 10,500 रुपये लौटा दिये जायें। कलकत्ता के दोनों निचले न्यायालयों ने (उच्च न्यायालय सहित) धर्मोदास के पक्ष में निर्णय दिया। इस निर्णय के विरुद्ध ब्रह्मदत्त ने प्रिवी कौंसिल में अपील की। जब अपील चल रही थी तो ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई परिणामस्वरूप उसकी पत्नी मोहरी बीबी ने अपील की कार्यवाही चलाई । प्रिवी कौंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया करार व्यर्थ (Void) है, व्यर्थनीय (vaidable) नहीं। अतः यह करार संविदा नहीं है, इसलिए न्यायालयों द्वारा करार प्रवर्तनीय नहीं होने से बंधक शून्य था और ऋण की जो रकम दे दी गई थी उसे भी वापस करने के लिए धर्मोदास घोष बाध्य नहीं है।

- ❍ **धारा-11- संविदा करने के लिए कौन सक्षम हैं-**

1. जो हर ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम हो विधि के अनुसार प्राप्तवय हो
2. स्वस्थचिन्त हो
3. किसी विधि द्वारा संविदा करने से निरर्हित न हों।

- • **अवयस्क की संविदा की प्रकृति-**अवयस्क की संविदा केवल शून्यकरणीय न होकर पूर्ण रूप से प्रारम्भतया शून्य होगी। यह हिन्दू परम्परा मे अवयस्क की संविदा की अक्षमता के अनुरूप हैं।

- ❍ **वाद - मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903- 30 कलकत्ता**

तथ्य –

- ☐ मोहरी बीबी के निर्णय के पश्चात अब यह स्पष्ट है कि अवयस्क के विरूद्ध विबन्ध नही होता । अत: यदि कोई अवयस्क आयु के बारे मे झूठ बोलकर संविदा करता है तब भी वह अपनी सही आयु बताकर छूट

an adult on 17th June. On September 10, 1895, minor Dharmodas Ghosh, under the protection of his mother, made her a next friend and filed a suit in the court that when he had signed the mortgage deed, then he was a minor, so this contract should be declared void.

- ☐ Respondent Brahmdutt defended that Dharmodas was an adult at the time of writing the bond and he was not aware that he was a minor. Even if he was a minor, the declaration written by him states that he was an adult. He made this written declaration to defraud the respondent. Therefore, the plaintiff (Dharmodas Ghosh) is not entitled to get any kind of relief. No relief should be given to him and even if it is done, Rs 10,500 should be returned to him (Brahmadutt). Both the lower courts of Calcutta (including the High Court) ruled in favor of Dharmodasa. Brahma Dutt appealed against this decision in the Privy Council. While the appeal was pending, Brahmadutt died as a result of which his wife Mohri Bibi contested the appeal proceedings. The Privy Council held that the agreement made with the minor is void and not voidable. Therefore, this agreement is not a contract, therefore the mortgage was void as the agreement was not enforceable by the courts and Dharmodas Ghosh is not bound to return the loan amount which was given to him.

- ❍ **Section-11- Who are competent to contract-**

1. Every person compelent to contract having the age of majority according to law
2. Of sound mind
3. Not to be disqualified from contracting by any law.

- • **Nature of the contract of the minor**-The contract of the minor shall not be merely voidable but shall be wholly void ab initio. This corresponds to the inability of a minor to contract in the Hindu tradition.

- ❍ **Case - Mohri Bibi v. Dharmodas Ghosh 1903- 30 Calcutta**

Fact –

- ☐ After the judgment of Mohri Bibi, it is now clear that there is no estoppel against the minor. Therefore, if a minor contracts lying about his age, he can be released by

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

सकता है, क्योंकि उसके विरूद्ध कोई विबन्ध नही होता।

- ☐ भारतीय संविदा अधिनियम विशेष रूप से संविदा के भाग्य को निर्धारित नहीं करता है, यदि यह एक नाबालिग द्वारा की की गई है। हालाँकि, यह आधिकारिक रूप से सुस्थापित है कि नाबालिग द्वारा की गई संविदा पूर्णतया शून्य हैं। एक नाबालिग कानून द्वारा लागू करने योग्य वचन नहीं कर सकता।

❍ **धारा-12- संविदा करने के प्रयोजनों के लिए स्वस्थचित क्या है-**

1. कोई व्यक्ति जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपनें हितो पर उसके प्रभाव के बारे में युक्तियुक्त निर्णय लेने में समर्थ हैं। तो वह स्वस्थचित है।
2. जो व्यक्ति प्राय: विकृतचित रहता है किन्तु कभी-कभी स्वस्थचित हो जाता है वह जब स्वस्थचित हो संविदा कर सकेगा है एवं जिस समय विकृतचित है तब वह संविदा नही कर सकता हैं।

❍ **धारा- 13- सम्मति की परिभाषा -**

- **सम्मति-** जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। सम्मति कहलाती हैं।

❍ **धारा-14- स्वतंत्र सम्मति-** सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह निम्न ढंगों से प्राप्त न की गई हों-

1. प्रपीडन द्वारा
2. असम्यक असर द्वारा
3. कपट द्वारा
4. दुर्व्यपदेशन द्वारा
5. भूल द्वारा

❍ **धारा-15- प्रपीड़न-**

1. कोई ऐसा कार्य करना या उसकी धमकी देना जो भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध हैं।
2. प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी सम्पत्ति का विधिविरूद्ध निरोध करना या धमकी देना प्रपीडन है।

- यह तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीडन दिया जाता है वहां भारतीय दंड संहिता 1860 लागू है या नहीं

❍ **वाद - चीखम अमिराजू बनाम चीखम शेषम्मा, 1977- मद्रास**

तथ्य-

- ☐ मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णीत किया कि आत्महत्या की धमकी देना धारा-15 के तहत प्रपीडन था इसलिए छूट पत्र शून्यकरणीय था परन्तु फौजदारी दावे की

stating his true age, as there is no estoppel against him.

- ☐ Indian Contract Act does not specifically lay down the fate of agreement if it has been entered into by a minor. However, it was authoritatively settled that minor's agreements is absolutely void. A minor cannot make a promise enforceable by law.

❍ **Section-12-What is a sound mind for the purposes of contracting -**

1. Any person at the time when he makes a contract, is capableto understand the contract and to make a rational judgment as to its effect on his own interests.
2. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind can make contract when he is of sound mind cannot make a contract when he is of unsound mind.

❍ **Section 13- consent defined-**

- **Consent**- when two or more person agree upon the same thing in the same sense. It's called consent.

❍ **Section 14- Free Consent -** Consent is said to be free when it is not obtained in the following ways-

1. By coercion
2. By undue influence
3. By fraud
4. By misrepresentation
5. By mistake

❍ **Section-15- Coercion-**

1. coercion is Committing or threatening to commit any act which is forbidden by the Indian Penal Code.
2. Unlawful detention or threating to detain to any person any property with a view to prejudice any person.

- It is immaterial whether IPC is in or not in force in the place where coercion is employed.

❍ **Case - Cheekam Amiraju v. Cheekam Seshamma, 1977- Madras**

Fact-

- ☐ The Madras High Court held that threatening to commit suicide was coercion under Section 15, so the waiver was voidable, but threatening to a criminal claim is not an act, which are

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

धमकी देना ऐसा कार्य नही हैं, जो भारतीय दण्ड संहिता द्वारा वर्णित हैं। जब तक कि झूठा मुकदम्मा चलाने की धमकी न दी गई हो यह विचार प्रिवी कौंसिल ने **आस्करी मिर्जा बनाम बीवी जय किशोरी, 19 के वाद** में प्रकट किया।

- ☐ विधि आयोग ने सुझाव दिया कि इसमें ऐसे कार्य को करने या करने की धमकी को भी सम्मिलित करना चाहिए जो भारतीय दण्ड संहिता के अलावा अन्य विधि के तहत दण्डनीय हैं।

❍ **वाद - रींगनायकम्मा बनाम अलवर सेट्ठी**

तथ्य –

- ☐ इस मामले में तेरह वर्षीय लड़की को, जिसका पति मर गया था। उसके पति के संबंधियों ने मृत शरीर को तब तक हटाने नहीं दिया जब तक उसने (पत्नी) उनके द्वारा बताये गये बच्चे को गोद नहीं ले लिया । पत्पश्चात् उस स्त्री द्वारा इस आधार पर दत्तक ग्रहण निरस्त करने का वाद दायर किया कि दत्तक उत्पीड़न या प्रपीड़न के अधीन था। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त दत्तक अवैध था, क्योंकि पत्नी की सम्मति ऐसे कार्य से ली गई थी जो विधि द्वारा निषिद्ध था। इस निर्णय की आलोचना की गई, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस वाद में उत्पीड़न न होकर धारा 16 के अन्तर्गत असम्यक असर था, फिर भी निर्णय स्वतंत्र सम्मति को समझने के लिए आज भी महत्वपूर्ण है।
- ☐ **"आत्महत्या की धमकी"** -इस संबंध में मतभेद है कि आत्महत्या की धमकी देना धारा 15 में वर्णित प्रपीड़न की परिभाषा में आयेगा अथवा नहीं। इस धारा के अनुसार कोई कार्य प्रपीड़न तभी हो सकता है, जबकि वह भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध हो। भारतीय दण्ड संहिता में आत्महत्या का प्रयास करना दण्डनीय है, न कि उसकी धमकी देना। इस संबंध में अम्मीराजू बनाम सेशम्म का वाद उल्लेखनीय है। इस मामले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी तथा लड़के को यह धमकी दी कि वह निर्मुक्ति बाण्ड के लिए उसके पक्ष में नहीं था फिर भी लिख दिया। इस बाण्ड को निरस्त कराने के लिए वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने आत्महत्या की धमकी को धारा – 15 के अर्थ में प्रपीड़न माना और इसलिए छूट बॉण्ड शून्यकरणीय था। इस वाद ने एक न्यायाधीश ने विपरीत मत व्यक्त करते हुए विचार व्यक्त किया कि दण्ड संहिता में आत्महत्या दण्डनीय नहीं है केवल उसका प्रयत्न दण्डनीय है। अत: जब कोई दण्डनीय न हो तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह निषिद्ध या वर्जित है।
- ☐ **हड़ताल की धमकी -** हड़ताल की धमकी का प्रपीड़न नहीं माना गया है। **वर्कमेन ऑफ एपिन टी स्टेट बनाम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल** कामगारों को बोनस की माँग, हड़ताल की धमकी के कारण मान ली गई।

described by the Indian penal code. Unless threatened with false trial, this view was expressed by Privy Council in the case of **Askari Mirza v. Biwi Jai Kishori, 19.**

- ☐ The Law Commission suggested that it should also include committing or threatening to commit any act which is punishable under a law other than the Indian Penal Code.

❍ **Case - Ranganayakamma v. Alwar Sethi**

Fact –

- ☐ In this suit a thirteen year old girl whose husband had died. The relatives of her husband did not allow the removal of the dead body until she (the wife) adopts the child mentioned by them. Thereafter a suit was filed by the woman for annulment of the adoption on the ground that the adoption was result of oppression or coercion. The Madras High Court held that the said adoption was illegal, as the wife's consent was taken in an act which was prohibited by law. This decision was criticized because, in fact, the consent was not coerced but had undue influence under Section 16, yet the judgment is still important to understand free consent.
- ☐ **"Threat of suicide"—**There is a difference of opinion as to whether the threat of suicide would fall within the definition of coercion described in section 15. According to this section, an act amount to coercion only if it is prohibited by the Indian Penal Code. Attempting suicide is punishable under the Indian Penal Code, not threatening it. In this regard, the case of Ammiraju Vs. Sesham is noteworthy. In this suit, a man threatened his wife and the boy that he was not in favor for the release bond, yet wrote it. The suit for cancellation of this bond was presented in the court. The Court considered the threat of suicide to be coercion within the meaning of section 15 and hence release bond void. In this case, a judge expressed the opposite view and expressed the view that suicide is not punishable in the penal code, only its attempt is punishable. Therefore, unless something is punishable, it cannot be said that it is forbidden or prohibited.
- ☐ **Threat of strike -** Threat of strike is not considered coercion. **Workman of Pain Tea State Vs Industrial Tribunal** The demand for bonus of workers was accepted because of the threat of strike.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

हड़ताल की धमकी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध करने की धमकी न होने और अवैध रूप से किसी सम्मति रोकने का प्रयास न होने के कारण इसे प्रपीड़न नहीं माना गया। अत: न्यायालय की राय में बोनस देने का करार विधिमान्य था।

❍ **धारा-16- असम्यक असर-**

1. जहां कि पक्षकारों के बीच विद्यमान सम्बन्ध ऐसे है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में हैं।
2. उस स्थिति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति से अऋजू फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता हैं।
3. कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिती में समझा जाता है।
   (i) जब वह अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है। ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा की जाती है-
   (ii) जो उस व्यक्ति के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में हैं।
   (iii) जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु रूग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पडा है।
4. लोकात्माविरूद्ध प्रतीत होता हैं।

उदाहरण –

अपने ग्राम के साहूकार ख का ऋणी होते हुए एक नई संविदा करके ऐसे निबन्धनों पर धन उधार लेता है जो लोकात्माविरूद्ध प्रतीत होते है। यह साबित करने का भार कि संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित नही की गयी थी, ख पर हैं।

❍ **वाद - आलकार्ड बनाम स्किनर, (1887)-36 सी.एच.डी. 145**

तथ्य- एक मस्तिष्क का दूसरे पर प्रभाव बडा मर्मस्पर्शी होता है तथा धार्मिक असर अन्य सब प्रकार के असरों से अधिक खतरनाक तथा शक्तिशाली होता हैं।

❍ **वाद - रगन्नम्मा बनाम वीरन्ना- 1931 CWN 633**

तथ्य- पर्दानशीन स्त्रियों के मामलो में असम्यक असर हो सकता है। ऐसे मामलों में यह देख लेना चाहिए कि क्या इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि पर्दानशीन महिला दस्तावेज की अर्न्तवस्तु समझ गयी थी और उसकी शर्तों से सहमत हो गयी थी।

Threat to strike was not a threat to commit an offense under the Indian Penal Code and was not an attempt to illegally obtain consent, it was not treated as coercion. Therefore, in the opinion of the Court, the agreement to pay bonus was valid.

❍ **Section-16- Undue influence-**

1. Where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the Will of the other party.
2. Uses that position to obtain unfair advantage from another person.
3. A person is deemed to be in a position to dominate the will of another when-
   (i) he holds real or apparent authority over the other.
   (ii) Who is in a fiduciary relationship with that other person.
   (iii) Makies a contract with a person Whose mental capacity is affected temporarily or permanently by reason of age, illness or mental or bodily distress.
4. Appears to be unconscionable.

Example –

A, being in debt to B, the money-lender of his village, contracts a fresh loan on terms which appear to be unconscionable. It lies on B to prove that the contract was not induced by undue influence.

❍ **Case - Allcard v. Skinner, 1887-36 C.H.D. 145**

Fact- The effect of one mind on another is very touching and the religious effect is more dangerous and powerful of all other effects.

❍ **Case - Ragannamma v. Veeranna - 1931 CWN 633**

Fact- Undue influence can occur in the matter of women who are pardanasheen. In such cases it should be seen whether there is sufficient evidence to show that the pardanasheen woman had understood the contents of the document and had agreed to its terms.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **वाद - लायडस बैक बनाम बण्डी, 1974**
तथ्य- न्यायालय ने बैंक के पक्ष मे पिता द्वारा किए गए बन्धक को असम्यक असर से प्रभावित मानते हुए बन्धक को शून्यकरणी घोषित किया।

❍ **धारा-17- ''कपट''- कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के -**
(a) एक पक्षकार द्वारा
(b) उसकी मौनानुकूलता से , या
(c) उसके अभिकर्ता द्वारा

- संविदा के कसी अन्य पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो।
- **इसके अन्तर्गत निम्न कार्य आते हैं -**

1. वह तथ्य जो सत्य नही है उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नही करता कि वह सत्य हैं।
2. तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना ।
3. कोई वचन जो पालन करने के आशय के बिना दिया गया हैं।
4. प्रवंचना करने योग्य कोई अन्य कार्य।
5. कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विशेषत: घोषित किया जाऐं विधि द्वारा।

❖ **नोट –**
मौन रहना कपट नहीं है जब तक कि परिस्थियां ऐसी न हो जिन्हे ध्यान में रखते हुए मौन रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह बोले या जब तक उसका मौन स्वत: ही बोलने के तुल्य न हो।

❍ **वाद - डेरी बनाम पीक 1889 एस.सी. 337**
तथ्य- इस मामले में इंग्लैण्ड के एक अधिनियम द्वारा एक कम्पनी के स्टीम से ट्राम चलाने की शक्ति दी गई। परन्तु यह अधिकार व्यापार बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अधीन था। कम्पनी ने बोर्ड को प्रार्थना पत्र दे रखा था और वह ईमानदारी से विश्वास करती थी कि उसे बोर्ड का अनुमोदन मिल जायेगा। अत: कम्पनी ने विज्ञापन द्वारा यह व्यपदेशन किया कि वह घोड़ों के स्थान पर भाप ट्राम चलाने के लिए अधिकृत हो बाद में बोर्ड ने भाप के प्रयोग की अनुमति नहीं दी थी। वादी ने उक्त व्यपदेशन के आधार पर कुछ अंश खरीदे। उसने कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध वाद दायर किया कि वे कपट के दोषी है। हाउस ऑफ लार्ड्स ने निर्णय दिया कि निदेशक कपट के लिए दोषी नहीं थे, क्योंकि वे ईमानदारी में विश्वास करते थे कि उन्हें बोर्ड से अनुमति प्राप्त हो जायेगी। इस वाद में लार्ड हर्सेल ने कपट की परिभाषा देते हुए कहा कि "जब कोई व्यक्ति किसी

❍ **Case - Lloyds Back v. Bundy, 1974**
Fact- The court, considering the mortgage made by the father in favor of the bank, was affected by undue influence declared the mortgage void.

❍ **Section 17- "Fraud" - Any act which is done by -**
(a) a party to a contract or
(b) with his connivance, or
(c) by his agent

- With intent to deceive another party thereto, or his agent, or to induce him to enter into the contract.
- **It includes any of the following acts:-**

1. A fact that is not true is suggested by a person who does not believe it to be true.
2. Active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact.
3. A promise made without any intention to perform.
4. Any act fitted to deceive.
5. Act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

❖ **Note –**
Mere Silence is not a fraund, unless the circumstances are such that it is the duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is in itself equivalent to speech.

❍ **Case - Derry v. Peak 1889 sc. 337**
Fact - In this case, by an Act of England, a company was given the authority to run a tram on steam. But this right was subject to approval by the Board of Trade. The company had submitted an application to the Board and it sincerely believed that it would get the approval of the Board. Therefore, the company published through advertisement that it is authorized to run steam trams in place of horses, later the board did not allow the use of steam. The plaintiff purchased some shares on the basis of the said representation. He filed suit against the directors of the company that they were guilty of fraud. The House of Lords ruled that the directors were not guilty of fraud, as they sincerely believed that they would obtain permission from the board. In

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

ऐसी बात के सत्य होने का कथन करता है, जिसके सत्य होने के बारे में उसका विश्वास नहीं हैं या ऐसा विश्वास करने का उसके पास युक्तियुक्त आधार नहीं है और ऐसे कथन से उत्प्रेरित होकर कोई अन्य व्यक्ति (पीड़ित व्यक्ति) प्रवंचना के लिए वाद लाने का हकदार हो जाता है। इस वाद में निदेशक कपट के दोषी के लिए इसलिए नहीं थे, क्योंकि सद्भावना से उन्हें विश्वास था कि इंग्लैण्ड के सदन द्वारा अनुमति हो जाने पर बोर्ड ऑफ ट्रेड अपनी अनुमति दे ही देगा। इस प्रकार जान बूझकर दुर्व्यपदेशन करने वाला व्यक्ति ही कपट का दोषी होगा और सद्भावना से पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति कपट का दोषी नहीं माना जायेगा।

- **वाद - श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र**

तथ्य-

- इस मामले में विश्व विद्यालय ने अपीलार्थी (श्री कृष्ण) का परीक्षा प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया। इसके पूर्व विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी को एल-एल.बी. (द्वितीय वर्ष) की परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अपीलार्थी किसी नौकरी में था तथा उससे कहा गया कि वह अपने सेवा नियोजक से अनुमति प्राप्त करके विश्वविद्यालय को प्रेषित करे। अपीलार्थी ने उक्त अनुमति प्रेषित नहीं की थी, परन्तु यह वचन दिया था कि यदि उसे अपने सेवा नियोजक द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी, तो वह उस निर्णय से बाध्य होगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में लिया जायेगा। इस वचन के आधार पर, अपीलार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी। यह अनुमति 19 मई, 2009 को प्रदान की गई थी । 20 जून, 2009 को उसने कहा कि जिस देश में उसने उक्त वचन दिया था, वह प्रभावहीन हो गया है, क्योंकि उस समय वह नौकरी में नहीं रहा तथा उसने प्रार्थना की कि वह उसका परीक्षाफल घोषित किया जाये। 26 जून, 2009 को विश्वविद्यालय ने अपीलार्थी को सूचित किया कि एल-एल.बी (प्रथम वर्ष) में उसकी उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के कारण उसकी प्रथम वर्ष की परीक्षा रद्द की जाती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि यदि विभागाध्यक्ष अथवा विश्वविद्यालय प्राधिकारी किसी ने भी अपीलार्थी के फार्म को सावधानी पूर्वक जाँच नहीं की जो अपीलार्थी द्वारा कपट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह भली-भाँति स्थापित है कि यदि जिस व्यक्ति पर कपट किया जाता

this case, Lord Herschel, gave the definition of fraud, laid down that "when a person claims to be true of something which he himself does not believe to be true, or does not have a reasonable ground to believe so, and some other person (the aggrieved person) being induced by such statement becomes entitled to sue for deceit. In this suit the directors were not guilty of fraud, because they believed in good faith that the Board of Trade would give its consent to the House of England. Only the person making the misrepresentation so willfully will be guilty of fraud and the person acting in good faith will not be guilty of fraud.

- **Case - Shri Krishna Vs. Kurukshetra University, Kurukshetra**

Fact –

- In this case, Vishwa Vidyalaya accepted the examination application of the appellant (Shri Krishna). Prior to this, the University granted the permission appellant to give L-L.B. (2nd year) examination. The appellant was in some employment and was asked to obtain permission from his service employer and send it to the University. The appellant had not sent the said permission, but had given undertaking that if he could not get permission from his service employer, he would be bound by the decision which would be taken by the University in this regard. Based on this undertaking, the appellant was allowed to appear in the examination. This permission was granted on May 19, 2009. On June 20, 2009, he said that the undertaking in which he had made the said promise has become ineffective as he was no longer in service and prayed that his result be declared. On 26th June, 2009 the University informed the appellant that his first year examination is cancelled due to low percentage of his attendance in L-LB (1st year).
- The Supreme Court, while accepting the appeal of the appellant, said that if the Head of the Department or the University authority did not examine the form of the appellant carefully, then the question of fraud by the appellant does not arise. It is well established that if the person who is being cheated is in a position to discover the truth with little effort, then that fraud

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

है, वह मामूली परिश्रम से सत्य की खोज करने की स्थिति में है तो वह कपट सिद्ध नहीं माना जायेगा। अपीलार्थी ने विश्वविद्यालय अधिकारियों को कभी नहीं लिखा कि उसकी कक्षा में उपस्थिति निर्धारित संख्या में थी। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के पास उक्त दोष का पता लगाने का यथेष्ट समय था। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा एक बार अनुमति प्रदान किये जाने पर विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार उक्त अनुमति वापस नहीं ली जा सकती थी। अत: न्यायालय ने द्वितीय वर्ष में बैठने से मना करने का विश्वविद्यालय का ओदश रद्द किया तथा प्रथम वर्ष के बकाया प्रश्न - पत्रों की आगामी परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने का आदेश भी विश्वविद्यालय को दिया।

- **वाद - लाईफ इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया बनाम परमानेन्ट लोक अदालत,AIR 2009 NOC 467**

  तथ्य- बीमा करने वाले व्यक्ति ने बीमा के लिए आवेदन करते समय अपने ह्रदयरोग को छिपाया, जबकि वह उस समय चिकित्सा अवकाश पर भी था। यह मिथ्या व्यपदेशन एवं कपट था।

- **वाद - वार्ड बनाम हाबस, 1889**

  तथ्य- नीलामी द्वारा सुअर बेची गई । नीलामकर्ता को यह मालूम था कि वे ज्वर से पीडित थी किन्तु उसने यह तथ्य क्रेता को नही बताया। सुअरें सभी त्रुटियों सहित बेची गयी थी न्यायालय ने नीलामीकर्ता को कपट के लिए दोषी नही ठहराया।

- **वाद - फिलिप्स बनाम ब्रुक्स**

  तथ्य – इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि नार्थ नामक एक ठग एक जौहरी की दुकान में गया और कुछ आभूषण चुनने लगाा, उसने अपने आपको सर जार्ज बुल्लो बताते हुए चैक द्वारा उनका भुगतान किया। जौहरी सर चार्ज बुल्लो के नाम से परिचित था, लेकिन उन्हें कभी नहीं देखा था। नार्थ ने आभूषणों को एक अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया। यह निर्णय दिया कि आभूषणों को गिरवी रखने वाले व्यक्ति से वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें ठग नार्थ व्यक्तिगत रूप से जौहरी के सामने उपस्थित था, जिसे पहचाना जा सकता था। इसलिए यहॉ पक्षकार की पहचान के संबंध में कोई भूल नहीं थी, हाँ कपट एवं दुर्व्यपदेशन अवश्य था।

- **धारा-18- दुर्व्यपदेशन-**

1. उस बात का, जो सत्य नहीं है, ऐसे प्रकार से किया गया निश्चयात्मक प्राख्यान जो उस व्यक्ति की, जो उसे करता है, जानकारी से समर्थित न हो, यद्यपि वह उस बात के सत्य होने का विश्वास करता हो;

will not be proved. The appellant never wrote to the university authorities that his class attendance was within the prescribed number. The university authorities had ample time to find out the said defect. In these circumstances, once the permission was granted by the University, as per the University Act, the said permission could not be withdrawn. Therefore, the court quashed the order of the university to refuse to enroll in the second year and also ordered the university to grant permission to sit in the upcoming examination of the outstanding examinations of the first year.

- **Case - Life Insurance Corporation of India v. Permanent Lok Adalat, AIR 2009 NOC 467**

  Fact - The insured person hides his heart disease while applying for insurance while he was also on medical leave at that time. It was a misrepresentation and a fraud.

- **Case - Ward v. Hobbs, 1889**

  Fact - Pig was sold by auction. The auctioneer knew that she was suffering from fever but did not disclose this fact to the buyer. The Pigs were sold with all errors, but the court did not hold the auctioneer guilty of fraud.

- **Case - Phillips Vs. Brooks**

  Fact - In this case, a thug named North went to a jeweler's shop and started picking some jewellery, he paid them by cheque posing himself as Sir George Bullough. The jeweler was familiar with the name Sir George Bullough, but had never seen him. North pawned the jewellery to another person. It was held that the jewellery could not be recovered back from the pawnee, as the thug North was personally present in front of the jeweler, who could be identified. Therefore, there was no mistake regarding the identity of the party, however there was fraud and misrepresentation.

- **Section-18-Misrepresentation-**

1. the positive assertion, in a manner not warranted by the information of the person making it, of that which is not true, though he believes it to be true;

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

2. प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को, जो उसे करता है, या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को ऐसा भुलावा देकर पहुंचाए, जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;
3. करार के पक्षकारों से उस पदार्थ के बारे में भूल कराना, जो उस करार का विषय हो चाहे कितना ही सरल भाव क्यों न हो।

❍ **वाद - मोहन लाल बनाम गंगाजी कांटन मिल्स, 1930**
तथ्य- बिना उचित कारण के, सत्य मानकर दिए गए वक्तव्य यद्यपि वे सत्य नही होते हैं क्योंकि विश्वास का युक्तियुक्त आधार नही होता है।

जैसे –
श्रुतिमात्र के आधार पर दिया गया वक्तव्य निराधार माना जाता हैं।

- **दुर्व्यपदेशन के आवश्यक तत्व-**

1. ऐसी बाते कहना जो सत्य नही है, परन्तु उसे कहने वाला उन्हे सत्य समझता हैं।
2. कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो करने वाले को कुछ लाभ दे तथा दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव पडें।
3. करार के किसी पक्षकार से करार के विषय के बारे में भूल कराना।

❍ **वाद - क्यूरी बनाम रैनिका, 41PR 1886-**
तथ्य- एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को घोडी बेची। विक्रय के पूर्व विक्रेता ने कहा कि घोडी स्वस्थ है जबकि वह स्वस्थ नही थी, यद्यपि वह उसे स्वस्थ समझता था। न्यायालय ने दुव्यपदेशन के आधार पर संविदा को शुन्यकरणीय ठहराया।

- **कपट और दुर्व्यपदेशन में समानता-**

1. कपट और दुर्व्यपदेशन दोनों संविदा को शून्यकरणीय बनाते हैं।
2. दोनों मे तथ्यों के बारे में गलत प्राख्यान होता हैं।
3. मौन द्वारा कपट किया गया हो।

2. any breach of duty which, without an intent to deceive, gains an advantage to the person committing it, or any one claiming under him; by misleading another to his prejudice, or to the prejudice of any one claiming under him;
3. causing, however innocently, a party to an agreement, to make a mistake as to the substance of the thing, which is the subject of the agreement, however innocently.

❍ **Case - Mohan Lal v. Gangaji Cotton Mills, 1930**
Fact - Statements made without any sufficient cause, even though they are not true, because there is no reasonable basis for its belief.

Example –
The statement made on the basis of hearing only is considered to be ground less.

- **Essential elements of misrepresentation-**

1. stating such things which are not true, but the person stating them considers them to be true.
2. Any breach of duty which may give some benefit to the doer and adversely affect the other.
3. causing a party to the agreement to make mistake about the subject matter of the agreement.

❍ **Case - Quiri v. Rainica, 41PR 1886-**
Fact- A man sold a horse to another person. Before the sale the seller said that the mare was healthy while she was not healthy, though he considered her to be healthy. The court held the contract voidable on the ground of misrepresentation.

- **Similarities between fraud and misrepresentation-**

1. Both fraud and misrepresentation can make the contract voidable.
2. Both contain false assertion of about facts.
3. fraud by silence.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **कपट और दुर्व्यपदेशन में अन्तर -**

	कपट धारा-17	दुर्व्यपदेशन धारा - 18
1	कपट आशय से किया जाता हैं।	जबकि दुर्व्यपदेशन भोलेपन से भी किया जा सकता है।
2	कपट संविदा को शुन्यकरणीय बनाने के अतिरिक्ति एक दुष्कृति भी है जिसके लिए प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता हैं।	जबकि दुर्व्यपदेशन दुष्कृति नहीं हैं।
3	परंतु मौन द्वारा कपट को छोडकर अन्य ढंग से कपट में कोई बचाव उपलब्ध नही होता।	दुर्व्यपदेशन के विरूद्ध यह बचाव उपलब्ध रहता है कि वह साधारण तत्परता से सत्य जान सकता था
4	कपट में किसी तथ्य का सुझाव देने वाला इसकी सत्यता में विश्वास नही करता हैं।	जबकि व्यपदेशन में वह उसकी सत्यता में विश्वास करता हैं।

❍ **धारा-19-स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की-**

- **शुन्यकरणीयता-** जब किसी करार के लिए सम्मति प्रपीडन, कपट, या दुर्व्यपदेशन से कारित हो तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शुन्यकरणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई।

❖ **अपवाद –**

सम्मति दुर्व्यपदेशन द्वारा या ऐसे मौन द्वारा जो धारा-17 के अर्थ के अन्तर्गत कपटपूर्ण है ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नही हैं। यदि पक्षकार को सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन हो।

❍ **वाद - कोठ एण्ड यूनिवर्सल फाइनेस क. लि. बनाम कोल्डवेल, 1965**

तथ्य - शून्यकरणीय संविदा के विखण्डन करने पर दूसरे पक्षकार को नोटिस देना होता हैं। परन्तु जब दूसरा पक्षकार नहीं मिल सकता हैं, तो लोक सूचना द्वारा नोटिस दिया जा सकता हैं।

❍ **धारा-19(क)- असम्यक् असर से उत्प्रेरित संविदा को अपास्त करने की शक्ति-**

- जब कि किसी करार के लिए सम्मति असम्यक् असर से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार

❍ **Difference between fraud and misrepresentation**

	Fraud Section-17	Misrepresentation Section - 18
1	Fraud is committed with intention.	While the misrepresentation can be committed innocently.
2	Apart from making a fraud contract voidable, fraud is also a wrong for which compensation can be obtained.	Whereas misrepresentation is not a wrong.
3	defence is not available in fraud other than by silence.	The defence against misrepresentation is provided that he could have known the truth with ordinary diligence.
4	The person suggesting a fact in a fraud does not believe in its truth.	Whereas in the Misrepresentation he believes in its truth.

❍ **Section 19 - Voidability of agreements without free consent** -When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, or misrepresentation, that agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused.

❖ **Exception** –

Consent caused by misrepresentation or by silence is not viodable which is fraudulent within the meaning of section 17. If the party had the means of discovering the truth with ordinary diligence.

❍ **Case - Koth & Universal Finance Co. Ltd. v. Coldwell, 1965**

Fact - notice shall be givento the other party on rescission of voidable contract. But when the other party cannot be found, then notice may be given by public notice.

❍ **Section-19(A) Power to set aside contract induced by undue influence—**

- When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई है।

- ऐसी कोई भी संविदा या तो आत्यन्तिकत: अपास्त की जा सकेगी या यदि उस पक्षकार ने, जो उसके शून्यकरणीय का हकदार हो, तद्धीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तो ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों।

शून्य करार -

❍ **धारा- 20- जब कि दोनों पक्षकार तथ्य की बात सम्बन्धी भूल में हों तब करार शून्य है -** जहां करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हो एवं ऐसे तथ्य करार के लिए मर्मभूत हो करार शून्य होगा।

❖ **स्पष्टीकरण —**
जो चीज करार की विषयवस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय, तथ्य की बात के बारे में भूल नहीं समझी जाएगी।

- संविदा के अधीन भूल को तीन भागो मे बांटा गया हैं।

1. पारस्परिक भूल
2. सामान्य भूल
3. एकपक्षीय भूल

- **भूल तीन प्रकार की होती हैं-**

1. पक्षकारों को पहचानने में भूल
2. विषय वस्तु की पहचान से सम्बन्धित
3. संव्यवहार की प्रकृति से सम्बन्धित

❍ **वाद - आई.टी.सी. बनाम जोर्ज जोसफ फर्नाण्डीस, AIR 1989 SC 839**
तथ्य- दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की भूल संविदा समाप्त करने का वैध आधार हैं।

❍ **वाद - एम्. रत्न्म् बनाम श्रीमती सुशीलाम्मा, AIR 2009-**
तथ्य- जहाँ तथ्य के बारे में दोनो पक्षकारों की पारस्परिक भूल हों, वहाँ संविदा धारा-20 के अन्तर्गत शून्य समझी जाएगी।

❍ **धारा-21- विधि के बारे की भूलों का प्रभाव-**

- कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नही है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे की किसी भूल के कारण की गयी थी,
- किन्तु ऐसी विधि के बारे में जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, किसी भूल का वहीं प्रभाव होगा जो तथ्य की भूल का है।

voidable at the option of the party whose consent was so caused.

- Any such contract may be set aside either absolutely or, if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder, upon such terms and conditions as to the Court may seem just.

Void Agreement -

❍ **Section 20 Agreement void where both parties are under mistake as to matter of fact—**Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement, the agreement is void.

❖ **Explanation—**
An erroneous opinion as to the value of the thing which forms the subject-matter ofthe agreement, is not to be deemed a mistake as to a matter of fact.

- Under the contract, the mistake is divided into three parts.

1. Mutual mistake
2. Common Mistakes
3. Unilateral Mistake

- **There are three types of mistakes-**

1. Mistake related in identifying the parties
2. related to the identification of the subject matter
3. relating to the nature of the transaction

❍ **Case - ITC v. George Joseph Fernandes, AIR 1989 SC 839**
Fact - Mistake of fact by both parties is a valid ground for recission of the contract.

❍ **Case - M. Ratnam v. Smt. Sushelamma, AIR 2009-**
Fact - Where there is mutual mistake of fact by both the parties the contract shall be deemed to be void under Section 20.

❍ **Section 21 - Effect of mistakes as to law-**

- A contract is not voidable by reason of any mistake of law inforce in India,
- But a mistake as to law not in force in India has the same effect as a mistake of fact.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❖ **नोट –**
यह धारा इस सामान्य सिद्धान्त को समाहित करती है कि विधि की भूल क्षम्य नही हैं।

❍ **वाद - साहिबान बीबी बनाम माधोलाल**
तथ्य - इस वाद मे विधवा को अपने पति का अधिभोग अधिकार प्राप्त था। पुन: विवाह करने पर उसने सोचा कि उसका यह अधिकार समाप्त हो गया और उसने जमीदार से उसी के अधिक लगान पर पट्टे पर लेने की संविदा की। न्यायालय ने निर्णित किया कि करार विधि की भूल के अधीन किया गया था। अत: संविदा शून्यकरणीय नही थी और पट्टे को रद्द नही किया जा सकता।

❍ **धारा- 22 एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे की भूल से कारित संविदा**— संविदा इस कारण शून्यकरणीय नही होगी कि वह दोनों पक्षकारों मे से एक पक्षकार के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी।

❍ **धारा-23 कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं-** करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जब कि-
1. विधि द्वारा निषिद्ध हो
2. करार ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंध को विफल कर देगा।
3. कपटपूर्ण हों।
4. उसमें के शरीर या सम्मति को क्षति अन्तर्वलित हो।
5. अनैतिक या लोक नीति के विरूद्ध हो। उपरोक्त परिस्थितियों में किया गया करार विधिविरूद्ध है। ऐसे करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधिविरूद्ध है वह शून्य होगा।

❍ **वाद - नंदलाल बनाम जे. विलिम्यस, 171 जे.सी. 948**
तथ्य- इस मामले में वादी ने एक शराब की दुकान खोलने के लिए उत्पादन शुल्क अधिनियम के अंतर्गत एक लाइसेंस प्राप्त किया। इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस का अंतरण या उप पट्टा वर्जित था। दुकान साझेदारी में चलाना वर्जित था। दुकान चलाने के लिए वादी ने प्रतिवादी के साथ साझेदारी का करार किया।

❍ **वाद - फतेह सिंह बनाम सांवल सिंह, (1878) All 751**
तथ्य- न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा अपने जमानत के लिए किसी व्यक्ति को 5000 रूपये देने का करार किया कि वह उसके लिए 5000 रूपये जमानत दे शून्य हैं, क्योंकि इससे दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित जमानत के उद्देश्य को विफल कर देगा कि कोई व्यक्ति

❖ **Note –**
This section includes the general principle that the mistake of law is not excusalbe.

❍ **Case – Sahiban Bibi v. Madholal**
Fact - In the case widow had the right of occupation of her husband. On re-marriage, she thought that hes right was over and she made a contract with the zamindar to take him on lease at a higher rent. The Court held that the agreement was made under mistake of law. Hence, the contract was not voidable and the lease cannot be cancelled.

❍ **Section 22 Contract caused by mistake of one party as to matter of fact**—A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to a matter of fact.

❍ **Section-23 What considerations and objects are lawful, and what not -** The consideration or object of an agreement is lawful, unless—
1. forbidden by law
2. The agreement shall be of such a nature that it, if permitted would defeat the provision of any law.
3. is fraudulent.
4. Involves or implies injury to the person or property of another.
5. is Immoral or against public policy An agreement under above circumstances is unlawful. Every agreement of which object or consideration is unlawful is void.

❍ **Case - Nandlal v. Williamson, 171 JC. 948**
Fact- In the suit, the plaintiff obtained a license under the Excise Act for opening a liquor shop. Transfer or sub-lease of license was prohibited under said Act. Running shop in partnership was prohibited. The plaintiff entered into a partnership agreement with the defendant for running the shop. The Court held that the said agreement was void and unenforceable as it was barred by law.

❍ **Case - Fateh Singh v. Sanwal Singh, 1878 All 751**
Fact- The Court held that an agreement by the accused to pay rs. 5000 to a person for his bail that grant him Rs. 5000 is void, as it would defeat the purpose of bail provided in the code of criminal procedure that a person

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अपने ही जोखिम पर अभियुक्त की उपस्थिति की जिम्मेदारी लें।

- **धारा-24- यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागत: विधिविरूद्ध हो तो करार शून्य होंगे -** यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से एक या किसी एक का कोई भाग विधिविरुद्ध हो तो करार शून्य है।
- **वाद - पुनू बीबी बनाम फयाज बक्श, (1874) ISBLR APP 5**

  तथ्य- एक मुसलमान पति ने अपनी पत्नी से करार किया कि वह अपनी कुल कमाई पत्नी को देगा और उससे पूछे बगैर कोई कार्य करेगा तो उसे तलाक देने का अधिकार होगा। न्यायालय ने तलाक देने वाले खण्ड को जो कि विधिविरूद्ध था को अलग कर शेष भाग को लागू किया तथा कहा कि उसे केवल भरण-पोषण भत्ता पाने का हकदार था न कि पति की कमाई का एक-एक सिक्का जो कि वह कमा सकेगा।
- **धारा - 25- प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिय प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा कारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो।**
- प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है सिवाय जबकि वह -
  (1) लिखित रूप में अभिव्यक्त हो,
  (2) विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो,
  (3) निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो।
    (a) जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले ही कोई बात कर दी है।
    (b) ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था।
  (4) लिखित और हस्ताक्षरित वचन, जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा वारित ना होने की दशा में लेनदार या उसका अभिकर्ता करा लेता है।

  उपरोक्त दशा में ऐसा हर एक करार संविदा है।
- **वाद - राजलखी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी, 1900**

  तथ्य- पति पत्नी आपसी झगडों के कारण साथ नहीं रह सकते, तो यह नही कहां जा सकता कि उनके बीच कोई प्रेम तथा स्नेह है। अत: करार प्रतिफल रहित होने के कारण शून्य हैं।

may take responsibility for the presence of the accused at his own risk.

- **Section-24 - Agreement void, if considerations and objects unlawful in part-** If any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several considerations for a single object, is unlawful, the agreement is void.
- **Case - Punu Bibi v. Fayaz Baksh,(1874) ISBLR APP 5**

  Fact- A Muslim husband made an agreement with his wife that he would have the right to divorce his wife with his net worth. The court applied the remaining part by setting aside the clause granting divorce which was unlawful and held that she was entitled to maintenance allowance only and not every coin of the husband's earnings that she would be able to earn.
- **Section 25- Agreement without consideration, void, unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law.**
- Agreement without consideration is void, unless -
  (1) Expressed in writing
  (2) Registered under the law
  (3)Made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other.
    (a) a person who has already voluntarily done something for the promise or
    (b) something which the promise was legally compellable to do
  (4) A promise made in writing and singed by the person to be charged there with or by his agent to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment but for the law of limitation of suits.

  In all above circumstances, every agreement is contract
- **Case - Rajlakhi Devi v. Bhootnath Mukherjee, 1900**

  Fact- Husband and wife cannot live together due to mutual quarrels, so it connot be said that there is any love and affection between them. Hence, an agreement is void because it is without consideration.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **वाद - केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद**

  तथ्य- इस मामले में लोगों ने यह निश्चय किया कि हाबड़ा में एक टाउन हाल बनाया जाए बशर्ते ये हैं कि इसके हेतु उचित धन इकट्ठा हो जाए। वादी एक म्यूनिसिपल कमिश्नर था तथा हाबड़ा टाउन हाल फण्ड का एक न्यासी भी था। जब लोगों द्वारा दिये गये दान से कुछ धन इकट्ठा हुआ तो कई कमिश्नरों ने (जिनमें वादी भी शामिल था) एक ठेकेदार से टाउन हॉल के निर्माण के लिए यह संविदा की। प्रतिवादी से भी दान के लिए प्रार्थना की गई और पुस्तिका में अपने नाम के आगे 100 रूपये दान देने को लिखवाया। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी पर 100 रूपये देने का उत्तरदायित्व था क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर वादी ने एक दायित्व लिया था और प्रतिवादी को इस बात का ज्ञान था। न्यायालय के अनुसार इन परिस्थितियों में एक वैध संविदा का निर्माण हुआ। अत: प्रतिवादी बाध्य था कि वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें।

- **वाद - अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली**

  तथ्य - इस मामले में प्रतिवादी मुंशी अब्दुल करीम के उत्तराधिकारी थे। मुंशी करीम ने अपने जीवन काल में एक मस्जिद की मरम्मत के लिए 500 रूपए देने का वादा किया था परन्तु इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि मस्जिद की मरम्मत के लिए वादी ने कोई भी कार्य शुरू नहीं किया था, अथवा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लिया था इसी तरह एक अन्य उदाहरण द्वारा भी इस बिन्दु को स्पष्ट किया जा सकता है – A विदेशी यात्रा पर जाने से पूर्व B को अपनी सम्पत्ति की देखरेख का कार्य सौंपा जाता है और बदले में उसे 1000 रूपए देने का वचन देता है। यहाँ B द्वारा सम्पत्ति की देखरेख का कार्य प्रतिफल की परिभाषा में आता है।

- **वाद - श्रीमती नारायणी देवी बनाम टैगोर कॉमर्शियल लि.**

  तथ्य - इस मामले में निर्धारित किया गया था कि यह नियम भारत के सुप्रीम कोर्ट ने **खुशहाल भाई महीजी भाई पटेल बनाम मैसर्स मोहम्मद हुसैन रहीम बक्स** में भी प्रतिपादित किया गया। इस वाद में अपीलार्थी ने तम्बाकू के 225 डिब्बों के लिए प्रत्यार्थी के विरुद्ध 38,718 रूपए प्राप्त करने के लिए वाद चलाया। उक्त क्रय तथा विक्रय के लिए कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। इस वाद में नीचे के न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या पक्षकारों के मध्य कोई संविदा की सामीप्यता थी। न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाँ में उत्तर देते हुए अपना निर्णय अपीलार्थी के पक्ष

- **Case - Kedarnath vs. Gauri Mohammad**

  Fact- In this case, people decided that a town hall should be built in Howrah, provided that proper funds are collected for this. The plaintiff was a municipal commissioner and also a trustee of the Howrah Town Hall Fund. When some money was raised from the donations made by the several people including plaintiff commissioner made contract with a contractor for the construction of the town hall. Respondent was also requested for donation and got written his name in the booklet to donate Rs.100. In this suit, the court ruled that the defendant was liable to pay Rs 100 because the plaintiff had suffered a liability on the basis of his promise and the defendant had knowledge of this. According to the Court of Justice, a valid contract was created in these circumstances. Therefore, the respondent was bound to keep his promise.

- **Case - Abdul Aziz Vs. Masoom Ali (Abdul Aziz Vs. Masum Ali)**

  Fact - The defendant in this case was the successor of Munshi Abdul Karim. Munshi Karim had promised to pay 500 rupees for the repair of a mosque during his lifetime, but in this case, the court decided that the defendant was not liable, as the plaintiff had not started any work for the repair of the mosque on promise of respondent, or no one taken responsiblity, similarly this point can be clarified by another example - A before going on a foreign trip entrusted, B with the task of looking after 'A's property and in return 'A' makes a promise to give 1000 rupees to 'B'. Here the act of taking care of the property by B comes under the definition of consideration.

- **Case - Mrs. Narayani Devi Vs. Tagore Commercial Ltd.**

  Fact – It was laid down in the suit. This rule was also propounded by the Supreme Court of India in **Khushal Bhai Mahiji Bhai Patel Vs M/s Mohammad Hussain Rahim Bux**. In this suit, the appellant proceeded against the respondent to get Rs 38,718 for 225 boxes of tobacco. No deed was executed for the said purchase and sale. The question before the Court below in this suit was whether there was any privity of contract between the parties. To answer this question, the court gave its decision in favor of the appellant in affirmation. But the High Court reversed this

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

में दिया। परन्तु हाइकोर्ट ने इस निर्णय को उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के निर्णय को गलत बताते हुए नीचे न्यायालय के निर्णय को बहाल करते हुए उक्त नियम का प्रतिपादन किया।

- **धारा-26 विवाह का अवरोधक करार शून्य है -** हर ऐसा करार जो अप्राप्तवय से भिन्न व्यक्ति के अनुसार विवाह का अवरोधक है शून्य है।
- **वाद - राओ रानी बनाम गुलाब रानी, AIR 1942 All 890 और,**

  लताफातुलिया बनाम शधबानू बेगम,AIR 1932 Qudh 108

  तथ्य- इसी प्रकार यह करार कि फिर से शादी करने पर विधवा का भरण पोषण पाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। विधिमान्य निर्णीत हुआ।
- **वाद - लो बनाम पियर्स**

  तथ्य-
  - इस मामले में एक व्यक्ति ने वादी से प्रतिज्ञा की कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेगा तथा यदि ऐसा करता है तो वादी को ऐसा करने के तीन महीने के अन्दर 200 पौंड देगा। न्यायालय ने इस करार को लोकनीति के विरुद्ध मानकर शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने इसे विवाह का करार भी माना, क्योंकि यह विवाह में पूर्ण अवरोध लगाती है।
  - जबकि भारत में विवाह पर अवरोध लगाने वाले करार शून्य है, चाहे प्रतिबंध पूर्ण हो या आंशिक हो। भारत में इस प्रकार का भेद नहीं किया गया।
- **धारा-27 - व्यापार का अवरोधक करार शून्य है —**हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या कारबार करने से अवरूद्ध किया जाता हो, उस विस्तार तक शून्य हैं।

❖ **अपवाद –**

जिस कारबार की गुडविल बेच दी गई है उस कारबार को न चलाने के करार की व्यावृत्ति- वह व्यक्ति जो गुडविल का विक्रय करता है क्रेता से यह करार करेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर उसी के जैसा कारबार नहीं चलाएगा।

- **वाद - मेसर्स गुजरात बाटलिग कम्पनी बनाम कोका कोला कं. AIR 1995 SC**

  तथ्य- एकपक्षीय करारों को छोडकर सामान्यत: व्यापार के अवरोध का सिद्धान्त उन मामलों पर लागू नही होता

decision. Describing the decision of the High Court as wrong, the Supreme Court propounded the said law while restoring the decision of the Lower Court.

- **Section-26 Agreement in restraint of marriage, void -** Every agreement in restraint of the marriage of any person, other than a minor, is void.
- **Case - Rao Rani v. Gulab Rani, AIR 1942 All 890 and,**

  Latafatulia v. Shadhabanu Begam, AIR 1932 Qudh 108

  Fact-Similarly, the agreement that on remarriage, the widow's right to get maintenance will cease is declared legal.
- **Case - Law Vs. Peers**

  Fact-
  - In this suit plaintiff promised not to marry a woman other than her and, if do so, to pay 200 pounds to the defendant within three months of doing so. The court declared this agreement to be void as it was against public policy. The court also considered it to be a contract of marriage, as it imposes a complete restraint to the marriage.
  - Whereas in India the agreement in restraint of marriage is void. Whether the restraint is absolute or partial. In India no such distinction was made.
- **Section 27 Agreement in restraint of trade, void**— Every agreement by which any one is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind, is void to that extent.

❖ **Exception** –

Saving of agreement not to carry on business of which good-will is sold-A person who sells goodwill shall enter into an agreement with the purchaser to refrain from carrying on such business within specified local limits.

- **Case - M/s Gujarat Bottleneck Company v. Coca-Cola Co. AIR 1995 SC**

  Fact-Except in unilateral agreements, generally the principle restraining trade does not apply in cases where the restriction is implemented during the period of existence

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

जहां प्रतिबन्ध का क्रियान्वयन संविदा के अस्तित्व की अवधि में होता हैं। और यह उन प्रतिबन्धों के क्रियान्वयन पर लागू होता हैं। जो संविदा समाप्ति के बाद होते हैं।

❍ **वाद - पोथीराम बनाम इस्लाम फातिमा,AIR 1915**

तथ्य- न्यायालय ने दो जमींदारों के बीच करार किया कि महीनें में कुछ दिन एक तथा बाकी दिन दूसरा अपनी जमीन मवेशियों के लिए किराये पर देगा। तब ऐसे करार को वृत्ति, व्यापार या कारबार के अवरोध मे नही माना जाएगा।

❍ **धारा-28 विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार-**

- हर करार, जिससे उसका कोई पक्षकार संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारो को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित करने से आत्यंतिकत: अवरूद्ध किया जाता है या जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता हैं। परिसीमित हैं।
- जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को निर्वापित कर देता है या उसके किसी पक्षकार को किसी दायित्व से उन्मोचित कर देता है, जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से अवरुद्ध हो जाए, उस विस्तार तक शून्य है।
- धारा- 28 दो तरह के करारों को शून्य बनाती हैं-
  1. ऐसा करार जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसके अपने विधिक अधिकार जो संविदा द्वारा उत्पन्न हुये हैं विधिक कार्यवाहियों द्वारा लागू करने से आत्यान्तिक वंचित कर दिया जाए।
  2. ऐसा करार जो किसी संविदा के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले किसी पक्षकार के अधिकारों या दायित्वों को एक निश्चित समय के निकल जाने के पश्चात समाप्त हो या लागू करवाने में बाधा डालते हों।
- इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 28 तभी लागू होगी जब वाद लाने के अधिकार पर आत्यांतिक प्रतिबन्ध लगाया गया हो अत: भागत: प्रतिबन्ध वैध है।

❖ **अपवाद -**

1. वर्तमान, भूत, भविष्य मे होने वाले विवादों को मध्यस्थ को निर्देशित करने का करार विधिपूर्ण हैं।
2. जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हे निर्देशित करने की संविदा विधिपूर्ण होगी।

❍ **वाद - हाकम सिंह बनाम गैमन इण्डिया लि., AIR 1971 SC**

तथ्य- इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब दो या दो या दो से अधिक न्यायालयों को किसी विषय पर क्षेत्राधिकार प्राप्त हो, तब पक्षकार यह करार कर सकते हैं, कि विवाद का निपटारा उनमें से किसी एक न्यायालय में

of the contract, and this applies to the implementation of those restrictions, which takes place after the expiry of the contract.

❍ **Case - Pothiram v. Islam Fatima, AIR 1915**

Fact- The court made an agreement between two zamindars that in a month on same days one and the rest of the days other would give their land on rent for cattle, then such agreement shall not be deemed as agreement restraining of profession, trade or business.

❍ **Section 28 - Agreements in restraint of legal proceedings, void** -

- Every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract, by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his rights, is void.
- which extinguishes the rights of any party thereto, or discharges any party thereto, from any liability, under or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his rights, is void to the extent.
- Section 28 makes two types of agreements void-
  1. An agreement by which a person is absolutely deprived of the exercise of his own legal rights arising out of the contract by legal proceedings.
  2. An agreement that terminates or obstructs the enforcement of the rights or obligations of a party arising under a contract after a certain period of time has elapsed.
- It is this clear that Section 28 will be applicable only when the right to sue has been strictly restricted, partly restriction is valid.

❖ **Exception -**

1. The agreement to refer the present, past, future disputes to the arbitrator is lawful.
2. The contract to refer questions which have already arisen shall be lawful.

❍ **Case – Hakam Singh v. Gamen Indian Ltd., AIR 1971 SC**

Fact- In this case, the Supreme Court said that when two or more courts have jurisdiction over any matter, the parties can agree that the dispute will be settled in one of them but not in the remaining courts. This

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

किया जाएगा परन्तु अन्य न्यायालयों में नही। इसका अनुमोदन सर्वोच्च न्यायालय ने **श्री राम सिटी यूनियन फाइनेन्स कॉर्पोरेशन बनाम राम मिश्रा, AIR 2002 SC** के वाद में भी किया हैं।

- **धारा-29 करार अनिश्चितता के कारण शून्य है -** वे करार, जिनका अर्थ निश्चित नही है या निश्चित किए जाने योग्य नही हैं शून्य हैं।
- **वाद - एम.राजा. अप्यार बनाम एम.जी. सम्बन्दम,AIR 2009**

  तथ्य- ऐसे करार जो अनिश्चित प्रकृति के है प्रवर्तित नही कराए जा सकते।
- **धारा-30 पंद्यम् के तौर के करार शून्य हैं -** पंद्यम के करार शून्य हैं। और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा।

  (i) जो पंद्यम के तौर पर जीती हुई हो।

  (ii)पंद्यम के किसी ऐसे खेल या अनिश्चित घटना के परिणाम के अनुसार व्यक्तिगत न्यस्त की गई हो।

❖ **अपवाद-**

1. किसी घुड़दौड़ के विजेता को प्रदाय किसी प्लेट, परितोषिक या धनराशि के लिए जिसका मूल्य या रकम 500 रु. का अधिक हो।
2. इस धारा की कोई भी बात भ.द.स. की धारा 294क को वैध नहीं बनाएगी।

❖ **नोट –**

पंद्यम के करार की प्रकृति की अधिक स्पष्ट व्याख्या न्यायाधीश हांकिन्स महोदय ने दी -

- **वाद - कारलिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कं., 1892**

  तथ्य- इस मामले में प्रतिवादी कार्बोलिक स्मोक बॉल कम्पनी ने 'कार्बोलिक स्मॉक बॉल' नाम की एक दवा बनाई। कम्पनी ने समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया जो भी कम्पनी द्वारा निर्मित इस दवा का प्रयोग लिखित निर्देशों के अनुसार करेगा उसे उसके बाद कभी भी "इन्फ्लूएन्जा" नामक रोग नहीं होगा। यदि फिर भी उसे इन्फ्लुएन्जा होगा तो कम्पनी उसे 100 पौंड इनाम के रूप में देगी। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कम्पनी ने 1000 पौंड एलायन्स बैंक में जमा कर दिया है, इस कथन की घोषणा करके भी सामान्य प्रस्ताव को गम्भीरता प्रदान कर दी। वादी, श्रीमती कार्लिल ने इस विज्ञापन के आधार पर कार्बोलिक स्मोक बॉल्स खरीदी और निर्देशानुसार निर्धारित अवधि तक बॉल्स का प्रयोग किया, परन्तु उसे इन्फ्लूएन्जा हो गया। इस पर उसने प्रतिवादी कम्पनी से 100 पौंड का इनाम पाने के लिए वाद प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायाधीश हाकिन्स (Hawkins) ने निर्णय दिया कि श्रीमती कार्लिल

has also been approved by the Supreme Court in the case of **Shri Ram City Union Finance Corporation v. Ram Mishra, AIR 2002 SC.**

- **Section-29 Agreements void for uncertainty** - Agreements, the meaning of which is not certain, or capable of being made certain, are void.
- **Case - M.Raja. Apyar v. MG Sambandam, AIR 2009-**

  Fact- Agreements which are of uncertain nature cannot be enforced.
- **Section-30 Agreements by way of wager void** -The agreements of Wager are void and no case shall be brought for the recovery of any such thing which.

  (i) Alleged to be won on any wager

  (ii)enterusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which wage is made.

❖ **Exception -**

1. Any plate, prize or sum of money of the valut or amount of 500rs or more awarded to the winners of hores race.
2. Nothing in thise section shall legalige any provision contained in section 294A of IPC.

❖ **Note –**

Justice Hankins explained more clearly the nature of the agreement of Wager-

- **Case - Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co., 1892**

  Fact- In this case, the defendant Carbolic Smoke Ball Company manufactured a drug named 'Carbolic Smoke Ball'. The company advertised in the newspaper, whoever uses this medicine manufactured by the company according to the written instructions, he never contracts a disease called "influenza" after that. If he still contracts influenza, then the company will give him 100 pounds as a reward. In order to make people believe, the company has deposited 1000 pounds in the Alliance Bank, by announcing this statement also gave seriousness to the general proposal. The plaintiff, Mrs. Carlill, purchased Carbolic Smoke Balls based on this advertisement and used the balls for the prescribed duration as directed, but she got influenza. On this she filed suit to claim reward of 100 pounds from the respondent company. Learned Judge Hawkins held that Mrs. Carlill is entitled to £100. The company contended the following arguments in its favor-

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

100 पौंड पाने की अधिकारिणी है। कम्पनी ने अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये –

(i) पक्षकारों के मध्य कोई संविदा उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि
  (क) प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के सम्मुख नहीं रखा गया और
  (ख) इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। यदि यह मान भी लिया जाये कि प्रस्ताव के निर्देशों का पालन करना ही स्वीकृति दे तो भी स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक को नहीं दी गई।

(ii) यदि कोई करार हुआ मान भी लिया जाए तो यह बिना प्रतिफल के है। अत: शून्य है।

(iii) करार 'बाजी लगाने के करार के समान है। अत: व्यर्थ (Void) है।

(iv) प्रस्ताव केवल विक्रय बढ़ाने के लिए किया गया है। अत: संविदा का आधार नहीं हो सकता।

विद्वान न्यायमूर्ति ने निर्णय में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये-

(i) विज्ञापन द्वारा किये गये प्रस्तावों में यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया है, प्रस्ताव उसके सम्मुख किया गया है।

(ii) ऐसे मामलों में विज्ञापन में दिये गये निर्देशों या शर्तों का पालन करना मात्र ही स्वीकृति माना जाता है।

(iii) वादी द्वारा प्राप्त कोई लाभ या सुविधा प्रतिफल है।

(iv) यह बाजी का करार नहीं है, क्योंकि 100 पौंड केवल उस दशा में ही उस व्यक्ति को दिये जाने की घोषणा है जबकि इस दवा के प्रयोग करने पर भी उसे इन्फ्लूएन्जा हो।

(v) यह विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए 1000 पौंड बैंक में जमा करा दिये गए हैं। अत: इस प्रस्ताव में गम्भीरता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 100 पौंड इनाम देने का वचन केवल प्रलोभन मात्र है।

(vi) विज्ञापन से किये गये प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव माने जाते हैं लेकिन संविदा उसी के साथ माना जाता है, जो शर्ते पूरी करता है।

- **पंद्यम के करार के विभिन्न लक्षण निम्नलिखित है-**

1. किसी घटना का अनिश्चित होना।
2. पक्षकारों के बीच पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना
3. घटना का किसी के नियंत्रण मे न होना।
4. घटना में हार जीत के अलावा किसी अन्य हित का न होना।

❑❑❑

(i) No contract has arisen between the parties, because
  (a) the offer was not placed before a certain person and
  (b) the offer was not accepted. Even if it is assumed that only performing the conditions of the proposal amounts to acceptance, even then the communication of acceptance was not made to the proposer.

(ii) Even if an agreement is deemed to have been made, it is without consideration. Hence is void.

(iii) Such agreement is tantamount to an agreement by way of wager. Hence Void.

(iv) The offer is made only to increase sales. Therefore, there cannot be a basis for a contract.

The learned Justice propounded the following principles in the judgment-

(i) An offer made by advertisement is deemed to have been made to the person who has accepted it.

(ii) In such cases, mere compliance with the instructions or conditions given in the advertisement is considered as acceptance.

(iii) any benefit or convenience received by the plaintiff is a consideration.

(iv) This is not a wagering agreement, because £100 is an amount to be given to a person who has influenza despite using this drug.

(v) This is not an advertisement to increase sales, as it is clarified in the advertisement that 1000 pounds has been deposited in the bank for this purpose. So there is seriousness in this proposal. Therefore it cannot be said that the promise of a £100 reward is a mere inducement.

(vi) Offers made through advertisement are considered as general offers but contract is concluded with only those who fulfill the conditions.

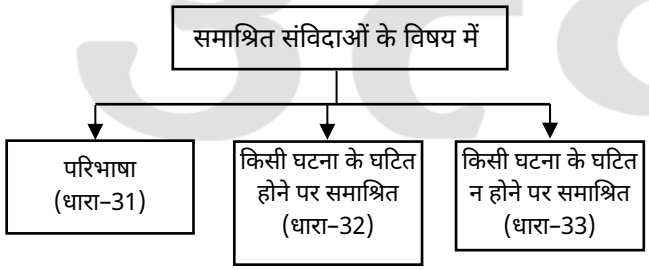
- **The following are the various features of the wager agreement -**

1. Uncertainty of an event.
2. Possibility of mutual benefit or loss between the parties
3. event not in control of anyone.
4. In the event there is no interest other than profit or loss.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 3
समाश्रित संविदाओं के विषय
(धारा 31-36)



❍ **धारा-31- समाश्रित संविदा की परिभाषा –** समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से साम्पार्श्विक (आनुषांगिक) किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो।

उदाहरण –

- □ ख से क संविदा करता है कि यदि ख का गृह जल जाए तो वह ख को 10,000 रूपए देगा। यह समाश्रित संविदा है।
- □ समाश्रित संविदा का पालन किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित न होने पर निर्भर करता है। यह घटना संविदा से साम्पार्श्विक (आनुषंगिक) होती है, किन्तु संविदा के प्रतिफल का भाग नहीं होती है। इस दृष्टिकोण से सभी बीमा की संविदा, जीवन बीमा को छोड़कर समाश्रित संविदा होती है (**चन्दू लाल बनाम सी.आई.टी. AIR 1967)**

• **समाश्रित संविदा के आवश्यक तत्व –**

1. कुछ करने या न करने की संविदा
2. कोई घटना घटने या न घटने की संविदा
3. घटना का संविदा के साम्पार्श्विक होना

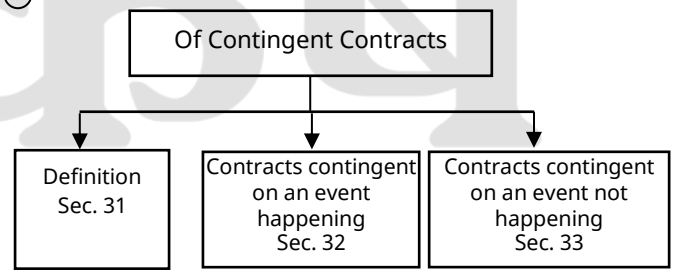
❍ **धारा – 32 – ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो -** उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, जब तक वह घटना घटित न हो गई हो।

• यदि वह घटना असंभव हो जाएं तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती है।

❍ **धारा – 33 – उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो।**

• उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो उन समाश्रित संविदाओं

Chapter – 3
Of Contingent Contracts
(Section 31-36)



❍ **Section-31 - Definition of "contingent contract" defined -** A "contingent contract is a contract to do or not to do something, if some event, collateral to such contract, does or does not happen.

Example –

- □ A contract to pay B Rs. 10,000 if B"s house is burnt. This is a contingent contract.
- □ The enforcement of a contingent contract depends on the happening or non-happening of an uncertain event. This event is collateral (incidental) to the contract but does not form part of the consideration of the contract. From this point of view all contracts of insurance, except life insurance, are contingent contracts (**Chandu Lal v. CIT AIR 1967**).

• **Essential elements of contingent contract –**

1. A contract to do or not to do something
2. A contract for the happening or non-happening of an event
3. Event to be collateral to contract

❍ **Section 32-Enforcement of contracts contingent on an event happening—** Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened.

• If the event becomes impossible, such contracts become void.

❍ **Section 33- Enforcement of contracts contingent on an event not happening—**

• Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

का प्रवर्तन, तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाएं उससे पहले नहीं।

❍ **धारा – 34 – जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असम्भव समझी जाएगी।**

- वह भावी घटना, जिस पर कोई संविदा समाश्रित है, वह इस प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना असम्भव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिमित समय के भीतर, या उत्तरदायी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असम्भव कर दे।
- प्रतिवादी ने वादी को वचन दिया कि पिता की मृत्यु होते ही वह वादी से शादी कर लेगा। उसके पिता अभी जीवित ही थे कि उसने किसी दूसरी स्त्री से शादी कर ली, निर्णय दिया गया कि उसके कार्य से वादी से शादी करना असम्भव हो गया था और इसलिए वादी संविदा भंग का वाद ला सकती थी। **(वाद - फ्रास्ट बनाम नाइट (1872) LR7 Exch 111)**

❍ **धारा – 35 – संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, कब शून्य हो जाती है।**

- **समाश्रित संविदाएं ,** जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, शून्य हो जाती है-
  (1)यदि उस नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई या
  (2)यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए।
- समाश्रित संविदाएं, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर न घटिन होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा तब प्रवर्तित कराई जा सकेगी जब-
  (1)उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित न हुई हो या
  (2)उस नियत समय के अवसान से पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं होगी।

❍ **धारा – 36 असम्भव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य हैं – (Doctrine of Frustation)**

- ऐसा करार जो किसी असम्भव घटना के घटित होने पर ही शून्य है चाहे घटना की असम्भवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था।

उदाहरण -

क करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लें तो वह ख को 1,000/- रूपये देगा। करार शून्य है।

❑❑❑

happening of that event becomes impossible, and not before.

❍ **Section 34- When event on which contract is contingent to be deemed impossible, if it is the future conduct of a living person** -

- If the future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time, or otherwise than under further contingencies.
- The defendant gave a promise to the plaintiff that he would marry the plaintiff as soon as his father died. His father was still alive, but he had married another woman, the judgment was held that his act had made it impossible for the plaintiff to marry the plaintiff and therefore the plaintiff could sue for breach of contract. **(Case - Frost v. Knight (1872) LR7 Exch 111)**

❍ **Section 35 - When contracts become void which are contingent on happening of specified event within fixed time-**

- Contingent contract to do or not to do if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void-
  (1)At the expiration of the time fixed such event has not happened or
  (2)If before the time fixed, such event becomes impossible.
- Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when-
  (1)The time fixed has expired and such event has not happened ; or
  (2)Before the time fixed has expired, if it becomes certain that such event will not happen.

❍ **Section 36- Agreement contingent on impossible events void**–(Doctrine of Frustration).

- An agreement is void only if an impossible event happens, whether or not the impossibility of the event was known or not to the parties to the agreement at the time when it is made.

Example –

A agrees to pay B 1000 Rs. if two straight line should enclose a space. The agreement is void.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 4
संविदाओं के पालन के विषय में संविदाएं जिनका पालन करना होगा (धारा 37-67)

❍ **धारा – 37 – संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता – (Privity of Contract) –**

- संविदा के पक्षकारों को अपने-अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्थापना करनी होगी।

❖ **नोट –**

संविदा विधि या अन्य विधि में पक्षकारों को अभिमुक्ति या माफी दे दी गयी है तो वे बाध्य नहीं होंगे।

- जब तक संविदा से प्रतिकूल कारण प्रतीत न हो, वचन पालन होने से पहले वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने पर पालन के लिए उनके प्रतिनिधियों को आबद्ध किया जा सकता है।

❍ **धारा – 38 – पालन की प्रस्थापना प्रतिगृहीत करने से इन्कार का प्रभाव –**

- जब वचनदाता ने वचनग्रहीता से पालन की प्रस्थापना की गई हो और वह प्रतिगृहीत नही हुई हो तो-
  1. वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नही है।
  2. न ही वह संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है।
- प्रस्थापना की निम्नलिखित शर्ते होगी-
  1. अशर्त होगी,
  2. उचित समय और स्थान के भीतर की जाए,
  3. वचनगृहीता को युक्तियुक्त अवसर मिलना चाहिए यह देखने का कि प्रस्थापित चीज वहीं चीज है जिसके बारे में प्रस्थापना की गई है।
- कई संयुक्त वचनग्रहिताओं से की गई प्रस्थापना के विधिक परिणाम वही होगें जो उन सब की प्रस्थापना के हैं।

❍ **धारा – 39 – वचन का पूर्णत: पालन करने से पक्षकार के इन्कार का प्रभाव** (Anticipatory breach of contract)

- समय से पहले संविदा भंग करने पर यह धारा लागू होती है।
- एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णत: पालन करने से इन्कार कर दिया है या अपने आप को निर्योग्य बना लिया है तब वचनगृहीता संविदा का अन्त कर सकेगा।
- जब तक कि संविदा चालू रखने के लिए वचनगृहीता ने शब्दों या आचरण द्वारा अपनी सम्मति न दे दी हो।

Chapter – 4
Of the Performance of Contracts, Contracts which must be performed (Section 37-67)

❍ **Section - 37 - Obligation of parties to contracts (Privity of Contract)**-The parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises.

❖ **Note –**

If the parties have been dispensed or excused in the contract law or any other law, then they are not bound.

- In the event of the death of the promisors before the performance of the promise, their representatives may be bind to perform, unless a interim contrary appears from the contract.

❍ **Section 38 - Effect of refusal to accept offer of performance**-

- When a promise has made an offer of performance to the promisee & it has not been accepted then the,
  (1)Promisor is not responsible for non-performance.
  (2)He does not lose his right under the contract.
- Every offer has following conditons-
  1. Must be unconditional
  2. Must be made at propert time and place.
  3. Promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is same for which promise is made.
- An offer to one of several joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them.

❍ **Section 39 - Effect of refusal of party to perform promise wholly** (Anticipatory breach of contract)

- This Section applies to anticipatory breach of contract.
- A party has refused to perform his promise in its entirety or disabled himself, then the promisee may end the contract.
- Unless the promisee has not given his consent by words or conduct to continue the contract.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

उदाहरण –

एक गायिका क एक नाट्यगृह के प्रबन्धक ख से अगले दो मास के दौरान में प्रति सप्ताह में दो रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के लिए 100/- रूपए देने का वचनबन्ध करता है। छठी रात को क नाट्यगृह से जान-बूझ कर अनुपस्थित रहती है। ख संविदा का अन्त करने के लिए स्वतंत्र है।

❍ **वाद - रामगोपाल बनाम धनजी जादवजी भाटिया, AIR 1928 PC 200**

तथ्य - इस वाद में इस सिद्धान्त को मान्यता दी गयी। इस वाद में लार्ड समनर ने कहा कि ''पूर्वकालिक भंग की स्थिति में ऐसी संविदा के निराकरण से होने वाली हानि का अनुमान भी उसी समय लगाया जाएगा।'' दूसरी ओर जब निर्दोष पक्षकार निराकरण को स्वीकार नहीं करता है, तो क्षतिपूर्ति का अनुमान संविदा पालन के समय लगाया जाता है।

- **पूर्वकालिक भंग का संविदा पर निम्न प्रभाव पड़ता है–**

1. निर्दोष पक्षकार भी संविदा पालन से मुक्त हो जाता है।
2. निर्दोष पक्षकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह संविदा को तत्क्षण ही निराकृत कर दे और क्षतिपूर्ति का दावा कर दे।

संविदा का पालन किसे करना होगा (धारा 40 से 45)

❍ **धारा – 40 – वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है –**

- यदि पक्षकारों का आशय है कि वचन का पालन वचनदाता करे तो-
  - ☐ स्वयं वचनदाता
- अन्य दशाओं में-
  - ☐ वचन दाता या उसका प्रतिनिधि वचन के पालन के किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगी।

❍ **धारा – 41 – अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिगृहीत करने का प्रभाव -** अन्य व्यक्ति से किसी वचन का पालन प्रतिगृहित कर लेने पर वचनगृहीता उसे वचनदाता के विरूद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता।

❍ **धारा – 42 – संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन –** दो या अधिक व्यक्तियों ने संयुक्त वचन दिया है तो सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवन के दौरान और उनमें से किसी की भी मृत्यु के बाद प्रतिनिधियों को, उत्तरजीवी को या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्त: और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्त: दायित्वों का न्याय गमन पूरा किया जाएगा।

Example –

A, a singer, enters into a contract with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre two nights in every week during the next two months, and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the sixth night A wilfully absents herself from the theatre. B is at liberty to put an end to the contract.

❍ **Case - Ram Gopal v. Dhanji Jadavji Bhatia, AIR 1928 PC 200.**

Fact - In this case, this principle was recognized by Lord Summoner said that "in case of anticipatroy breach, the loss due to the settlement of such contract shall also be estimated at the same time".

- **Anticipatory breach has the following effect on the contract –**

1. The innocent party is also free from the performance of the contract.
2. The innocent party gets the right to annul the contract immediately and claim compensation.

By whom contracts must be performed (Section 40 to 45)

❍ **Section 40 - Person by whom promise is to be performed -**

- If the party to contract has the intention that promise may performed by promisor then-
  - ☐ Promiser himself
- In other cases-
  - ☐ Promisor or his representative may employ a competent person to perform it.

❍ **Section - 41 - Effect of accepting performance from third person**- Accepting performance of the promise from third person. The promisee cannot enforce it against the promisor.

❍ **Section - 42 - Devolution of joint liabilities-** If two or more persons have given a joint promise, then to all the persons during their joint life and after the death of any of them to the representatives, or jointly with the survivor or survivors and after the death of last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **धारा – 43 – संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा।**

- अभिव्यक्त करार के अभाव में, वचनगृहीता विवश कर सकेगा –
  1. संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा।
  2. अन्य संयुक्त वचनदाता को समान अभिदाय के लिए।
- यदि संयुक्त वचनदाता अभिदाय करने में व्यतिक्रम करे तो शेष संयुक्त वचनदाता हानि को समान अंशो में सहन करेंगे।

❍ **धारा – 44 – संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव –**

- संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाता या वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करती है और न संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मुक्त करती है।

❍ **धारा – 45 – संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन –** पालन के लिए दावा करने का अधिकार मृत्यु पर → प्रतिनिधि को उत्तरजीवियों के साथ → अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर → सब के प्रतिनिधियों को संयुक्त होता है।

❍ **धारा – 46 – वचन पालन के लिए समय, जहाँ कि पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो-** जब पालन का समय विनिर्दिष्ट ना हो तब वचनबन्ध का पालन युक्तियुक्त समय के भीतर करना होगा।

❖ **नोट –**

"युक्तियुक्त समय क्या है**"** यह तथ्य का प्रश्न है।

❍ **धारा – 47 – वचन पालन के लिए समय और स्थान जहां कि पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो -** जहाँ कि पालन के लिए समय विनिर्दिष्ट हो और आवेदन न किया जाना हो तब कारबार के प्रायिक घण्टों के दौरान में किसी भी समय ऐसे दिन और स्थान पर, जिस पर उस वचन का पालन किया जाना चाहिए, वचनदाता उसका पालन कर सकेगा।

❍ **धारा – 48 – अमुक दिन पर पालन के लिए आवेदन उचित समय और स्थान पर किया जाएगा।**

- वचनगृहीता का कर्तव्य है की पालन के लिए आवेदन उचित स्थान पर और कारबार के प्रायिक घंटों के भीतर करे।

❖ **नोट –**

"उचित समय और स्थान क्या है" यह तथ्य का प्रश्न है।

❍ **Section 43 - Any one of joint promisors may be compelled to perform.**

- In absence of any express agreement to contrary, promisor may compel-
  1. Any one or more of such joint promisors to perform the whole of the promise.
  2. Every other joint promisor to contribute equally,
- If any joint promisor makes a default in such contribution, the remaining promisors will bear loss in equal shares.

❍ **Section 44 - Effect of release of one of the joint promisors** -

- The release of one of the joint promisors does not discharge the other joint promisor or promisors and does not release them from responsibility to the joint promisors.

❍ **Section - 45 - Devolution of joint rights** – The right to claim performance rests on death → representative jointly with the survivors →on the death of the last survivor →the representatives of all jointly.

❍ **Section 46 - Time for performance of promise, when no application is to be made and no time is specified** – When no time for performance is specify, then the promise has to be performed within a reasonable time.

❖ **Note –**

"What is a reasonable time" is in each particular case, is a question of fact.

❍ **Section 47 - Time and place for performance of promise, where time is specified and no application to be made.—** Where the time for performance is specified and the application is not to be made, then at any time during the usual hours of business on the day and place the promise should be performed, the promisor ought to be performed.

❍ **Section - 48 - Application for performance on certain day to be at proper time and place.**

- It is the duty of the promisee to perform at proper place & within the usual hours of business.

❖ **Note –**

"What is the proper time and place" is a question of fact.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **धारा – 49 – वचन के पालन के लिए स्थान, जहाँ कि पालन के लिए, आवेदन न किया जाना हो और कोई स्थान नियत न हो –** तब वचनदाता का कर्तव्य है कि वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करने के लिए वचनगृहीता से आवेदन करे और ऐसे स्थान में उसका पालन करें।

उदाहरण –

'क' एक हजार मन अनाज 'ख' को एक नियत दिन परिदान करने का वचन देता है। 'क' को 'ख से आवेदन करना होगा कि वह उसे लेने के लिए युक्तियुक्त स्थान नियत करे और क को ऐसे स्थान पर अनाज परिदत्त करना होगा।

- **धारा – 50 – वचनगृहीता द्वारा निहित या मंजुर किए गए प्रकार से या समय पर पालन।**

व्यतिकारी वचनों का पालन

- **धारा – 2(च) व्यतिकारी वचन–** वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते है।
- **धारा – 51 –** वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नही है तब तक कि व्यतिकारी वचनगृहीता पालन के लिए तैयार और रजामन्द न हो।
- **धारा – 52 - व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम-**
  (1) जहाँ व्यतिकारी वचनों का पालन अभिव्यक्तत: नियत हो- वहाँ उनका पालन उसी क्रम में किया जाएगा।
  (2) जहाँ कोई क्रम नियत न हो - वहाँ उसका पालन उसी क्रम में किया जाएगा जो उस संव्यवहार की प्रकृति द्वारा अपेक्षित हो।
- **धारा – 53 – जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व –** जब संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से निवारीत करे-
  - तब वह संविदा निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है।
  - और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणामस्वरूप उसे उठानी पड़े, दूसरे पक्षकार से प्रतिकर पाने का हकदार है।
- **धारा – 54 – व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में, उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए ।**

- **Section - 49 - Place for performance of promise, where no application to be made and no place fixed for performance**-Then it is the duty of the promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and perform in such a place.

Example –

A undertakes to deliver a thousand maunds of grain to B on a fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it, and must deliver it to him at such place.

- **Section - 50 – Performance in manner or at time prescribed or sanctioned by promisee.**

Performance of Reciprocal promises

- **Section – 2(f) Reciprocal promises –** Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises.
- **Section 51 -** Promisor not bound to perform, unless reciprocal promisee ready and willing to perform.
- **Section 52. Order of performance of reciprocal promises.—**
  (1)Where the order of performance of reciprocal promise is fixed- They shall be performed in that order.
  (2)where the order is not fixed- They shall be performed in that order which the nature of the transaction requires.
- **Section 53 - Liability of party preventing event on which the contract is to take effect -**When one party to contract prevents the other form performing his promise then-
  - The contract then becomes voidable at the option of the party so prevented.
  - And he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may incur as a result of the none performance of the contract.
- **Section 54 - Effect of default as to that promise which should be first performed, in contract consisting of reciprocal promises**

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- जब संविदा व्यतिकारी वचनों से बनी हो तब एक का पालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाए।
- दूसरे पक्षकार अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर देना होगा।

❍ **धारा – 55 – उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है नियत समय पर पालन न करने का प्रभाव –**

- **समय संविदा का मर्मभूत है-** किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पहले पालन करने असफल रहे तब वह संविदा या उसमें से उतनी जितनी का पालन न किया गया हो। वचनगृहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगी, यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए।
- **ऐसी असफलता का प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है-** संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी किन्तु वचनगृहीता ऐसी असफलता से उसे हुई किसी भी हानि के लिए वचनदाता से प्रतिकर पाने का हकदार है।
- **करारित समय से भिन्न समय पर किए गए पालन के प्रतिग्रहण का प्रभाव** – वचनगृहीता करारित समय पर वचन के अपालन से हुई किसी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसे ऐसे प्रतिग्रहण के समय अपने ऐसा करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो।
- निम्न परिस्थितियों में समय को संविदा का मर्म माना जाता है।
  1. जब पक्षकारों ने स्वयं स्पष्ट कर लिया हो कि समय संविदा का मर्म है।
  2. जब समय पर पालन न करने से दूसरे पक्षकार को हानि होती है।
  3. जब संविदा की आवश्यकता तथा उसकी प्रकृति से यह प्रकट होता है कि समय का सारभूत होना आवश्यक है।
  4. संविदा पालन का समय बढ़वाने पर समय संविदा का मर्म माना जाता है।

❍ **वाद - भद्रचन्द्र बनाम बेट्स (1915) 22 Col LJ 566**

तथ्य - वह वाद इसका प्रमाण है। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी का हाथी कुछ अन्य हाथियों को पकड़ने के लिए किराए पर लेने का करार किया जो पहली अक्टूबर 1910 को दी जानी थी। प्रतिवादी ने 6 अक्टूबर को हाथी लेकर वादी के पास गया। वादी ने हाथी लेने से इंकार कर दिया और प्रतिवादी के विरूद्ध संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति का वाद लाया। न्यायालय ने निर्णीत किया कि उस संविदा में

- When a contract consist of reciprocal promises, such one of them cannot be performed till the other has been performed.
- Must make compensation to the other party for any loss which may sustain by non-performance of the contract.

❍ **Section- 55 - Effect of failure to perform at fixed time, in contract in which time is essential**

- **Time is essential to contract -** If fails to perform any thing on or before the specified time, then that contract or so much of it is not performed become voidable at the option of the promisee, if the intention of the parties was that time should be the essence of the contract.
- **Effect of such failure when time is not essential-** Contract does not become voidable but the promisee is entitled to compensation from the promisor for any loss caused to him by such failure.
- **Effect of acceptance of performance at time other than that agreed upon-**The promisee cannot claim compensation for any loss caused by the non-performance of the promise at the agreed time unless at the time of such acceptance he gives notice of his intention to the promisor.
- In the following circumstances, time is considered to be the essence of the contract.
  1. When the parties themselves have made it clear that time is the essence of the contract.
  2. When non-performance in time causes loss to the other party.
  3. When it appears from the necessity and nature of the contract that time is essential.
  4. On extension of the time of performance of the contract, the time is considered to be essential for the contract.

❍ **Case - Bhadrachandra v. Bates (1915) 22 Col LJ 566**

Fact - This case is a proof. In this case, the plaintiff agreed to hire the defendant's elephant to caught of some other elephants which was to be given by 1st October, 1910. The respondents gave the elephant to the plaintiff on 6th October. The plaintiff refused to accept the elephant and brought a suit against the defendant for damages for breach of contract. The Court held that time was the essence of the contract in that

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

समय संविदा का मर्म था, अत: समय पर पालन न करने का परिणाम संविदा को भंग करने के समान ही था।

❍ **धारा – 56 – असम्भव कार्य करने का करार (Impotentia Excusat Legam) –** वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वत: असम्भव है, शून्य है।

- उस कार्य को करने की संविदा जो बाद में असम्भव व विधि विरूद्ध हो जाए।
- ऐसी संविदा तब शून्य हो जाती है जब वह कार्य असंभव या विधिविरूद्ध हो जाए।
- ऐसे कार्य के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असंभव या विधिविरूद्ध होना ज्ञात हो-
- किसी व्यक्ति ने ऐसी बात का वचन दिया है जिसका -

1. असंभव या विधिविरूद्ध होना जानता था, या
2. युक्तियुक्त तत्परता से जान सकता था और
3. वचनग्रहीता नही जानता था-

   □ वहां जो हानि वचनग्रहीता को हुई हो उसके लिए वचनदाता वचनग्रहीता को प्रतिकर देगा।

उदाहरण –

यदि क, ख के साथ जादू से गुप्त निधि खोजने का करार करता है तो करार असम्भव हो जाता है।

- संविदा को पश्चात्वर्ती असम्भवता के आधार पर शून्य घोषित करने के लिए निम्न शर्ते पूरी होनी चाहिए-

1. पक्षकारों के बीच एक वैध संविदा हो अर्थात् प्रारम्भ में पालन करना सम्भव हो।
2. पश्चात्वर्ती घटना के कारण पालन करना असम्भव हो गया है या विधिविरूद्ध हो गया हो।
3. ऐसी पश्चात्वर्ती घटना का निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था।

उदाहरण –

क और ख आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं, विवाह के लिए नियत समय के पूर्व क पागल हो जाता है संविदा शून्य है।

- **असम्भवता के विशेष आधार -**

1. विषयवस्तु का विनाश
2. परिस्थितियों में परिवर्तन
3. अपेक्षित घटना का न होना
4. पक्षकार की अयोग्यता या मृत्यु
5. सरकारी तथा वैधानिक हस्तक्षेप
6. युद्ध का हस्तक्षेप
7. पट्टा संबंधी मामले

contract, hence the consequence of non-performances of contract on time was breach of contract.

❍ **Section - 56 - Agreement to do impossible act (Impotentia Excusat Legam)** - It means inablity excuses the law - An agreement to do an act impossible in it self is void.

- Contract to do an act afterwards becoming impossible or unlawful.
- Such contract shall be void when the act becomes impossible or unlawful.
- Compensation for loss through non-performance of act known to be impossible for unlawful-
- When one person has promised to do something which –
  (1) he knew:
  (2)Might have known with reasonable diligence,
  (3)Promisee did not know
  □ to be impossible or unlawful there promisee must make compensation to promisee for loss sustains through non-performance of the promise.

Example –

If A makes an agreement with B to discover the secret treasure by magic, then the agreement becomes impossible.

- For the contract to be declared void on the ground of subsequent impossibility, the following conditions must be fulfilled.

1. There is a valid contract between the parties i.e. it is possible to perform in the beginning.
2. A subsequent event has made it impossible to perform or has become unlawful.
3. The promisor could not prevent such subsequent event.

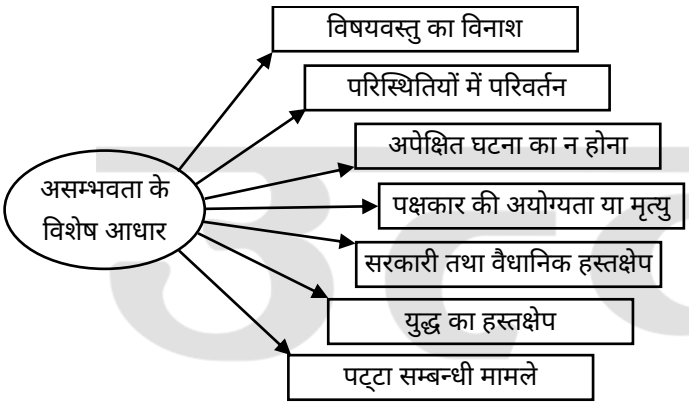
Example –

A and B contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage. A goes mad. The contract becomes void.

❍ **Special grounds of impossibility -**

1. Destruction of Subject
2. Change in Circumstances
3. None happening of the expected event
4. Disqualification or death of the party
5. Government and Legal Intervention
6. Intervention of War
7. Lease Related Matters

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR



- धारा 56 सकारात्मक विधि का एक नियम प्रतिपादित करती है तथा मामला पक्षकारों के आशय के अनुसार अभिनिश्चित करने को कहती है।

❍ **वाद – सत्यव्रत घोष बनाम मुंगनीराम, AIR 1954 SC 44**

तथ्य – अगर कार्य पश्चात्वती असम्भवता की स्थिति में है तो संविदा असम्भव होगी और प्रारम्भिक स्थिति असम्भव है तो करार असम्भव होगा।

❍ **धारा – 57 – वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी, जो अवैध हो, करने का व्यतिकारी वचन –** जहां कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बातें करने का वैध और अवैध व्यतिकारी वंचन देते है, वहाँ वचनों का वैध संवर्ग, संविदा है किन्तु अवैध संवर्ग शून्य करार है।

❍ **धारा – 58 – अनुकल्पी वचन** जिसकी एक शाखा अवैध हो और अवैध हो, किसी अनुकल्पी वचन में, तब केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है।

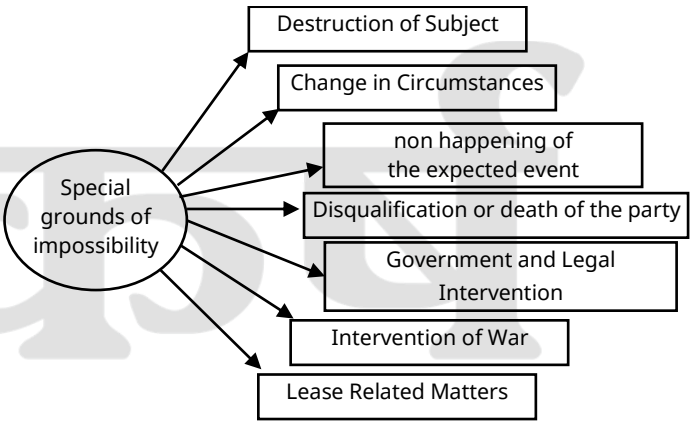
संदायों का विनियोग (धारा 59 से 61)

❍ **धारा – 59 – जहाँ कि वह ऋण उपदर्शित हो, जिसका उन्मोचन किया जाना हे वहाँ संदायों का उपयोजन – (Rule of Clayton)**

- धारा 59 जहां कि कोई ऋणी, जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हों उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्त प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थितियों में, जिनसे विवक्षित हो कि वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाना है, कोई संदाय करता है वहां उस संदाय को, यदि वह प्रतिगृहीत कर लिया जाए, तदनुसार उपयोजित करना होगा।

❍ **धारा – 60 – जहाँ कि वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका उन्मोचन किया जाना है, वहाँ संदाय का उपयोजन –**

- जहाँ ऋणी ने उपदर्शित नहीं किया है कि संदाय किस ऋण के लिए उपयोजित करना है वहां लेनदार स्वविवेक



- Section 56 lays down a rule of affirmative law and asks the case to be ascertained according to the intention of the parties.

❍ **Case - Satyavrat Ghosh v. Munganiram, AIR 1954 SC 44**

Fact - If the act is in the condition of the subsequent impossibility then the contract will be impossible and if the initial condition is impossible then the agreement will be impossible.

❍ **Section 57 - Reciprocal promise to do things legal, and also other things illegal** – When any person reciprocally promises to do certain thing which is legal and illegal, legal set of promises is a contract, but the illegal set is a void agreement.

❍ **Section - 58 - Alternative promise** being illegal in alternative promise, one branch is legal and other illegal, then the legal branch alone can be enforced.

Appropriation of payments (Section 59 to 61)

❍ **Section - 59 - Application of payment where debt to be discharged is indicated - (Rule of Clayton)**

- Section 59 Where a debtor, owing several distinct debts to one person, makes a payment to him, either with express intimation, or under circumstances implying, that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied accordingly.

❍ **Section 60 - Application of payment where debt to be discharged is not indicated.**

- Where debtor has not indicated that payment is appropriated for which debt there the creditor may apply at his decretion

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अनुसार विधिपूर्ण ऋण के लिए उपयोजित कर सकेगा। चाहे वसूली परिसीमा विधि द्वारा बाधित हो या नहीं।

- यदि ऋणी विनियोग नहीं करता है तो ऋणदाता को विनियोग करने का अधिकार मिल जाता है तब ऋणदाता जिस ऋण को चाहे समाप्त कर सकता है। वह चाहे तो भातान द्वारा ऐसे ऋण को समाप्त करने के लये प्रयोग कर ले जो कालावरोधित हो चुका है। **(वाद - कामलेश्वरी प्रसाद बनाम गंगाधर, AIR 1940)**

❍ **धारा – 61 – जहाँ कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता है वहां संदाय का उपयोजन –**

- जब कोई पक्षकार विनियोग (समायोजन) नही करता है तो भुगतान पहले ऋण को पहले और बाद वाले ऋण को बाद में समाप्त करने में प्रयोग किया जाएगा, चाहे उस में कोई ऋण कालावरोधित हो चुका हो। यदि सभी ऋण एक ही तिथि के है, तो भुगतान आनुपातिक रूप से सभी ऋणों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

वे संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

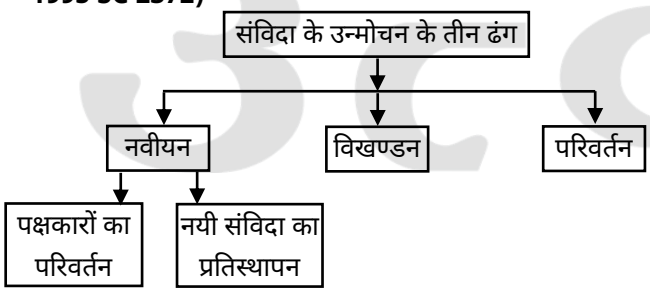
❍ **धारा – 62 – संविदा के नवीयन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव –**

- यदि पक्षकार एक नयी संविदा को प्रतिस्थापित, विखण्डित या परिवर्तित करने का करार करें तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता न होगी।

उदाहरण –

क एक संविदा के अधीन ख को धन का देनदार है। क, ख और ग के बीच यह करार होता है कि ख तत्पश्चात् क के बजाए ग को अपना ऋणी मानेगा। क पर ख के पुराने ऋण का अन्त हो गया है और ग पर ख के एक नये ऋण की संविदा हो गई है।

- सम्पूर्ण नवीकरण के लिए आवश्यक है कि प्रथम संविदा के सभी निबन्धन, शर्तों, दायित्वों आदि का समायोजन पूर्ण रूप से द्वितीय संविदा में होना चाहिये। जहाँ प्रथम संविदा, द्वितीय संविदा से बड़ी या विस्तृत है वहां नवीकरण नही होगा तथा द्वितीय संविदा किसी भी रूप में प्रथम संविदा की शर्तों व दायित्वों को प्रतिस्थापित नहीं करेगी। **(वाद – मैसर्स गुजरात बाटलिंग कं. बनाम कोका कोला कं. AIR 1995 SC 2372)**



to any lawful debt actually due, whether its recovery is or is not barred by limitation laws.

- If the debtor does not appropriate, the creditor gets the right to appropriate, then the creditor can terminate the debt as he wishes. If he wants, he can use it to end such debt by payment which has become time barred. **(Case - Kamleshwari Prasad v. Gangadhar, AIR 1940)**

❍ **Section - 61 - Application of payment where neither party appropriates** -

- When a party does not make an appropriation (adjustment), the payment shall be used to discharge the first debt and the latter to dischage the latter, whether the debt has been barred If all debt is due by the same date, the payment shall be applied to discharge all debt proportionately.

Contracts which need not be performed.

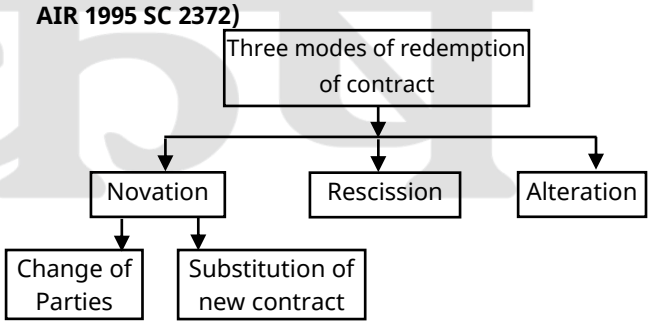
❍ **Section – 62 – Effect of Novation, rescission and alteration of contract –**

- If the parties agree to substitute, rescind or alter a new contract, the original contract need not be performed.

Example–

A owes money to B under a contract. It is agreed between A, B and C, that B shall thenceforth accept C as his debtor, instead of A. The old debt of A to B is at an end, and a new debt from C to B has been contracted.

- For complete Novation, it is necessary that all the terms, conditions, obligations etc. of the first contract should be fully adjusted in the second contract. Where the first contract is greater or wider than the second contract, it shall not be renewed and the second contract shall in no way replace the terms and conditions of the first contract. **(Case – M/s Gujarat Bottling Co. v. Coca Cola Co. AIR 1995 SC 2372)**



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **वाद – सरदार बनाम राम खिलौना, AIR 1997 ALL 268**

तथ्य - इस वाद में न्यायालय ने निर्णीत किया कि विक्रय के मूल करार में परिवर्तन कर के दो नये गवाह को सम्मिलित करना, मूल संविदा का सारभूत परिवर्तन है और इससे करार प्रारम्भ से ही शून्य हो गया था अत: विक्रेता इस प्रकार से बाध्य नहीं है।

❍ **धारा – 63 – वचनगृहीता वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार दे या कर सकेगा-**

- यह धारा वचनगृहीता को यह अधिकार देती है कि वह वचनदाता को संविदा पालन से छूट दे दे या उसके पालन का समय बढ़ा दे, अथवा
- संविदा पालन के स्थान पर किसी अन्य वस्तु या कार्य से तुष्टि प्राप्त कर ले।
- **इस धारा के उपबन्धों के अनुसार वचनग्रहीता को निम्न अधिकार है –**

1. वह संविदा के पालन से पूर्णत: या भागत: छूट दे दे।
2. पालन के समय को बढ़ा दे,
3. पालन के बदले में कोई अन्य तुष्टि स्वीकार कर ले।

❍ **धारा – 64 – शून्यकरणीय संविदा के विखण्डन के परिणाम –**

- कोई व्यक्ति जो किसी संविदा को विखण्डित कर देता है तब दूसरे पक्षकार को किसी वचन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि शून्यकरणीय संविदा को विखण्डित करने वाले पक्षकार ने कोई फायदा प्राप्त किया है तो उस व्यक्ति को जिससे वह प्राप्त किया था प्रत्यावर्तित कर देगा।

❍ **धारा – 65 – उस व्यक्ति की बाध्यता, जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो, फायदा प्राप्त किया हो-**

- जिस व्यक्ति ने शून्य करार के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तो वह फायदा उस व्यक्ति को जिससे उसने उसे प्राप्त किया था, प्रत्यावर्तित करे या उसके लिए प्रतिकर देने को आबद्ध होगा।

❍ **धारा – 66 – शून्यकरणीय संविदा के विखण्डन की संसूचना या प्रतिसंहरण की रीति –**

- उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अध्यधीन संसूचित या प्रतिसंह्यत किया जा सकेगा जो प्रस्थापना की संसूचना या प्रतिसंहरण को लागू है।
- **धारा – 66 के अनुसार**, शून्यकरणीय संविदा के विखण्डन की सूचना प्रतिसंहरण की रीति निम्नलिखित है–

1. दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने पर,

❍ **Case – Sardar v. Ram Toy, AIR 1997 ALL 268**

Fact - The Court held that the by altering original contract of sale and the inclusion of two new witnesses is a material change in the original contract and the agreement was void from the very beginning. Therefore, the seller is not bound as such.

❍ **Section 63 - Promisee may dispense with or remit performance of promisee** -

- This section gives the right to the promisee to dispense the promisor from the performance of the contract or to extend the time of its performance, or
- Instead of performing the contract, get satisfaction from some other thing or act.
- **According to the provisions of this section, the promisee has the following right -**

1. Dispense with or remist wholly or partly performance of Contract.
2. May extend the time.
3. May accept any satisfaction instead of performance.

❍ **Section 64 – Consequences of rescission of voidable contract** –

- When an person rescinds a contract, then the other party need not perform any promise.
- The party rescinding the voidable contract, if he received any benefit, shall restore it to the person to whom it was received.

❍ **Section 65 - Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void**-

- A person who has received a benefit under a void agreement is bound to restor it or make to pay compensation for the benefit to the person from whom he had received it.

❍ **Section – 66 – Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract** –

- May be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as are applicable to the communication or revocation of the Proposal.
- **According to section 66**, the following is the manner of communicating revocation or reacission of contract–

1. By communication of the notice of revocation to the other party,

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

2. प्रतिग्रहण की सूचना के बिना युक्तियुक्त समय बीत जाने पर,
3. पुरोभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिगृहीता की असफलता पर,
4. प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से जब मृत्यु या उन्मत्तता के तथ्य प्रतिगृहीता के ज्ञान में आ जाए।

❍ **धारा – 67 – पालन के लिए युक्तियुक्त सौकर्य वचनदाता को देने में वचनगृहीता की उपेक्षा का प्रभाव–**

- कोई वचनगृहीता किसी वचनदाता को उसके वचन के पालन के लिए युक्तियुक्त सुविधा (सौकार्य) देने में उपेक्षा या सुविधा देने से इंकार करे तो कारित किसी अपालन के बारे में ऐसी उपेक्षा या इंकार के कारण वचनदाता को माफी हो जाती है।

❑❑❑

2. By the elapse of a reasonable time without notice of acceptance,
3. On the failure of the acceptor to satisfy the precedent condition,
4. By death or insanity of the proposer when the facts of death or insanity come to the knowledge of the acceptor.

❍ **Section - 67 - Effect of neglect of promisee to afford promisor reasonable facilities for performance –**

- If any promisee neglects or refuses to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 5
संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सृदश कतिपय संबंधों के विषय (धारा 68-72)

- ऐसी संविदा जो संविदा द्वारा सर्जित सम्बन्धों के सदृश है किन्तु वे किसी संविदा द्वारा सर्जित नहीं है।
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में वर्णित संविदा द्वारा सर्जित सम्बन्धों के सदृश सम्बन्ध निम्नलिखित है –
  1. संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदान की गयी आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा
  2. किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान
  3. आनुग्राहिकत: न होने वाले कार्यों के लिए भुगतान का दायित्व।
  4. माल पड़ा पाने वाले का दायित्व।
  5. भूल या प्रपीड़न के अधीन धन का प्रदाय या चीज का परिदान किया जाता है।

❍ **धारा – 68 – संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गयी आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा – Doctrine of Unjust Enrichment**

- भारतीय संविदा अधिनियम में 'संविदा–कल्प'की परिभाषा नहीं दी गई है। इसमें केवल संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश्य कतिपय संबंधों का उल्लेख किया गया है।
- वह मुख्य सिद्धांत जिस पर संविदा कल्प आधारित है, वह है- न्याय, साम्य और सद्भावना। संविदा कल्प का सिद्धांत एक सूत्र पर आधारित है – **'Nemo debet locupletari ex aliena jactura'** – जिसका अर्थ है 'कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाकर समृद्ध नही हो सकता'
- **पोलक (Pollock) के अनुसार,** 'संविदा कल्प विधित: संविदा है, तथ्यत: नहीं' दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संविदा–कल्प पक्षकारों के मध्य करार से उत्पन्न नहीं होती है बल्कि यह साम्या के सिद्धांतो पर विधि द्वारा निर्मित होती है।
- साधारण शब्दों में ऐसा संव्यवहार जिसमें पक्षकारों के मध्य कोई संविदा नहीं है, विधि ने उनके मध्य कुछ अधिकार और दायित्व उत्पन्न किए हैं जो, कि संविदा से सृजित हुए हो।
- यदि कोई व्यक्ति जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति के पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध

Chapter – 5
Of Certain Relations resembling those created by Contract (Section 68-72)

- A contract similar to a relationship created by contract but not created by a contract are quasi contract.
- The following are related to the relations resembling those created by the contract mentioned in the Indian Contract Act, 1872 -
  1. Claim for necessary goods supplied to or on account of a person incapable of to contracting
  2. Payment by an interested person
  3. Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act.
  4. Responsibility of the finder of the goods.
  5. Liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion

❍ **Section – 68 – Claim for necessaries supplied to person incapable of contracting, or on his account–Doctrine of Unjust Enrichment**

- The definition of Quasi contract has not been given in the Indian Contract Act. It mentions only certain relations resembling those created by contract.
- The main principle on which quasi contract works is justice, equity and good conscience. This principle is is based on a latin maxim, **'Nemo debet locupletari ex aliena jactura'** which means 'no man must grow rich out of another person's loss.
- **According to Pollock,** 'A Quasi contract is a lawful contract, not a fact'. In other words, it can be said that the quasi contract does not arise out of an agreement between the parties, but it is created by law on the principles of equity.
- In general terms a transaction in which there is no contract between the parties, the law creates certain rights and obligation between them which are similar to those created by contracts.
- If a person who is incapable of contracting, or anyone whom he is legally bound to support, then in such situation-

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

हो तब ऐसी परिस्थिती में कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है तो वह व्यक्ति जिसने ऐसा प्रदान किया है वह उस असमर्थ व्यक्ति की सम्पत्ति से प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

अन्यायपूर्ण समृद्धि का सिद्धांत

उदाहरण –

ख को, जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय क करता है ख की सम्पत्ति से क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

- संविदा कल्प का सम्बन्ध विधि द्वारा उस समय सृजित किया जाता है जबकि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होना चाहता है या वह किसी दूसरे की कीमत पर धनी होना चाहता है। **(वाद – मोमेस बनाम मैकफर लान (1760))**

❍ **वाद – नैश बनाम इनमैन (1802) KB**

तथ्य - इस वाद में न्यायालय ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दायित्व के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रदाय की गयी वस्तुएँ पहले से ही अवयस्क को प्राप्त न हो।

- संविदा कल्प का आधार पक्षकारों के मध्य विवक्षित संविदा है। **(वाद – सिन्क्लेयर बनाम ब्राघम (1914)A.C. 398)**

❍ **संविदा एवं संविदा कल्प में अन्तर -**

संविदा	संविदा कल्प
1. पक्षकारों की इच्छा के परिणामस्वरूप संविदा गठित होती है जो कि अभिव्यक्तत: एक दायित्व का सृजन करने की दृष्टि से की जाती है।	1. यह एक ऐसा दायित्व है जो संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश्य लगते हैं।
2. इसमें एक करार होता है।	2. इसमें कोई करार नहीं होता है।
3. इसमें कुछ आवश्यक तत्व होते हैं।	3. इसमें संविदा गठित करने वाले आवश्यक तत्वों का अभाव रहता है।
4. यह पूरी तरह एक संविदा है और यह बाध्यकारी होते हैं।	4. यह संविदा के सदृश्य लगते हैं और यह पूरी तरह संविदा नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक विवक्षित संविदा है।

Any other person supplies the necessaries suited to his condition in life to such person then the person who supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person.

Doctrine of Unjust Enrichment

Example -

A supplies B, a lunatic, with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property.

- A contractual relationship of Quasi contract is created by law when it appears to the court that one person wants to get rich unjustly or he wants to be rich at the expense of another. **(Case – Momes v. Macfar Lawn (1760))**

❍ **Case – Nash v. Inman (1802) KB**

Fact - In this case the court said that for the obligation of essential commodities, it is also necessary that the goods supplied should not already be received by the minor.

- The basis of Quasi contract agreement is an implied contract between the parties. **(Case – Sinclair v. Bragham (1914) A.C. 398)**

❍ **Difference between Contract and Quasi Contract.**

Contract	Quasi Contract
1. Contract results from the will of the parties expressed with a view to create an obligation.	1. It is an obligation resembling those created by contract
2. It is an agreement	2. There is no agreement at all.
3. It has certain essential elements	3. Essentials of a contract are absent.
4. It is a full-fledged contract and is binding	4. It resembles like a contract & not a full-fledged contract. We must say it is an implied contract.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **धारा – 69 उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है -** वह व्यक्ति जो धन का संदाय करता है, जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है।

❍ **धारा – 70 – आनुग्राहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता –**

1. कोई व्यक्ति, कोई बात या किसी चीज का परिदान किसी अन्य व्यक्ति के लिए आनुग्राहिक करने का आशय न रखते हुए विधिपूर्वक करता है, और
2. ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है।
3. तब बाद वाला व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को जो चीज उसे दी गई है।
4. उसके लिए प्रतिकर देने या प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है।

- **इस धारा के अधीन दायित्व के लिए शर्तें इस प्रकार बताई गई है-**
  1. एक व्यक्ति ने दूसरे के लिए विधिपूर्वक कोई कार्य किया हो या
  2. विधिपूर्वक कोई चीज प्रदान की हो
  3. उसने ऐसा आनुग्राहिकत: करने का आशय न रखते हुए किया हो,
  4. ऐसे अन्य व्यक्ति ने उसका फायदा उठाया हो।
- तब उसे प्रतिकर पाने या प्रत्यावर्तित कराने का हक है।
- विधिपूर्वक शब्द की व्याख्या करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविदा अधिनियम की धारा 23 का भंग नही होना चाहिये।
- केवल किसी कानूनी अपेक्षा या संवैधानिक अपेक्षा (अनुच्छेद-299) के पूर्ण न होने पर करार शून्य हो जाता है और धारा 70 के अधीन प्रतिकर या प्रत्यावर्तन को प्रभावित नही करेगा।
- धारा 70 में क्वांटम मेरिट के आधार पर वास्तव में किए गए कार्य के लिए युक्तियुक्त पारिश्रमिक या प्रतिकर के लिए वाद चलाया जा सकता है। **(वाद – डी. बर्नार्डी बनाम हार्डिंग (1853) 3 X 822)**

❍ **धारा – 71 – माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व –**

- माल पड़ा पाने वाले का वही उत्तरदायित्व होता है जो उपनिहिती का होता है।
- इस धारा से स्पष्ट होता है कि खोई वस्तुओं के प्राप्तकर्ता का दायित्व तथा कर्तव्य उपनिहिती की तरह माना जाता है। इस संबंध में उपबन्ध संविदा अधिनियम के अध्याय 9 में धाराएं (148 से 181) में किए गए हैं।

❍ **Section - 69 Reimbursement of person paying money due by another, in payment of which he is interested** - A person who pays money which another is bound by law to pay he is entitled to be reimbursed by the other.

❍ **Section -70 - Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act** -

1. Any person does anything or delivers anything for another person, lawfully and not with the intention to do so gratuitously.
2. Such other person enjoys the benefit.
3. Then the latter person is bound to make compensation or to restore the thing so delivered to the former.
4. is bound to compensate or repatriate him.

- **The conditions for liability under this Section are stated as follows-**
  1. One person has lawfully done an act for another, or
  2. lawfully delivered something
  3. He had done so without the intention to do so, gratuitously.
  4. Such other person has enjoys the befnefit.
- Then he has a right to receive compensation or to restoration.
- Explaining the word lawfully, the Supreme Court said that there should be no breach of Section 23 of the Contract Act.
- The agreement becomes void merely on the non-fulfillment of any legal requirement or constitutional requirement (Article-299) and it shall not affect the compensation or it restoration under Section 70.
- Section 70 On basis of quantum merit the suit can be filed for reasonable remuneration and compensation for the act already done. **(Case–D. Bernardi v. Harding (1853) 3 X 822)**

❍ **Section – 71 – Responsibility of finder of goods–**

- The finder of the goods has the same responsibility as the bailee.
- It is clear from this Section that the liability and duty of the finder of the lost articles is same as a bailee. Provisions in this regard have been made in Sections (148 to 181) of Chapter 9 of the Contract Act.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **धारा – 72 – उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिदान किया जाता है।**

- किसी व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न में धन संदत्त या चीज परिदत्त की जाती है तो उसे व्यक्ति को प्रतिसंदाय या वापस करनी होगी।

❖ **नोट –**

प्रपीड़न शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थों में किया गया है न कि धारा 15 में प्रयुक्त अर्थों में। अत: प्रपीड़न के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की अवैध बाध्यता या जबरदस्ती शामिल है।

उदाहरण –

किसी सम्पत्ति पर बिक्री के निष्पादन को रोकने के लिए हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दिया गया धन वापस प्राप्त किया जा सकता है यद्यपि धारा 15 के अनुसार यह प्रपीड़न नहीं है। **(वाद – सेठ कन्हैया लाल बनाम दि नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया लि. (1913) 401A)**

❑❑❑

❍ **Section - 72 - Liability of person to whom money is paid, or thing delivered, by mistake or under coercion.**

- Any person by mistake or under coercion paid the money or delivered anything then than person has to repay or return it.

❖ **Note –**

The word Coercion is used in the ordinary sense and not in the sense used in Section 15. Therefore, coercion includes any kind of unlawful compulsion or coercion.

Example –

Money paid by an interested person to prevent the execution of sale on a property can be recovered though it is not coercion according to Section 15. **(Case – Seth Kanhaiya Lal v. The National Bank Of India Ltd. (1913) 401A)**

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 6
संविदा भंग के परिणाम के विषय में (धारा 73-75)

- संविदा भंग के लिए निम्नलिखित उपचार है –

1. प्रतिकर प्राप्त करना,
2. संविदा का विशिष्ट पालन करना,
3. व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार,
4. शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार,
5. ब्याज पाने का अधिकार।

❍ **धारा – 73 – संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर –** (अपरिनिर्धारित नुकसानी)

- जब कोई करार भंग हो जाता है, वह पक्षकार जिसे उस भंग से हानि हुई है, वह प्रतिकर पाने का अधिकार है।
- ऐसा प्रतिकर दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाएगा।
- **संविदा द्वारा सर्जित बाध्यताओं के सदृश बाध्यता का निर्वहन करने में असफल रहने पर प्रतिकर** – कोई भी व्यक्ति जिसे उसके निर्वहन में असफलता से क्षति हुई हो व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार से वही प्रतिकर पाने का हकदार है मानो ऐसे व्यक्ति ने उस बाध्यता का निर्वहन करने की संविदा की हो और उसने अपनी उस संविदा का भंग किया हो।

❍ **वाद – हैडले बनाम बैक्सेनडेल (1854) 9 Ex 341**
तथ्य – इस वाद में बैरन एल्डासन ने कहा कि ''हमारे विचार में जब संविदा का एक पक्षकार संविदा भंग करता है तो ऐसी स्थिति में उचित सिद्धांत यह है कि दूसरे पक्षकार को उतना प्रतिकर मिलना चाहिए जो ऐसे भंग के कारण उचित एवं युक्तियुक्त लगता हो अर्थात् जो इस भंग के कारण घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में उत्पन्न हुई हो या जिनके बारे में पक्षकारों को संविदा के सम्भावित परिणाम यही होंगे।''

- **प्रतिकर ऐसी हानि या क्षति के लिए प्राप्त किया जा सकता है –**
  1. जो संविदा के फलस्वरूप घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से हुई हो या
  2. भंग के कारण हुई ऐसी हानि जिसके होने की संभावना की जानकारी पक्षकारों को संविदा के समय रही हो (**वाद – सिम्पसन बनाम लन्दन एण्ड नार्थ वेस्टर्न रेलवे कं., 1876)**

Chapter – 6
Of the Consequences of breach of contract (Section 73-75)

- Following are the remedies for breach of contract–

1. To Receives compensation
2. Specific performance of the contract
3. The right to obtain an injunction
4. Right to impose penalty,
5. Right to get interest.

❍ **Section - 73 - Compensation for loss or damage caused by breach of contract**- (unliquidated damages)

- When a contract ha been broken, the party who suffers by such is entitled to compensation for any loss.
- Such compensation shall not be given for remote and indirect loss or damage.
- **Compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract** - Any person who is injured by the failure to obligation the same is entitled to the same compensation from the party in default as if such person had contracted the discharge, and he has breached that contract.

❍ **Case – Hadley v. Baxendale (1854) 9 Ex 341**
Fact - In this case Baron Aldason said that "In our view, when one party to the contract breaches the contract, the proper principle in such a situation is that the other party should get the same compensation." which appears to be reasonable and proper reason of such breach, that is to say, which has arisen in the ordinary course of events by reason of such breach, or which shall be the consequences of the contract to the parties.

- **Compensation may be received for such loss or damage –**
  1. which occurred naturally in the likely sequence of events as a result of the contract, or
  2. Loss caused by breach of which the parties were likely to have known at the time of contract **(Case – Simpson v. London and North Western Railway Co., 1876)**

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

मानसिक दुख तथा कष्ट -

- **क्या मानसिक दुख तथा कष्ट के लिए प्रतिकर दिया जा सकता है –** साधारण परिस्थितियों में मानसिक दुख तथा कष्ट के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाता है किन्तु विशेष स्थितियों में ऐसा हो सकता है।

❍ **वाद – राजकिशोर बनाम विनोद कुमार, AIR 1989 Pat 111**

तथ्य - इस वाद में क्रेता ने विक्रेता से विदेशी कार क्रय करने की संविदा की, कि पुन: क्रेता और विक्रेता के बीच नजदीकी संबंध थे। क्रेता कार के लिए अत्यधिक उत्सुक था और उसने विक्रेता की हर मौद्रिक मांग को पूरा किया। विक्रेता ने संविदा भंग कर दी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्रेता विक्रेता से मानसिक पीड़ा और संताप के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार था।

❍ **वाद – जारविस बनाम टूर्स लि. (1973)**

तथ्य - इस वाद में लार्ड डेनिंग ने कहा कि यह सिद्धान्त कि मानसिक कष्ट के लिए प्रतिकर प्राप्त नहीं हो सकता। यह अब बहुत पुराना हो गया है और समयानुकूल नहीं है। हाउस ऑफ लार्डर्स ने **एडिस बनाम ग्रामोफोन कं.लि., (1909) AC 488** में तीन ऐसा श्रेणियां बताई है जिनमें मानसिक कष्ट के लिए प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है वह है –

1. ग्राहक के चैक का अनुचित अनादर
2. विवाह के वचन का भंग
3. जमीन या भवन का विक्रेता अपना हक सिद्ध न कर सके।

❍ **धारा – 74 – जहां कि शास्ति का अनुबंध है वहां संविदा भंग के लिए प्रतिकर – (परिनिर्धारित नुकसानी)**

- जब संविदा के पक्षकार संविदा करते समय उस रकम को निर्धारित कर देते है, जो संविदा भंग की दशा में क्षतिपूर्ति के तौर पर देय होगी ऐसी निर्धारित रकम को परिनिर्धारित नुकसानी कहते है।
- **इस प्रकार धारा 74 निम्न उपबंध करती है –**
  1. जब संविदा में संविदा भंग की दशा में देय रकम नामित हो तब वह पक्षकार जो संविदा भंग से नुकसान उठाता है उस दशा में ऐसी नामित रकम से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का अधिकारी है।
  2. यहां पर यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि संविदा भंग से कोई वास्तविक नुकसानी या हानि हुई है।

Mental pain and suffering-

- **Can compensation be given for mental pain and suffering -** In ordinary circumstances, compensation is not given for mental pain and suffering, but it can be given in special situations.

❍ **Case – Rajkishore v. Vinod Kumar, AIR 1989 Pat 111**

Fact - The buyer made a contract to purchase a foreign car from the seller, again that there was a close relationship between the buyer and the seller. The buyer was very excited for the car and fulfilled every monetary demand of the seller. The seller breached the contract. The Court held that the buyer was entitled to receive compensation from the seller for mental pain and suffering.

❍ **Case–Jarvis v. Tours Ltd. (1973)**

Fact - In this case the Lord Denning said that the principle that compensation cannot be claimed for mental suffering. This principle is very old and is not proper. The House of Lords, in **Addis v. Gramophone Co., Ltd. (1909) AC 488**, has given three categories in which compensation for mental pain and suffering can be received for mental pain and suffereing.

1. Unfair dishonor of customer's cheque
2. Breach of promise of marriage
3. The seller of the land or building could not prove his right.

❍ **Section 74 - Compensation for breach of contract where penalty stipulated for - (Liquidated damages)**

- When the parties to the contract, while making the contract, determine the amount which will be payable as compensation in case of breach of contract, such fixed amount is called liquidated damages.
- **Thus Section 74 has the following provision**
  1. When the contract named the amount payable in the event of breach of contract, the party who suffers damages from the breach of contract is entitled to a reasonable compensation not exceeding the amount so named.
  2. It is not necessary here to prove that any actual damage or loss has been caused by the breach of contract.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

3. व्यतिक्रम की तारीख से वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्ति के तौर का अनुबंध हो सकेगा।
4. जबकि कोई व्यक्ति –
   क. कोई जमानतनामा, मुचलका या उसी प्रकृति की अन्य लिखत करता है, अथवा
   ख. किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के जिससे जनता हितबद्ध हो, के पालन के लिए कोई बन्धपत्र, विधि के उपबन्धों के अधीन या केन्द्रीय या किसी राज्य के सरकार के आदेशों के अधीन देता है,

- तब वह ऐसी लिखत के शर्त के भंग पर या नामित सम्पूर्ण राशि देने के लिए दायी है।

❍ **धारा – 75 – संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है –** वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उस संविदा का पालन न किए जाने से उठाया है।

- धारा 75 के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिकर का दावा करने वाले पक्षकार ने संविदा को अधिकारपूर्वक विखडिंत किया हो और उसे संविदा का पालन न होने से उसे हानि हुई है तो वह इस धारा के अन्तर्गत प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। **(वाद – हाजी अहमद यार खां बनाम अब्दुल गन्नी खां, AIR 1937)**

❑❑❑

3. A stipulation for increased interest from the date of default may be a stipulation by way of penalty.
4. Whereas any person —
   a. enteres into any bail, bond or other instrument of the same nature, or
   b. gives any bond for the performance of any public duty or any act in which the public is interested, under the provisions of law or under orders of the Central or any State Government,

- he shall be liable to pay the whole of the amount so named upon breach of the condition of such instrument.

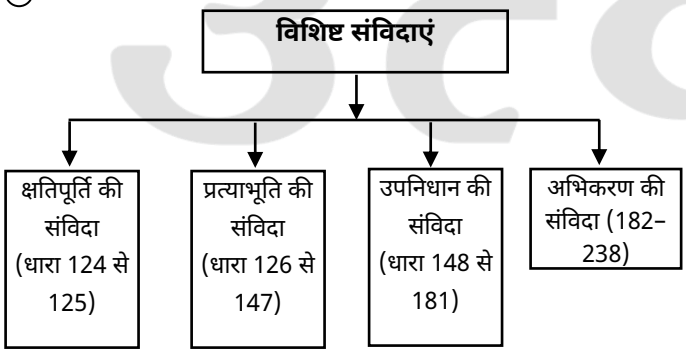
❍ **Section - 75 - Party rightfully rescinding contract, entitled to compensation -** The person who rightfully rescinds a contract is entitled to be compensated for the damage caused by the non-performance of that contract.

- In order to receive compensation under Section 75, it is necessary that the party claiming compensation has rightfully rescinded the contract and has suffered any loss due to non-performance of the contract, then he is entitled to receive compensation under this section. **(Case – Haji Ahmed Yar Khan v. Abdul Ghani Khan, AIR 1937)**

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 8
क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूति के विषय में
(धारा 124-147)



भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 124 से 238 तक में संविदा के कुछ विशिष्ट रूपों के बारे में प्रावधान किया गया है ये विशिष्ट संविदाएं निम्न हैं –

क्षतिपूर्ति की संविदा (धारा 124 से 125)

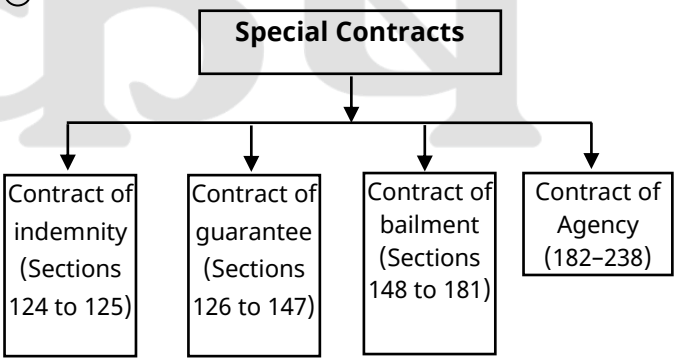
❍ **धारा – 124 - क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा –**

- 'वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है 'क्षतिपूर्ति की संविदा' कहलाती है।
- धारा 124 में दुर्घटनाओं द्वारा होने वाली हानियां सम्मिलित नहीं है हानि केवल मनुष्य के आचरण द्वारा होनी चाहिए। अत: बीमा की संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदा की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि समाश्रित संविदाओं से संबंधित उपबन्धों में आती है। क्षतिपूर्ति का वचन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है। ऐसा निर्णय प्रिवि कौंसिल द्वारा **सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम बैंक ऑफ इंडिया लि. 1938** में दिया गया। क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, अर्थात् हानि से बचाने की प्रतिज्ञा अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। **(वाद - शेफील्ड कारपोरेशन बनाम वर्कले (1905) SC 392)**

- **क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व –**

1. क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते है –
   (i) क्षतिपूर्तिकर्ता
   (ii) क्षतिपूर्तिधारी
   क्षतिपूर्ति की संविदा में विधिमान्य संविदा के सभी तत्व आवश्यक होते है।
2. इसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कुछ हानियों से बचाने का वचन देता है।
3. क्षतिपूर्ति की संविदाएं लिखित मौखिक अथवा आचरण द्वारा की जा सकती है।

Chapter – 8
Of indemnity and guarantee
(Section 124-147)



Provision has been made in Section 124 to 238 of the Indian Contract Act, 1872 regarding some specific forms of contract, these specific contracts are as follows –

Contract of Indemnity (Sections 124 to 125)

❍ **Section 124–"Contract of indemnity" defined –**

- A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the contract of the promisor himself, or by the conduct of any other person, is called a "contract of indemnity".
- Section 124 does not include damages caused by accidents; the loss should be caused only by human conduct. Therefore, contracts of insurance do not come under the category of contracts of indemnity but come under the provisions relating to contingent contracts. The promise of indemnity may be implied or expressed. Such a decision was given by the Privy Council in **Secretary of State v. Bank of India Ltd. 1938,** a contract of indemnity may be expressed or implied, that is to say, a promise to avoid loss may be expressed or implied. **(Case-Sheffield Corporation v. Varkaley (1905) SC 392)**

- **Essential elements of a contract of indemnity** -

1. There are two parties in a contract of indemnity–
   (i) Indemnifier and
   (ii) Indemnity holder
   In a contract of indemnity all the elements of a valid contract are necessary.
2. In this, promise is given by one party to protect the other party from certain losses.
3. Contracts of indemnity may be made in writing, by words, or by conduct.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

4. इसमें क्षतिपूर्ति धारी वास्तविक क्षति की पूर्ति कराने का हकदार होता है न कि अनुबंधित संपूर्ण राशि पाने का।
5. ऐसी संविदाएं सद्भावना पर आधारित है।

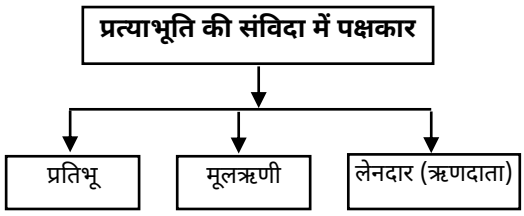
❍ **धारा – 125 – क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए-**

- वचनग्रहीता, वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है –
  1. सब नुकसानी, जिसके संदाय के लिए वाद में विवश किया जाए।
  2. सब खर्चें, जिनको देने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो।
  3. सब धनराशियां जो उसने ऐसे किसी वाद के किसी समझौते के निबन्धनों के अधीन दी हों,
- बैंक प्रतिभूतियां एवं क्रेडिट पत्र तथा बैंक द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति इस धारा के अन्तर्गत आते है। **(वाद – यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम बैंक ऑफ इंडिया AIR 1981 SC 1426)**

प्रत्याभूति की संविदा (धारा 126 से 147)

❍ **धारा – 126 – 'प्रत्याभूति की संविदा', 'प्रतिभू', 'मूलऋणी' और 'लेनदार' –**

- **प्रत्याभूति की संविदा से तात्पर्य किसी पर** व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या दायित्व का निर्वहन करने की संविदा से है।
- वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है 'प्रतिभू' कहलाता है।
- जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है वह मूलऋणी कहलाता है।
- वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है, लेनदार कहलाता है।
- प्रत्याभूति की संविदा या तो मौखिक या लिखित हो सकेगी।



- **प्रत्याभूति की संविदा तीन पक्षकारों के मध्य होती है –**
  1. एक प्रतिभू और मूल ऋणी के मध्य
  2. दूसरी प्रतिभू और लेनदार के मध्य और
  3. तीसरी मूलऋणी और ऋणदाता के मध्य
- चलत प्रत्याभूति के मामलों में समय-सीमा की गणना उस तिथि से प्रारम्भ होगी जिस तिथि को संविदा भंग हुई। **(वाद**

4. In this, the indemnity holder is entitled to get the actual damage and not the entire amount so stipulated.
5. Such contracts are based on good faith.

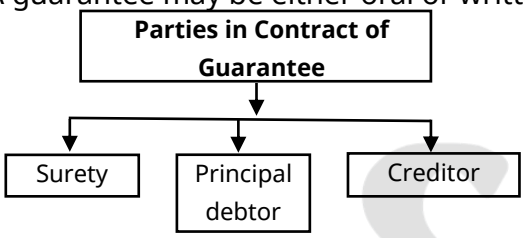
❍ **Section - 125 - Rights of indemnity-holder when sued -**

- The promisee is entitled to recover the following from the promisor -
  1. All damages which he may be compelled to pay in any suit.
  2. All expenses which he is authorized to pay.
  3. All sums paid by him under the terms of any compromise of any such suit,
- Bank securities and letters of credit and compensation paid by the bank are covered under this Section. **(Case – United Commercial Bank v. Bank of India AIR 1981 SC 1426)**

Contract of Guarantee (Sections 126 to 147)

❍ **Section - 126 - "Contract of guarantee", "surety", "principal debtor" and "creditor"**-

- **Contract of guarantee means** A "contract of guarantee" is a contract to perform the promise, or discharge the liability, of a third person in case of his default.
- The person who gives the guarantee is called the "surety";
- the person in respect of whose default the guarantee is given, is called the "principal debtor".
- the person to whom the guarantee is given is called the "creditor".
- A guarantee may be either oral or written.



- **The contract of guarantee is between three parties –**
  1. Between a surety and the principal debtor
  2. Between the surety and the creditor, and
  3. Between the principal debtor and the creditor.
- In case of Continuing guarantee, the time limit shall be reckoned from the date on which the contract is breached. (**Case – Union**

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अर्नाकुलम व टी.जे. स्टीफेन, AIR 1979 SC 102)

❍ **धारा – 127 – प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल –**

- मूलऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा।
- मूलऋणी के लिए जो भी कार्य किया गया है या वचन दिया गया है वह प्रतिभू की प्रत्याभूति के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।

❍ **क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रत्याभूति की संविदा में अंतर**

क्षतिपूर्ति की संविदा	प्रत्याभूति की संविदा
1. क्षतिपूर्ति की संविदा में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है, जो स्वयं वचनदाता द्वारा या अन्य व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है।	1. प्रत्याभूति की संविदा में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति की चूक की दशा में वचन के पालन या दायित्व के पालन में की जाती है।
2. क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते है – 1. क्षतिपूर्तिकर्ता, 2. क्षतिपूर्तिधारी	2. जबकि इसमें तीन पक्षकार होते है – 1. मूलऋणी, 2. ऋणदाता, 3. प्रतिभू
3. इसमें केवल एक ही संविदा होती है।	3. जबकि इसमें तीन संविदायें होती है – 1. मूलऋणी और ऋणदाता के मध्य 2. मूलऋणी और प्रतिभू के मध्य 3. ऋणदाता और प्रतिभू के मध्य
4. क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदाता का दायित्व प्राथमिक होता हैं।	4. जबकि इसमें प्रतिभू का दायित्व प्राथमिक नहीं बल्कि गौण होता है।

❍ **वाद – नागरिक सहकारी बैंक बनाम भारत संघ, AIR 1981**

तथ्य – क्षतिपूर्ति व प्रत्याभूति की संविदा में अन्तर बताए गए हैं।

Bank of India Ernakulam and T.J. Stephen, AIR 1979 SC 102)

❍ **Section – 127 – Consideration for guarantee –**

- Anything done, or any promise made, for the benefit of the principal debtor, may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee.
- Whatever is done or promised to the principal debtor is a sufficient consideration to guarantee the surety.

❍ **Difference between contract of indemnity and contract of guarantee**

Contract of Indemnity	Contract of Guarantee
1. In a contract of indemnity, one party promises to protect the other party from loss which depends on the conduct of the promisor himself or the other person.	1. A contract of guarantee is made by one person to another in the performance of a promise or obligation in the event of a third person's default.
2. There are two parties in a contract of indemnity – 1. Indemnifier, 2. Indemnity holder	2. While there are three parties in this – 1. principal debtor, 2. creditor, 3. Surety
3. There is only one contract in it.	3. While there are three contracts in this – 1. Between the principal debtor and the creditor 2. Between the principal debtor and the surety 3. Between the creditor and the surety
4. In a contract of indemnity, the liability of the indemnifier is primary.	4. Whereas in this the liability of the surety is not primary but secondary.

❍ **Case – Nagrik Sahakari Bank v. Union of India, AIR 1981**

Fact – Differences have been mentioned between the contract of indemnity and guarantee.

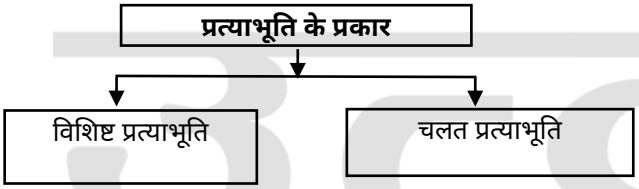
उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **धारा – 128 प्रतिभू का दायित्व –** प्रतिभू का दायित्व मूलऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है।

- मूलऋणी के विरुद्ध पारित डिक्री का निष्पादन ऋणदाता मूलऋणी के विरुद्ध अथवा प्रतिभू के विरुद्ध करा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि डिक्री के निष्पादन में पहले मूलऋणी की सम्पत्ति का विक्रय करायें और बाद में प्रतिभू से वसूल करें। **(वाद – बंशीलाल निवृत्ति पण्डित बनाम पंजाब नेशनल बैंक, AIR 2009 NOC)**
- ऋण का संदाय करने के लिए प्रतिभू मूलऋणी के साथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। **(वाद – पंजाब नेशनल बैंक बनाम गिरिराज प्रसाद मित्तल, AIR 2009 NOC)**
- **प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन-**
  (1) सूचना द्वारा।
  (2) प्रतिभू की मृत्यु द्वारा।
  (3) संविदा की शर्तो में फेरफार द्वारा।
  (4) मूल ऋणी के उन्मोचन द्वारा।
  (5) समझौते द्वारा या समय में वृद्धि।
  (6) लेनदार द्वारा प्रतिभूति खो देने पर।
  (7) दुर्व्यपदेशन द्वारा प्रत्याभूति प्राप्त करने पर।
  (8) छिपाव द्वारा प्रत्याभूति प्राप्त करने पर।
  (9) सह–प्रतिभू के सम्मिलित नहीं होने पर।

❍ **धारा – 129 – चलत प्रत्याभूति –** वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो 'चलत प्रत्याभूति' कहलाती है।

- इसमें प्रतिभू एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत मूलऋणी और लेनदार के मध्य होने वाले सभी संव्यवहारों के लिए प्रत्याभूति है।
- **चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण -**
  1. सूचना द्वारा
  2. प्रतिभू की मृत्यु द्वारा
  3. परिवर्तन द्वारा
  4. मूलऋणी को नियुक्त करने या उसका उन्मोचन करने पर



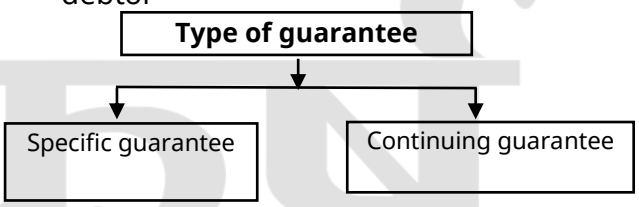
- विशिष्ट प्रत्याभूति की दशा में प्रतिभू किसी एक विशिष्ट संव्यवहार के संबंध में प्रत्याभूति देता है, यह विशिष्ट प्रत्याभूति है।
- उदाहरण के लिए, क, ख को वचन देता है कि वह ग को 1000/- रूपये ऋण के रूप में देगा तो ग द्वारा वापस

❍ **Section 128 Surety's liability.—**The liability of the surety is co- extensive with that of the principal debtor.

- The decree passed against the principal debtor can be executed by the creditor against the principal debtor or against the surety. It is not necessary that in the execution of the decree, first the property of the principal debtor should be sold and after than recovered from the surety. **(Case – Banshilal Nivritti Pandit v. Punjab National Bank, AIR 2009 NOC)**
- The surety is jointly liable with the principal debtor for payment of the debt. **(Case – Punjab National Bank v. Giriraj Prasad Mittal, AIR 2009 NOC)**
- **Discharge of liability of Surety-**
  (1) by notice.
  (2) By the death of surety.
  (3) By variation in the terms of the contract.
  (4) By discharge of the principal debtor.
  (5) by settlement or by extension of time.
  (6) On lost of security by the creditor.
  (7) On obtaining a guarantee by misrepresentation.
  (8) On obtaining a guarantee by concealment.
  (9) In the absence of co-surety.

❍ **Section - 129 - Continuing guarantee**-The guarantee which extends to any series of transactions is called ' Continuing Guarantee'.

- In this, the surety is the guarantee for all the transactions between the principal debtor and the creditor within a specified period.
- **Revocation of continuing Guarantee**
  1. By notice
  2. By the death of surety
  3. By variance.
  4. On appointment or discharge of principal debtor



- In case of specific guarantee, the surety gives a guarantee in respect of a specific transaction, it is a specific guarantee.
- For example, A gives promise undertaking to B to give Rs 1000/- as debt to C, then in case

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

करने में चूक की स्थिति में क उक्त ऋण ख को वापस करेगा। यह विशिष्ट प्रत्याभूति है।

	विशिष्ट प्रत्याभूति		चलत प्रत्याभूति
1	विशिष्ट प्रत्याभूति किसी एक संव्यवहार विशेष के लिए होती है।	1	चलत प्रत्याभूति का विस्तार संव्यवहारों की एक श्रृंखला तक होता है।
2	विशिष्ट प्रत्याभूति का विखण्डन संभव नहीं है।	2	चलत प्रत्याभूति का विखण्डन किया जा सकता है।
3	विशिष्ट प्रत्याभूति संव्यवहार विशेष के पूरा होने पर समाप्त हो जाती है।	3	चलत प्रत्याभूति प्रतिभू की मृत्यु, सूचना संविदा में परिवर्तन आदि पर समाप्त होती है।
4	विशिष्ट प्रत्याभूति में प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी द्वारा किसी एक संव्यवहार विशेष को पूरा नहीं किए जाने पर ही उत्पन्न होता है।	4	चलत प्रत्याभूति में मूल ऋणी द्वारा संव्यवहार की श्रृंखला में से किसी को भी पूरा नहीं किए जाने पर प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न हो जाता है।

- **धारा – 130 – चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण –**
- चलत प्रत्याभूति का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण लेनदार को किसी भी समय प्रतिभू कर सकेगा-
  1. सूचना द्वारा
  2. प्रतिभू की मृत्यु द्वारा
  3. ऋणी एवं लेनदार के बीच संविदा के निबंधों में फेरफार द्वारा
- **धारा – 131 – चलत प्रत्याभूति का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण।**
- **धारा – 132 – प्रथमत: दायी दो व्यक्तियों के दायित्व पर उनके बीच के इस ठहराव का प्रभाव नहीं पड़ता कि उनमें से एक के व्यतिक्रम पर दूसरा प्रतिभू होगा।**
- **धारा – 133 – संविदा के निबंधनों में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन –**
- जो भी फेरफार मूलऋणी और लेनदार के बीच की संविदा के निबन्धनों के संबंध में प्रतिभू की सम्मति के बिना किया जाए तो वह उस फेरफार के पश्चात्वर्ती संव्यवहारों के बारे में प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन करती है।

of default by C, A will repay the said debt to B. This is a special guarantee.

	Specific guarantee		Continuing guarantee
1	A Specific guarantee is for a specific transaction.	1	A continuing guarantee extends to a series of transactions.
2	It is not possible to rescind a specific guarantee.	2	A continuing guarantee can be rescinded.
3	The specific guarantee expires on the completion of the specific transaction.	3	The continuing guarantee expires on the death of the surety, alteration in the contract, and on notice etc.
4	In specific guarantee, the liability of the surety arises only when the original debtor does not perform a particular transaction.	4	In a continue guarantee, the liability of the surety arises when the original debtor does not perform any of the series of transactions.

- **Section - 130 - Revocation of continuing guarantee-**
- The revocation of continuing gurantee of future transactions may be revoked by surety at any time -
  1. By notice to the creditor
  2. By the death of surety
  3. By variation in the terms of the contract between the debtor and the creditor
- **Section – 131 – Revocation of continuing guarantee by surety's death –**
- **Section 132 - Liability of two persons, primarily liable, not affected by arrangement between them that one shall be surety on other's default.**
- **Section – 133 – Discharge of surety by variance in terms of contract –**
- Any variance, made without the surety"s consent, in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor, discharges the surety as to transactions subsequent to the variance.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **धारा – 134 – मूलऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन –**

• लेनदार और मूलऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से, जिसके द्वारा मूलऋणी निर्मुक्त हो जाए या लेनदार के किसी ऐसे कार्य या लोप से, जिसका विधिक परिणाम मूलऋणी का उन्मोचन हो, प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है।

❍ **धारा – 135 – प्रतिभू का उन्मोचन जब कि लेनदार मूलऋणी के साथ प्रशमन करता है उसे समय देता है या उस पर वाद न लाने का करार करता है।**

❍ **धारा – 136 – जब कि मूलऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नही होता।**

❍ **धारा – 137 – लेनदार का वाद लाने से प्रविरत रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता।**

❍ **धारा – 138 – एक सह-प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती ।**

❍ **धारा – 139 – लेनदार के ऐसे कार्य या लोप से जिसे प्रतिभू के पारिणामिक उपचार का ह्रास है प्रतिभू का उन्मोचन।**

प्रतिभू के अधिकार

❍ **धारा – 140 – संदाय या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार –**

• जहाँ कोई प्रत्याभूत ऋण शोध्य हो गया है या कर्त्तव्य के पालन में मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया है वहां सब अधिकार संदाय के पालन पर प्रतिभू में निहित हो जाते हैं।

❍ **धारा – 141 – लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार।**

❍ **धारा – 142 – दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी।**

❍ **धारा – 143 – छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी।**

❍ **धारा – 144 – इस संविदा पर प्रत्याभूति देना कि लेनदार उस पर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक सह-प्रतिभू सम्मिलित नहीं हो जाता।**

• यदि सह-प्रतिभू सम्मिलित नही होता है तो वह अविधिमान्य होगी।

❍ **धारा – 145 – प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन –**

❍ **धारा – 146 – सह-प्रतिभू समानत: अभिदाय करने के दायी होते है।**

❍ **धारा – 147 – विभिन्न राशियों के लिए आबद्ध सह-प्रतिभुओं का दायित्व –** सहप्रतिभू अपनी-अपनी बाध्यताओं की परिसीमाओं तक समानत: संदाय करने के दायी है।

❑❑❑

❍ **Section – 134 – Discharge of surety by release or discharge of principal debtor** –

• The surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor, by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor.

❍ **Section - 135 - Discharge of surety when creditor compounds with, gives time to, or agrees not to sue, principal debtor.**

❍ **Section - 136 - Surety not discharged when agreement made with third person to give time to principal debtor.**

❍ **Section - 137 - Creditor's forbearance to sue does not discharge surety.**

❍ **Section 138 - Release of one co-surety does not discharge others.**

❍ **Section - 139 - Discharge of surety by creditor's act or omission impairing surety's eventual remedy.**

Rights of Surety

❍ **Section – 140 – Rights of surety on payment or performance** –

• When a guaranteed debt has become due or default of principal debtor to perform, all the rights which the creditor had against the principal debtor is invested.

❍ **Section – 141 – Surety's right to benefit of creditor's securities –**

❍ **Section – 142 – Guarantee obtained by misrepresentation invalid**.

❍ **Section – 143 – Guarantee obtained by concealment is be invalid.**

❍ **Section 144 - Guarantee on contract that creditor shall not act on it until co-surety joins**.

• If co-surety is not included, it will be invalid.

❍ **Section - 145 - Implied promise to indemnify surety -**

❍ **Section – 146 – Co-sureties liable to contribute equally**.

❍ **Section – 147 – Liability of co-sureties bound in different sums –** Co-sureties are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permits.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 9
उपनिधान के विषय में
(धारा 148-181)

❍ **धारा – 148 – 'उपनिधान', 'उपनिधाता' और 'उपनिहिती' की परिभाषा –**

- उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या उसे परिदान करने वाले व्यक्ति के निदेशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा।
- माल का परिदान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता कहलाता है। वह व्यक्ति, जिसको वह परिदत्त किया जाएगा जिसको वह परिदत्त किया जाता है उपनिहिती कहलाता है।
- **उपनिधान के आवश्यक तत्व –**
  1. चल सम्पत्ति
  2. कब्जे का परिदान
  3. विशिष्ट प्रयोजन के लिए
  4. वापस लौटाने की शर्ते
  5. संविदाजन्य तत्व भी आवश्यक है।
- **उपनिधान के प्रकार**

1. **निक्षेप** – यह वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने वाला एक सामान्य प्रकार का उपनिधान होता है। बैंक के लॉकर में मूल्यवान वस्तुओं का रखा जाना इसका एक अच्छा उदाहरण है लेकिन बैंक के बचत खाते में रूपए जमा कराना उपनिधान नहीं है।
2. **अवक्रय (hire)** जब वस्तुऐं उपनिहिती को किराए पर दी जाती है। तब उसे अवक्रय रूपी उपनिधान कहा जाता है।
3. **मंगनी (Commodatum)** – किसी व्यक्ति को विशिष्ट प्रयोजन के लिए नि:शुल्क कोई वस्तु परिदान करना मंगनी रूपी उपनिधान कहलाता है।
4. **गिरवी (Pledge) –** गिरवी रूप उपनिधान में ऋणी द्वारा ऋणदाता उधार लिए गए धन की प्रतिभू के लिए वस्तुएं ऋणदाता के पास रखी जाती है।
5. **वाहक (Carrier) –** वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनका वाहक को परिदान करना उपनिधान की श्रेणी में आता है।

❍ **धारा – 149 – उपनिहिती को परिदान किस प्रकार किया जाए –** उपनिहिती को परिदान कुछ करके दिया जाता है। ऐसा कोई कार्य करके जिसमें माल का कब्जा उपनिहिती को हुआ मान लिया जाता है।

Chapter – 9
Of bailment
(Section 148-181)

❍ **Section – 148 – "Bailment" "bailor" and "bailee" defined –**

- A "bailment" is the delivery of goods by one person to another for some purpose, upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them.
- The person delivering the goods is called the "bailor". The person to whom they are delivered is called, the "bailee".
- **Essential elements of the bailment –**
  1. Movable property
  2. Delivery of Possession
  3. For specific purpose
  4. Conditions of Return
  5. The contractual element is also necessary.
- **Types of bailment**

1. **Deposit** – It is a general type of bailment in which articles kept in safe custody. Keeping valuables in a bank's locker is a good example of this, but depositing money in a bank's savings account is not a bailment.
2. **Hire** When the goods are let out to the bailee. Then it is called a bailment in the form of hire.
3. **Commodatum** - The delivery of any object free of cost to a person for a specific purpose is called Commodatum in form of bailment.
4. **Pledge** - In the form of pledge, things are kept with the debtor by the creditor for the security of the money borrowed by the debtor.
5. **Carrier** – To carry goods from one place to another, their delivery to the carrier comes under the category of bailment.

❍ **Section - 149 - Delivery to bailee how made-** delivery to bailee may be made by doing any thing. Any act is done in which possession of the goods is deemed to have come to the bailee.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

जैसे – माल की बिल्टी देना, गोदाम की चाबी देना आदि।

❍ **धारा – 150 – उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य –**

1. उपनिहित माल की त्रुटियों को बताने का कर्तव्य,
2. क्षतिपूर्ति करने का कर्तव्य,
3. माल को परिदान करने का कर्तव्य,

❍ **धारा – 151 – उपनिहिती द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता –**

- उपनिहिती वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है।

❍ **धारा – 152 – उपनिहित चीज की हानि आदि के लिए उपनिहिती कब दायी नहीं है –**

- विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है।

❍ **धारा – 153 – उपनिहिती के ऐसे कार्य द्वारा जो शर्तों से असंगत हो, उपनिधान का पर्यवसान -**

❍ **धारा – 154 – उपनिहित माल का अप्राधिकृत उपयोग करने वाले उपनिहिती का दायित्व -**

❍ **धारा – 155 – उपनिहिती के माल के साथ उपनिधाता की सम्पत्ति से उसके माल के मिश्रण का प्रभाव**

❍ **धारा – 156 – जबकि माल पृथक् किए जा सकते हों तब उपनिधाता की सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव**

❍ **धारा – 157 – जबकि माल पृथक् न किए जा सकते हों तब उपनिहिती को सम्मति के बिना किए गए मिश्रण का प्रभाव**

❍ **धारा – 158 – आवश्यक व्ययों का उपनिधाता द्वारा प्रतिसंदाय**

❍ **धारा – 159 – आनुग्राहिक रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन**

❍ **धारा – 160 – समय के अवसान पर या प्रयोजन पूरा होने पर उपनिहित माल की वापसी**

❍ **धारा – 161 – जबकि माल सम्यक् रूप से वापस न किया जाए तब उपनिहिती का उत्तरदायित्व**

❍ **धारा – 162 – आनुग्राहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान**

❍ **धारा – 163 – उपनिधाता उपनिहित माल में हुई वृद्धि या उससे हुए लाभ का हकदार**

❍ **धारा – 164 – उपनिहिती के प्रति उपनिधाता का उत्तरदायित्व**

❍ **धारा – 165 – कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान**

E.g., giving a bundle of goods, giving a key to a warehouse, etc.

❍ **Section - 150 - Bailor's duty to disclose faults in goods bailed -**

1. Duty to disclose defects of goods bailed
2. Duty to indemnify
3. Duty to deliver goods

❍ **Section 151 – Care to be taken by bailee –**

- To take as much care of the goods bailed as a man of ordinary prudence would in the same circumstances take of his on goods of same bulk, quality and value as the goods bailed.

❍ **Section – 152 – Bailee when not liable for loss, etc., of thing bailed –**

- In the absence of a special contract, the bailee is not liable for loss, destruction or deterioration of thing bailed.

❍ **Section – 153 – Termination of bailment by bailee's act inconsistent with conditions**

❍ **Section – 154 – Liability of bailee making unauthorized use of goods bailed**

❍ **Section 155 - Effect of mixture, with bailor's consent, of his goods with bailee's**

❍ **Section 156 - Effect of mixture, without bailor's consent, when the goods can be separated**

❍ **Section 157 - Effect of mixture, without bailor's consent, when the goods cannot be separated**

❍ **Section 158 - Repayment, by bailor, of necessary expenses**

❍ **Section 159 - Restoration of goods lent gratuitously**

❍ **Section 160 - Return of goods bailed, on expiration of time or accomplishment of purpose**

❍ **Section 161- Bailee's responsibility when goods are not duly returned**

❍ **Section 162 - Termination of gratuitous bailment by death**

❍ **Section 163 - Bailor entitled to increase or profit from goods bailed**

❍ **Section 164 - Bailor's responsibility to bailee**

❍ **Section 165 - Bailment by several joint owners**

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **धारा – 166 – बिना हक वाले उपनिधाता को वापस परिदान करने पर उपनिहिती उत्तरदायी न होगा**

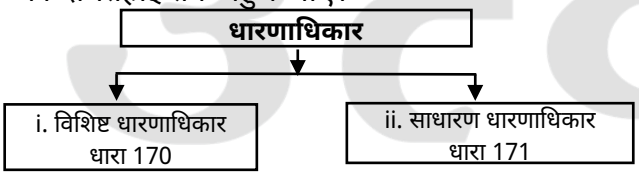
❍ **धारा – 167 – उपनिहित माल पर दावा करने वाले पर व्यक्ति का अधिकार—**

❍ **धारा – 168 – माल पड़ा पाने वाले का अधिकार –**

- माल का परिरक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छया उठाए गए कष्ट और व्यय के लिए प्रतिकर का स्वामी पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है।
- किन्तु तब तक माल को प्रतिधृत रख सकेगा जब तक उसे ऐसा प्रतिकर न मिल जाए।
- यदि स्वामी ने खोए माल की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट पुरस्कार देने की प्रस्थापना की हो, तो पड़ा पाने वाला ऐसे पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा जब तक उसे वह पुरस्कार न मिल जाए।

❍ **धारा – 169 – सामान्यतया विक्रय होने वाली चीज को पड़ी पाने वाला उसे कब बेच सकेगा –**

1. जब उस चीज के नष्ट हो जाने का खतरा हो
2. उस चीज का मूल्य कम होने का खतरा हो या
3. चीज की पड़ी पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य की दो-तिहाई तक पहुँच जाए।



- किसी सम्पत्ति के प्रति खर्चे प्राप्त करने के प्रयोजन से रोकने को धारणाधिकार कहते हैं।

❍ **धारा – 170 – उपनिहिती का विशिष्ट धारणाधिकार –**

1. उपनिहिती ने, उपनिहित माल के बारे में उपनिधान के प्रयोजन के लिए सेवा की हो,
2. सेवा करते समय श्रम और कौशल का प्रयोग किया हो
3. तब उसे माल को प्रतिधारण करने का अधिकार है।
4. जब तक उपनिहिती सम्यक् पारिश्रमिक नहीं पा लेता है।

- **उपनिहिती के अधिकार**
  1. प्रतिकर प्राप्त करने का
  2. व्यय और पारिश्रमिक पाने का अधिकार
  3. वेतन का अधिकार

उदाहरण –

क एक जौहरी ख को अनगढ़ हीरा काटने और पालिश किए जाने के लिए परिदत्त करता है। तद्नुसार वैसा कर दिया जाता है। ख उस हीरे का तब तक प्रतिधारण का हकदार है जब तक उसे उन सेवाओं के लिए जो उसने की है, संदाय न कर दिया जाए।

❍ **Section 166 - Bailee not responsible on re-delivery to bailor without title**

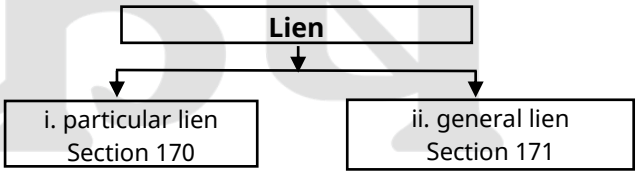
❍ **Section 167 - Right of third person claiming goods bailed.—**

❍ **Section – 168 – Right of the finder of goods–**

- There is no right to sue the owner for compensation for the trouble and expense voluntarily caused by him in preserving the goods and finding the owner.
- But he may retain such goods until he receives such compensation.
- If the owner has offered to pay a specific reward for the return of the goods lost, the finder may sue for such reward until he receives the reward.

❍ **Section 169 –When finder of thing commonly on sale may sell it—**

1. When that thing is in danger of perishing
2. of losing the greater part of its value
3. The lawful charge of the finder of the thing amount to two-thirds of its value.



- The withholding for the purpose of receiving expenses against a property is called a lien.

❍ **Section – 170 – bailee's Particular lien rendered any service –**

1. The bailee has served for the purpose of bailment in respect of the bailed goods,
2. Used labor and skill
3. Then he has the right to retain the goods.
4. Until the bailee is remunerated.

- **The Right of bailee**
  1. To receive compensation
  2. The right to be paid and remunerated
  3. Right to salary

Example –

A delivers a rough diamond to B, a jeweller, to be cut and polished, which is accordingly done. B is entitled to retain the stone till he is paid for the services he has rendered.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❍ **धारा – 171 – बैंकरों, फैक्टरों, घाटवालों, अटर्नियों और बीमा-दलालों का साधारण धारणाधिकार –**

(a) बैंकर
(b) फैक्टर
(c) घाटवाल
(d) उच्च न्यायालय के अटार्नी, और
(e) बीमा दलाल

इन सभी को यह उपनिहित किसी माल को लेखाओं के बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिधृत रख सकें।

❖ **नोट –**

अन्य किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

- साधारण धारणाधिकार के अंतर्गत उपनिहिती, उपनिधाता की कोई भी वस्तु जो उसके पास है, रोक सकता है भले ही कार्य किसी अन्य वस्तु पर हुआ हो। इस प्रकार साधारण धारणाधिकार किसी भी वस्तु को रोकने का अधिकार देता है।

गिरवीरूपी उपनिधान (धारा 172 से 181)

❍ **धारा – 172 – गिरवी पणयमकार और पणयमदार की परिभाषा –** किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता पणयमकार कहलाता है। उपनिहिती पणयमदार कहलाता है।

- **गिरवी के आवश्यक तत्व –**

1. चल सम्पत्ति का होना
2. ऋण के संदाय के लिए या
3. वचन के पालन के लिए
4. प्रतिभूति के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को देना।

- **गिरवी कौन कर सकता है –** सामान्य नियम यह है कि गिरवी केवल माल के स्वामी द्वारा या प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।

❖ **अपवाद –**

उपर्युक्त नियम के निम्नलिखित तीन अपवाद है –

1. वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी
2. शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी ।
3. गिरवी जहां कि पणयमकार केवल परिसीमित हित रखता है।

❍ **धारा – 173 – पणयमदार का प्रतिधारण का अधिकार–**

1. ऋण के संदाय के लिए या
2. वचन के पालन के लिए
3. ब्याज के लिए या

❍ **Section – 171 – General lien of bankers, factors, wharfingers, attorneys and policy-brokers –**

(a) Bankers
(b) Factors
(c) Warfingers, and
(d) Attorney's of High Court
(e) Policy broker

All of them have a right to retain the goods bailed to them as a security for general balance of accounts.

❖ **Note –**

No other person has this right.

- Under a general lien, the bailee can withhold any article of the bailee that is in his possession, even if the act is done on some other thing. Thus a general lien gives the right to withhold anything.

Bailments of Pledges (Sections 172 to 181)

❍ **Section - 172 - "Pledge" "pawnor", and "pawnee" defined-** The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called "pledge". The bailor is in this case called the "pawnor". The bailee is called the "pawnee".

- **Essential Elements of pledge –**

1. Having movable property
2. For payment of debt or
3. To performance the promise
4. To give as security to any other person.

- **Who can pledge –** The general rule is that the pledge can be made only by the owner of the goods or by any person authorized.

❖ **Exception** –

There are three exceptions to the above rule –

1. Pledge by commercial agent
2. Pledge by the person in possession under a voidable contract.
3. Pledge where the pawnee has only limited interest.

❍ **Section – 173 – Pawnee's right of retainer–**

1. For payment of debt or
2. For performance of a promise
3. For interest of the debt or

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

4. गिरवी माल के कब्जे के लिए या
5. माल के परीक्षण के लिए
6. सभी आवश्यक खर्चों के लिए पणयमदार को प्रतिधारण का अधिकार होगा।

❍ **धारा – 174 – जिस ऋण या वचन के लिए माल गिरवी रखा गया है पणयमदार उससे भिन्न ऋण या वचन के लिए उसका प्रतिधारण नहीं करेगा।**

❍ **धारा – 175 – उपगत गैर-मामूली व्ययों के बारे में पणयमदार के अधिकार –** पणयमदार गिरवी माल के परिरक्षण के संबंध में किए ग गैर मामूली व्ययों पणमयकार से वसूल कर सकता है।

❍ **धारा – 176 – पणयमदार का अधिकार जहां कि पणमयकार व्यतिक्रम करता है।**

1. ऋण या वचन पर पणयमकार के विरूद्ध वाद लाने का अधिकार
2. माल को प्रतिभूति के रूप में प्रतिधारण करने का अधिकार
3. गिरवी चीज को पणयमकार को सूचना देकर बेचने का अधिकार
4. उस चीज को बेचने के बाद विक्रय के आगम उस रकम से अधिक है तो पणयमदार वह अधिशेष पणयमकार को देगा।

❍ **धारा – 177 – व्यतिक्रम करने वाले पणयमकार का मोचनाधिकार प्राप्त है।**

❍ **धारा – 178 – वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी –** वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा की गई गिरवी विधिमान्य होगी भले ही माल के स्वामी ने इसके लिए उसे प्राधिकृत न किया हो।

- **वाणिज्यिक अभिकर्ता मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं–**
  1. दलाल
  2. आढतिया, एवं
  3. नीलामकर्ता
- **माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 (9) के अनुसार** – वाणिज्यिक अभिकर्ता से अभिप्राय ऐसे अभिकर्ता से है जो कारबार के रूढिक अनुक्रम में या तो माल के विक्रय का या विक्रय के प्रयोजनों के लिए माल के पोषण का या माल के क्रय का या माल की प्रतिभूति पर धन खड़ा करने का प्राधिकार रखता हो।

❍ **धारा – 178क – शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी।**
शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत माल प्राप्त करने वाला यदि संविदा उस समय विखण्डित न हुई हो तो पणयमदार उस माल पर अच्छा हक अर्जित कर लेता है और

4. For the possession of pleaged goods or
5. For preservation of good pledged
6. For all necessary expenses. The pawnee has the right to retain the goods pledged.

❍ **Section - 174 - Pawnee not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged.**

❍ **Section – 175 – Pawnee's right as to extraordinary expenses incurred -** The pawnee is entitled to receive from the pawnor extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged.

❍ **Section – 176 – Pawnee's right where pawnor makes default.**

1. Right to sue Pawnor on debt or promise
2. Right to retain goods as collateral security
3. Right to sell the pledged thing after giving notice to the pawnor
4. If the proceeds of the sale, after selling that article, exceed that amount, the pawnee shall pay the surplus to the pawnor.

❍ **Section – 177 – Defaulting pawner's right to redeem.**

❍ **Section - 178 - Pledge by mercantile agent**
A pledge made by a mercantile agent shall be valid even if the owner of the goods has not authorized him to do so.

- **There are mainly three types of commercial agents-**
  1. Broker
  2. Agents, and
  3. Auctioneer
- **According to Section 2(9) of Sale of Goods Act, 1930 "mercantile agent"** means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods, or to consign goods for the purposes of sale, or to buy goods, or to raise money on the security of goods.

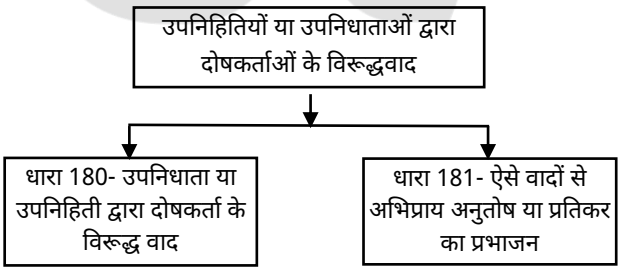
❍ **Section – 178A – Pledge by person in possession under voidable contract.**
If a person receiving of the goods under a voidable contract if the contract has not been rescinded at the time of the pledge then a pawnee acquires a good title to the goods

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

पणयमदार ने सद्भावपूर्वक और गिरवीकर्ता के हक की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य किया हो।

- **धारा – 179 – गिरवी जहां कि पणयमकार केवल परिसीमित हित रखता है –**

यदि कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें वह केवल परिसीमित हित रखता है तो गिरवी उसके हित के विस्तार तक विधिमान्य होगी।

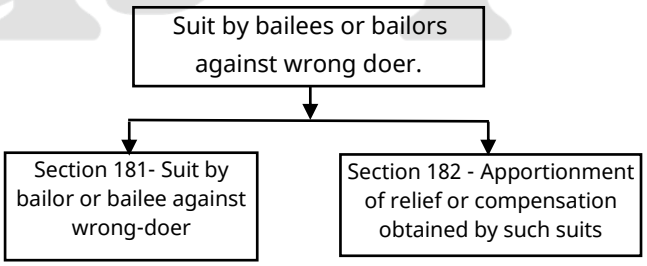


❑❑❑

and the payee has acted in good faith and without notice of the defect of title.

- **Section - 179 - Pledge where the pawnor has only limited interest.**

If a person pledges goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest.



❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

अध्याय – 10
अभिकरण, अभिकर्ताओं की नियुक्ति और प्राधिकार (धारा 182-238)

❍ **धारा – 182 – अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा –**

- अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर-व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है 'मालिक' कहलाता है।
- अभिकरण एक ऐसी संविदा है जिसके अन्तर्गत मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उसका तीसरे पक्षकार के साथ संविदात्मक सम्बन्ध स्थापित कर सके।

❍ **धारा – 183 – अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा –** विधि के अनुसार प्राप्तवय और स्वस्थचित्त व्यक्ति अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा।

❍ **धारा – 184 – अभिकर्ता कौन हो सकेगा** जहाँ तक मालिक और पर-व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकते है।

- कोई व्यक्ति जो प्राप्तवय और स्वस्थचित्त हो और अपने मालिक के प्रति उत्तरदायी होगा।

❍ **धारा – 185 प्रतिफल आवश्यक नहीं है—** अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है।

- अभिकरण के सम्बन्ध की स्थापना निम्न ढंग से होती है –
  1. स्पष्ट रूप से नियोजन द्वारा
  2. पक्षकारों के आचरण या सम्बन्ध द्वारा
  3. परिस्थितियों की आवश्यकताओं द्वारा
  4. अनुसमर्थन द्वारा

❍ **धारा – 186 – अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकेगा।**

❍ **धारा – 187 – अभिव्यक्त और विवक्षित प्राधिकार की परिभाषाऐं -**

- **अभिव्यक्त प्राधिकार –** जब वह मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा दिया जाऐं।
- **विवक्षित प्राधिकार –** जब कि उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक या लिखित बातों

Chapter – 10
Agency Appointment and Authority of Agents (Section 182-238)

❍ **Section – 182 – "Agent" and "principal" defined –**

- An "agent" is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third persons. The person for whom such act is done, or who is so represented, is called the "principal".
- An agency is a contract under which the principal appoints a person who can establish a contractual relationship with a third party.

❍ **Section - 183 - Who may employ agent** - According to law, a person of age of majority and sound mind may employ an agent.

❍ **Section – 184 – Who may be an agent**-Any person can be an agent as far as the relationship between the owner and the third persons is concerned.

- Any person who is of age of majority and sound mind and shall be liable to his principal.

❍ **Section - 185 - Consideration not necessary -** No consideration is necessary to create an agency.

- The relationship of agency is established in the following way:
  1. By clearly employing
  2. By the conduct or relationship of the parties
  3. By the requirements of the circumstances
  4. By ratification

❍ **Section - 186 - Agent's authority may be expressed or implied.**

❍ **Section - 187 - Definitions of express and implied authority -**

- **Expressed authority** - When it is given orally or by written words.
- **Implied authority** - When it is to be inferred from the circumstances of the case and things spoken or written, or the ordinary

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

या व्यवहार के मामली अनुक्रम की मामलें की परिस्थितियों में गणना की जा सकेगी।

❍ **धारा – 188 – अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार** –

1. अभिकर्ता हर ऐसी विधिपूर्ण बात करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कारबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या
2. ऐसे कारबार के संचालन के लिए उसके अनुक्रम में प्राय: की जाती हो।

❍ **धारा – 189 – आपात में अभिकर्ता का प्राधिकार –**

- मालिक की संरक्षा करने के प्रयोजन से सारे ऐसे कार्य करे जैसे मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति अपने मामले में वैसे ही परिस्थितियों में करता।

उपाभिकर्ता

❍ **धारा – 190 – अभिकर्ता कब प्रत्यायोजन नहीं कर सकता–**

- जब अभिकर्ता ने कोई कार्य किए जाने का भार अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से लिया हो किसी अन्य व्यक्ति का विधिपूर्वक नियोजन तब कर सकेगा जबकि उपाभिकर्ता का नियोजन व्यापार की मामूली रूढ़ि के अनुसार किया जा सकता हो या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार-
- **उपाभिकर्ता की नियुक्ति दो अवस्थाओं में की जाती है**–

1. व्यापार की मामूली रूढ़ि के अनुसार।
2. अभिकरण की प्रकृति के अनुसार।

❍ **धारा – 191 – उपाभिकर्ता की परिभाषा –** उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उनके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो।

❍ **धारा – 192 – उचित तौर पर नियुक्त उपाभिकर्ता द्वारा मालिक का प्रतिनिधित्व –** पर व्यक्तियों के संबंध में मालिक का प्रतिनिधित्व उपाभिकर्ता है और मालिक उसके कार्यो से ऐसे ही आबद्ध और उत्तरदायी है मानो वह मालिक द्वारा नियुक्त उपाभिकर्ता हो।

- **उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व –** अभिकर्ता उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी है।
- **उपाभिकर्ता का उत्तरदायित्व –** उपाभिकर्ता अपने कार्यों के लिए अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है, कपट या जानबूझकर किए गए दोष की दशा को छोड़कर मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

course of dealing may be accounted circumstances of the the case.

❍ **Section – 188 – Extent of agent's authority–**

1. Agent has the authority to do every lawful thing as may be necessary for the purpose of the conduct of such business, or
2. Lawful thing necessary for conducting business.

❍ **Section – 189 – Agent's authority in an emergency –**

- To do all such act For the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence, in his own case, under similar circumstances.

Subagent

❍ **Section – 190 – When agent cannot delegate –**

- When the agent, either expressly or impliedly performs, any act, may lawfully employ any other person when the sub-agent may be employed in accordance with the ordinary custom of trade or from the nature of agency.
- **Appointment of sub-agent is done in two stages –**

1. According to the ordinary custom of trade.
2. According to the nature of the agency.

❍ **Section – 191 – "Sub-agent" defined**–A "sub-agent" is a person employed by, and acting under the control of, the original agent in the business of the agency.

❍ **Section – 192 – Representation of principal by sub-agent properly appointed**– As regard to third person, the principal is represented by the sub agent and is bound by and responsible for his acts as if he were an agent originally appointed by the principal.

- **Agent's responsibility for sub-agent**-The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent.
- **Responsibility of the sub-agent**–The subagent is responsible to the Agent for his actions, except in the case of fraud or willful wrong, not liable to the principal.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

- **उपाभिकर्ता के नियुक्ति के प्रभाव –**
  1. पर-व्यक्तियों के सम्बन्ध में मालिक उनके प्रति उपाभिकर्ता के कार्यों से उसी प्रकार बाध्य है जैसे कि उपाभिकर्ता को उसने स्वयं ही नियुक्त किया हो।
  2. अभिकर्ता, उपाभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति दायी रहता है।
  3. उपाभिकर्ता मालिक की ओर से केवल कपट तथा जानबूझकर किए गए दोष की दशा के लिए दायी होता है।

❍ **धारा – 193 – प्राधिकार के बिना नियुक्त उपाभिकर्ता के लिए अभिकर्ता का उत्तरदायित्व –** प्राधिकार के बिना उपाभिकर्ता को नियुक्त किया गया है तो -

1. उस व्यक्ति के प्रति वैसी हैसियत है जैसी अभिकर्ता के प्रति मालिक की होती है।
2. मालिक और पर व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी है।
3. नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व नही करता।
4. न उसके कार्यों के लिए मालिक उत्तरदायी है।
5. न वह मालिक के प्रति उत्तरदायी है।

❍ **धारा – 194 – अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारबार में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और मालिक के बीच का सम्बन्ध।**

❍ **धारा – 195 – ऐसे व्यक्ति को नामित करने में अभिकर्ता का कर्तव्य ।**

अनुसमर्थन

❍ **धारा – 196 – किसी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यो के बारे में उसका अधिकार। अनुसमर्थन का प्रभाव -**

1. जहां कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है।
2. उस व्यक्ति के ज्ञान या प्राधिकार के बिना किया जाता है।
3. वहां वह निर्वाचित कर सकेगा,
4. ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनंगीकरण करे।
5. वह अनुसमर्थन करता है तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे मानों वे उसके प्राधिकार से किए गए थे।

- **अनुसमर्थन द्वारा अभिकरण –** अनुसमर्थन के आवश्यक तत्व निम्न है –

1. अभिकर्ता को मालिक के नाम से या उसकी ओर कार्य करना चाहिए।
2. कार्य के समय मालिक संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
3. मालिक को जिस कार्य के लिए अनुसमर्थित किया जाना है। उस कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
4. सम्पूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।

- **Effects of appointment of sub-agent-**
  1. In respect of third persons, the principal is bound by the actions of the sub-agent towards them in the same manner as if he himself had appointed the sub-agent.
  2. The agent remains liable to the principal for the acts of the sub-agent.
  3. The sub-agent is liable only in case of fraud and willful wrong on the part of the principal.

❍ **Section – 193 – Agent's responsibility for sub-agent appointed without authority** – If sub-agent is appointed without authority, then -

1. The status to that person is the same as that of the principal to the agent principal.
2. Responsible both to the owner and to the third person.
3. The employed person does not represent the principal.
4. The principal is not responsible for his actions.
5. Neither he is responsible to the principal.

❍ **Section – 194 – Relation between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency**.

❍ **Section – 195 – Agent's duty in naming such person**.

Ratification

❍ **Section - 196 - Right of person as to acts done for him without his authority. Effect of ratification -**

1. Where an act is done for another person.
2. done without his knowledge or authority of that person.
3. He may elect,
4. To ratify or disown such acts.
5. If he ratifies, those actions will have the same effects as if they were performed under his authority.

- **Agency by ratification**–The essential elements of ratification are as follows –

1. The agent must act in the name of or on behalf of the principal.
2. The principal must be capable of contracting at the time of act.
3. The work for which the principal is to be ratified, must have complete knowledge of that act.
4. The entire transaction must be ratified.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

5. अनुसमार्थिक कार्य से पर-व्यक्ति के पर-व्यक्ति को क्षति नहीं होनी चाहिए।
6. अनुसमर्थन युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए।

- **धारा – 197 – अनुसमर्थन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा।**
- **धारा – 198 – विधिमान्य अनुसमर्थन के लिए ज्ञान अपेक्षित है।**
- **धारा – 199 – जो अप्राधिकृत कार्य किसी संव्यवहार का भाग हो उसके अनुसमर्थन का प्रभाव** – जो व्यक्ति अपनी ओर से किए गए किसी अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन करता है वह उस सम्पूर्ण संव्यवहार का अनुसमर्थन करता है, जिसका ऐसा कार्य भाग हो।
- **धारा – 200 – अप्राधिकृत कार्य का अनुसमर्थन पर-व्यक्ति को क्षति नहीं पहुँचा सकता।**
- **धारा – 201 – अभिकरण का पर्यावसान –**

1. मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसंहरण से,
2. अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारबार के त्यजन से,
3. अभिकरण के पूरे हो जाने से,
4. मालिक या अभिकर्ता के मर जाने से,
5. मालिक या अभिकर्ता के विकृतचित हो जाने से,
6. दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने से।

- **धारा – 202 – जहां कि अभिकर्ता का विषयवस्तु में कोई हित हो वहां अभिकरण का पर्यावसान –**
- **धारा – 203 – मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसंहरण कब कर सकेगा** – उपयोग किए जाने से पहले किसी भी समय कर सकेगा।
- **धारा – 204 – प्रतिसंहरण जहां कि प्राधिकार का भागत: प्रयोग कर लिया गया है।**
- **धारा – 205 – मालिक द्वारा प्रतिसंहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकर** – ऐसा प्रतिकर अभिकर्ता को मालिक या मालिक को अभिकर्ता देगा।
- **धारा – 206 – प्रतिसंहरण या त्यजन की सूचना-** युक्तियुक्त सूचना दी जाएगी।
- **धारा – 207 – प्रतिसंहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा**
- **धारा – 208 – अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के संबंध में और कब पर-व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होता है ।**
- **धारा – 209 – मालिक की मृत्यु या उन्मत्ता के द्वारा अभिकरण के पर्यवसान पर अभिकर्ता का कर्तव्य –**
- **धारा – 210 – उपाभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान।**

5. The ratified act should not cause damage to the third person.
6. Ratification must be done within a reasonable time.

- **Section - 197 - Ratification may be expressed or implied -**
- **Section – 198 – Knowledge requisite for valid ratification**.
- **Section - 199 - Effect of ratifying unauthorized act forming part of a transaction**-A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part.
- **Section - 200 - Ratification of unauthorized act cannot injure third person.**
- **Section – 201 – Termination of agency –**

1. By revocation of his authority by the principal,
2. By renouncing the business of agency by the agent ,
3. On completion of the agency,
4. By the death of the principal or agent,
5. By the principal or agent becoming of unsound mind,
6. Principal being adjudged insolvent.

- **Section 202 - Termination of agency where agent has an interest in subject-matter -**
- **Section - 203 - When principal may revoke agent's authority** – Principal may revoke it at any time before it is excercised.
- **Section – 204 – Revocation where authority has been partly exercised.**
- **Section - 205 - Compensation for revocation by principal, or renunciation by agent** – Such compensation will be given to agent by the principal or to the principal by the agent.
- **Section – 206 – Notice of revocation or renunciation** – Reasonable notice must be given.
- **Section – 207 – Revocation and renunciation may be expressed or implied**.
- **Section – 208 – When termination of agent's authority takes effect as to agent, and as to third persons.**
- **Section – 209 – Agent's duty on termination of agency by principal's death or insanity** –
- **Section - 210 - Termination of sub-agent's authority** -

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

❖ **नोट –**
अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान होने पर उसके द्वारा नियुक्त समस्त उपाभिकर्ताओं के प्राधिकार का भी पर्यवसान हो जाता है।

मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य

❍ **धारा – 211 – मालिक के कारबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य –**

1. अभिकर्ता मालिक के निर्देशानुसार या
2. रूढि के अनुसार कार्य करेगा।
3. मालिक को हानि से बचाएगा।
4. यदि हानि हो जाती है तो प्रतिपूर्ति करेगा।
5. यदि कोई लाभ हो, तो उसे उसका लेखा देना होगा।

❍ **धारा – 212 – अभिकर्ता से अपेक्षित कौशल और तत्परता–**

❍ **धारा – 213 – अभिकर्ता के लेखा**

❍ **धारा – 214 – मालिक से सम्पर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य –**

- अभिकरण की प्रत्येक सारभूत बात का मालिक को ज्ञान होना आवश्यक है और इसके लिए अपेक्षित है कि अभिकर्ता उसे ऐसी प्रत्येक बात से संसूचित करता रहे और उसका आदेश अभिप्राप्त करें।

❍ **धारा – 215 – मालिक का अधिकार जब कि अभिकर्ता अभिकरण के कारबार में मालिक की सम्मति के बिना अपने ही लेखे व्यवहार करता है।**

❍ **धारा – 216 – अभिकरण के कारबार में अभिकर्ता को अपने लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार –**

❍ **धारा – 217 – अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार –**

❍ **धारा – 218 – मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता का कर्तव्य –**

❍ **धारा – 219 – अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध्य हो जाता है।**

❍ **धारा – 220 – अवचारित कारबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नही है।**

❍ **धारा – 221 – मालिक की सम्पत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार –**

- अभिकर्ता मालिक के लिए प्राप्त की गयी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, माल, कागज पत्र या अन्य सम्पत्ति को तब तक प्रतिधारित करने का अधिकार रखता है जब तक कि उसे कमीशन, संवितरणों तथा सेवाओं के रूप में शोध्य

❖ **Note –**
When the authority of the agent is terminated, the authority of all the sub-agents appointed by him also gets terminated.

Agent's duty to the Principal

❍ **Section – 211 – Agent's duty in conducting principal's business –**

1. The agent shall act as directed by the principal.
2. If not directed then according to custom.
3. shall protect the principal from loss.
4. shall reimburse if loss occured.
5. If there is any profit, he has to give an account thereof.

❍ **Section – 212 – Skill and diligence required from agent –**

❍ **Section – 213 – Agent's accounts**

❍ **Section – 214 – Agent's duty to communicate with principal –**

- The principal must be aware of every substantive matter of the agency and for this it is required that the agent keeps him informed of every such matter and obtain his instruction.

❍ **Section - 215 - Right of principal when agent deals, on his own account, in business of agency without principal's consent.**

❍ **Section – 216 – Principal's right to benefit gained by agent dealing on his own account in business of agency –**

❍ **Section – 217 – Agent's right of retainer out of sums received on principal's account –**

❍ **Section – 218 – Agent's duty to pay sums received for principal –**

❍ **Section – 219 – When agent's remuneration becomes due.**

❍ **Section 220 - Agent not entitled to remuneration for business misconducted.**

❍ **Section - 221 - Agent's lien on principal's property –**

- The agent has the right to retain any property, movable or immovable, goods, papers or other property received for the principal until he receives commission, disbursement and the entire amount due as

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

पूरी रकम का संदाय नही कर दिया जाता। **(वाद – गोपाल बनाम ठाकुर दास, AIR 1957 M.V. 22)**

अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य

- **धारा 222 - विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ण की जाएगी।**
- **धारा 223 -सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी ।**
- **धारा 224 -आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व**
- **धारा 225 - मालिक की उपेक्षा से कारित क्षति के लिए अभिकर्ता को प्रतिकर ।**

पर-व्यक्तियों से की गयी संविदाओं पर अभिकरण का प्रभाव

- वे ही विधिक परिणाम होंगे मानों वे संविदाऐं और कार्य मालिक द्वारा किए गए हों।
- **धारा – 226 – अभिकर्ता की संविदाओं का प्रवर्तन और उनके परिणाम –**
- **धारा – 227 – मालिक कहां तक आबद्ध है जबकि अभिकर्ता प्राधिकार से आगे बढ़ जाता है।**
- केवल उतना ही भाग, जितना उसके प्राधिकार के भीतर है उसके और उसके मालिक के बीच आबद्धकर है।
- **धारा – 228 – मालिक आबद्ध न होगा जहां कि अभिकर्ता के प्राधिकार से परे किया गया कार्य पृथक नहीं किया जा सकता।**
- **धारा – 229 – अभिकर्ता को दी गई सूचना के परिणाम –**
- वही विधिक परिणाम होगा मानो वह सूचना मालिक को दी गयी हो या उसके द्वारा अभिप्राप्त की गयी हो,
- परन्तु यह तब जब कि वह अभिकर्ता द्वारा मालिक के लिए संव्यवहृत कारबार के अनुक्रम में दी या अभिप्राप्त की गयी हो।
- **धारा – 230 – मालिक की ओर से की गयी संविदाओं को अभिकर्ता वैयक्तिक रूप से न तो प्रवर्तित करा सकता है और न उनसे आबद्ध ही होता है।**
- **अभिकर्ता को संरक्षण पाने का अधिकार है –**

1. कोई भी अभिकर्ता अपने मालिक की ओर से अपने द्वारा की गई संविदा का वैयक्तिक रूप से प्रवर्तन नहीं करा सकता है।
2. ऐसा अभिकर्ता संविदा से आबद्ध भी नहीं होता है।
3. जिस संविदा का प्रवर्तन मालिक के विरूद्ध किया जा सकता है उसका प्रवर्तन अभिकर्ता के विरूद्ध नहीं करा सकता तथा

services is not paid. **Case – Gopal v. Thakur Das, AIR 1957 M.V. 22**

Principal's duty to Agent

Section – 222 - Agent to be indemnified against consequences of lawful acts.
Section – 223 - Agent to be indemnified against consequences of acts done in good faith.
Section – 224 - Non-liability of employer of agent to do a criminal act
Section – 225 - Compensation to agent for injury caused by principal's neglect

Effect of agency on contracts made with other persons

- The legal effects will be same as if the contracts and acts were done by the principal.
- **Section - 226 - Enforcement and consequences of agent's contracts -**
- **Section - 227 - Principal how far bound, when agent exceeds authority.**
- So much only if what he does as is within his authority is binding as between him and his principal.
- **Section - 228 - Principal not bound when excess of agent's authority is not separable.**
- **Section – 229 – Consequences of notice given to agent–**
- It had the same legal consequence as if it had been given to or obtained by the principal,
- Provided that it is given or obtained by the agent in the course of the business transacted for the principal by him.
- **Section - 230 - Agent cannot personally enforce, nor be bound by, contracts on behalf of principal.**
- **The agent has the right to get protection–**

1. No agent may personally enforce a contract entered into by him on behalf of his principal.
2. Such an agent is also not bound by the contract.
3. A contract which can be enforced against the principal cannot be enforced against the agent and

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

4. एक ही संविदा के लिए मालिक और अभिकर्ता के विरूद्ध एक साथ वाद नहीं लाया जा सकता है।

❖ **अपवाद** –
धारा 230 में प्रतिपादित सामान्य नियम के मुख्यतया तीन अपवाद है –
1. जहाँ संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा किसी विदेश में निवासी वणिक की ओर से माल के विक्रय या क्रय के लिए की गई हो,
2. जहाँ अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट नहीं करता हो, तथा
3. जहाँ मालिक पर वाद नहीं लाया जा सकता हो, चाहे उसका नाम ही क्यों न प्रकट कर दिया गया हो।

❍ **धारा – 231 – अप्रकटित अभिकर्ता द्वारा की गई संविदा के पक्षकारों के अधिकार –**

- मालिक के विरूद्ध वे ही अधिकार रखता है जो वह उस अभिकर्ता के विरूद्ध रखता यदि वह अभिकर्ता मालिक होता।

❍ **धारा – 232 – अभिकर्ता को मालिक समझ कर उसके साथ की गई संविदा का पालन –**

- ऐसा पालन अभिकर्ता और संविदा के दूसरे पक्षकार के बीच विद्यमान अधिकारों और बाध्यताओं के अध्यधीन ही अभिप्राप्त कर सकता है।

❍ **धारा – 233 – वैयक्तिक रूप से दायी अभिकर्ता से व्यवहार करने वाले व्यक्ति का अधिकार –**

- उससे व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो उसको या उसके मालिक को या उन दोनों को दायी ठहरा सकेगा।

❍ **धारा – 234 – अभिकर्ता या मालिक को इस विश्वास पर कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करने का परिणाम कि केवल मालिक या केवल अभिकर्ता दायी ठहराया जाएगा।**

❍ **धारा – 235 – अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व –** वह उस पर व्यक्ति की उस हानि या नुकसान के बारे में जो उस पर व्यक्ति ने ऐसे व्यवहार करने द्वारा उठाया है, प्रतिकर देने का दायी होगा।

❍ **धारा – 236 – मिथ्या रूप से अभिकर्ता के तौर पर संविदा करने वाला व्यक्ति पालन कराने का हकदार नहीं है –**

- वह व्यक्ति, जिससे अभिकर्ता की हैसियत में संविदा की गयी है, उसके पालन की अपेक्षा करने का हकदार नहीं है यदि वह वास्तव में अभिकर्ता के तौर पर नहीं वरन् स्वयं अपने लेखे कार्य कर रहा था।

❍ **धारा – 237 – यह विश्वास उत्प्रेरित करने वाले मालिक का दायित्व कि अभिकर्ता के अप्राधिकृत कार्य प्राधिकृत थे।**

4. Principal and agent cannot be sued together for the same contract.

❖ **Exception**–
There are mainly three exceptions to the general rule laid down in section 230 –
1. Where a contract is made by an agent for the sale or purchase of goods for a merchant resident in a foreign country,
2. Where the agent does not disclose the name of his principal, and
3. Where the principal cannot be sued, even if his name is disclosed.

❍ **Section – 231 – Rights of parties to a contract made by agent not disclosed** –

- He has the same rights against the principal as he would have against the agent if that agent were the principal.

❍ **Section – 232 – Performance of contract with agent supposed to be principal** –

- Such performance can be obtained only subject to the rights and obligations existing between the agent and the other party to the contract.

❍ **Section – 233 – Right of person dealing with agent personally liable** –

- The person dealing with him may held either him or his principal or both of them liable.

❍ **Section - 234 - Consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable**.

❍ **Section – 235 – Liability of pretended agent**–He shall be liable to make compensation to the person in respect of the loss or damage caused to him by the person by so dealing.

❍ **Section - 236 - Person falsely contracting as agent not entitled to performance** -

- A person with whom a contract has been entered as an agent is not entitled to be required to perform it if he was acting not in reality as an agent but on his own account.

❍ **Section – 237 – Liability of principal inducing belief that agent's unauthorized acts were authorized**.

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

उदाहरण -

क ऐसी परक्राम्य लिखत, जिन पर निरंक पृष्ठांकन है, ख के पास न्यस्त करता है। क के प्राइवेट आदेशों का अतिक्रमण कर ख उन्हें ग को बेच देता है। विक्रय ठीक है।

❍ **धारा – 238 – अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव –** मालिक की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा किए गए करारों पर वे ही प्रभाव रखते है, मानों ऐसे दुर्व्यपदेशन या कपट का उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ा।

उदाहरण -

क जो माल के विक्रय के लिए ख का अभिकर्ता है, एक दुर्व्यपदेशन द्वारा, जिसे करने के लिए वह ख द्वारा प्राधिकृत नहीं था, ग को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहाँ तक कि ख और ग के बीच का सम्बन्ध है। संविदा ग के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

उदाहरण -

ख के पोत का कप्तान क, वहनपत्रों पर, उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहाँ तक ख और अपदेशी परेषक का सम्बन्ध है, वहनपत्र शून्य है।

❖ **नोट –** मालिक अपने प्राधिकार की सीमा के भीतर एजेन्ट के कपट के लिए दायित्वाधीन होगा, चाहे कपट एजेन्ट ने अपने हित के लिए किया हो या मालिक के हित के लिए।

❑❑❑

Example-

A entrusts B with negotiable instruments endorsed in blank. B sells them to C in violation of private orders from A. The sale is good.

❍ **Section-238-Effect, on agreement, of misrepresentation or fraud, by agent-** Misrepresentation or fraud by agents acting on behalf of the principal has the same effect on the agreements entered into by such agents as if such misrepresentation or fraud had not affected principal.

Example-

A, being B‟s agent for the sale of goods, induces C to buy them by a misrepresentation, which he was not authorized by B to make. The contract is voidable, as between B and C, at the option of C.

Example-

A, the captain of B‟s ship, signs bills of lading without having received on board the goods mentioned therein. The bills of lading are void as between B and the pretended cosignor.

❖ **Note**–The principal shall be liable for the agent's fraud within the limits of his authority, whether agent has acted fraud in his own interest or in the interest of the principal.

❑❑❑

उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR